[redacted]

राजस्थान विधान सभा

सप्तम् बैठक, सोमवार, दिनांक–१० दिसम्बर, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्ह पूर्व ११.१८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष—Oath or Affirmation

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा)—श्री रामलाल बंसीवाल।

(श्री रामलाल बंसीवाल ने शपथ ग्रहण की)

श्री अंगदराम।

(श्री अंगदराम शास्त्री ने शपथ ग्रहण की)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४०

श्री अध्यक्ष—श्री गुरूदयालसिंह सन्धु।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४१

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीमेंट व शक्कर के कारखाने नये सिरे से खोलने की योजना

श्री जगतसिंह झाला—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन किन जिलों में सीमेंट व शक्कर की फेक्ट्री नये सिरे से कायम करने का विचार है?

Page No 2

[श्री जगतसिंह झाला]

(ख) क्या यह सच है कि चित्तौड़ में सीमेंट फेक्ट्री अन्य जगहों के मुकाबिले में सुचारू रूप से चल सकेगी, ऐसी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख पेश हो चुकी है ? यदि हां, तो वहां पर कब तक कार्य प्रारम्भ करने का सरकार का इरादा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शक्कर व सीमेंट की फेक्ट्रियां निम्नांकित स्थानों पर निजी क्षेत्र में (प्राइवेट सेक्टर) में स्थापित करने का प्रस्ताव है—

शक्कर की फैक्ट्री

१. कोटा
२. हिन्डौन : सवाई-माधोपुर, डिस्ट्रिक्ट
३. हनुमानगढ़ : गंगानगर डिस्ट्रिक्ट
४. उदयपुर

सीमेंट फैक्ट्री

१. चित्तौड़गढ़
२. सिरोही या गोटन जोधपुर
३. नीम का थाना जयपुर

हां। यह सच है कि सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने के लिये चित्तौडगढ़ उपयुक्त स्थान है। ऐसी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्राप्त हो चुकी है।

चित्तौड़गढ़ में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिये एक पार्टी का प्रार्थना पत्र भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उसका कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

श्री जगतसिंह झाला—क्या चित्तौड़ में भी गन्ने की शक्कर का कारखाना खोलने का इरादा है।

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री शम्भुसिंह—भीलवाड़े में किस स्थान पर खोला जायगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मांडल के लिए विचार किया जा रहा है।

श्री शम्भूसिंह—यह पब्लिक सेक्टर में होगा या प्राइवेट सेक्टर में ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सहयोग समिति द्वारा।

श्री शम्भुसिंह—उसमें सहयोग समिति के मेम्बर्स बनाने का काम शुरू होगया है या अब होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—शुरू होगया है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या सीमेंट का कारखाना सहयोग समिति द्वारा होगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

श्री शम्भूसिंह—शक्कर की फैक्ट्री कितनी केपिटल से बनाई जायगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—अन्तिम निर्णय होगा तब पूरा २ बताया जा सकता है कि कितने टन की यह होगी।

श्री जगतसिंह झाला—चित्तौड़ में सीमेंट की फैक्ट्री का कार्य कब शुरू होगा?

श्री भोगीलाल पंड्या—निश्चित तारीख तो नहीं बताई जा सकती है, किन्तु सारी कार्यवाही हो चुकी है। लाइसेन्स की अन्तिम कार्यवाही होना बाकी है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि यह काम इस आर्थिक वर्ष में शुरू किया जा सकता है।

श्री जवानसिंह—आबू से तात्पर्य माउन्ट आबू से है?

श्री भोगीलाल पंड्या—आबू से मेरा मतलब जिला सिरोही के आबू रोड़ से है, माउन्ट आबू से नहीं।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ४२

तहसील टोडा के कुछ ग्राम हटाकर तहसील दूनी में मिलाने पर जनता की शिकायतें

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि तहसील टोडा के कुछ गांव हटा कर तहसील दूनी में लगाये गये हैं?

(ख) क्या यह भी सही है कि उन मवाजात के पुलिस थाना आदि का सम्बन्ध अब भी पहले की तरह ही है?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों की जनता ने यह प्रार्थना सरकार के समक्ष रखी है कि उन्हें टोड़ा से दूनी में लगाने से बहुत तकलीफ है?

Page No 4

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

(घ) क्या सरकार जनता के सुभीते तथा सस्ता न्याय मिलने की दृष्टि से इस पर फिर से विचार कर उनका कष्ट निवारण करेगी ?

(ङ) नासिरदा से दूनी व देवली का कितना फासला है ?

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—(क) जी हां, तहसील टोड़ारायसिंह के ७१ गांव तहसील दूनी में लगाये गये हैं।

(ख) जी हां। उन ग्रामों का सम्बन्ध अब भी उन्हीं पुलिस थानों से है जिनसे पहले था।

(ग) जी हां, वे सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) नासिरदा से दूनी व देवली दोनों की दूरी क्रमशः १४ व १६ मील है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—यह सरकार के विचाराधीन है, उसका कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री सम्पतराम—अब दुबारा चुनकर आयेंगे उस वक्त तक तो निर्णय हो जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह—आप भी आयेंगे या नहीं ?

श्री सम्पतराम—मैं तो श्योर हूँ, आपके बारे में सन्देह है।

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह कोई प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। गवर्नमेंट को बताना चाहिये कि कब तक निर्णय हो जायगा। दुबारा चुनाव की कोई अवधि नहीं है।

श्री सम्पतराम—A Committee has already been set up for this purpose, and I think the Committee will put up very soon, and the Members will come to know.

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि कमेटी को निर्मित हुए बहुत अर्सा होगया है तो इन्टेरिम पीरियड के लिए गांवों को तब्दील करना सरकार क्यों आवश्यक समझती है ?

श्री सम्पतराम—Rajasthan is a big State and so many changes have to be made.

श्री भैरोंसिंह—गांव तब्दील करने से पहले कमेटी को रेफर किया गया था या नहीं ?

श्री सम्पतराम—The Committee itself will take up the matter.

श्री भैरोंसिंह—सरकार ने कमेटी को रेफर किया है या नहीं ?

श्री सम्पतराम—इस तरह के जो कोई संशोधन आते हैं, वे कमेटी को रेफर कर दिये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह—इस मामले को कमेटी को रेफर किया गया है या नहीं ? कोई तब्दीली कमेटी ने सरकार के सामने प्रस्तुत की है ?

श्री सम्पतराम—कमेटी पहले राय नहीं देती है। फाइनल रिपोर्ट देती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट चेन्ज हो सकते हैं, जिले के हैड्क्वार्टर बदले जा सकते हैं। कमिश्नरी भी चेन्ज हो सकती है और कई गांव इधर के उधर भी हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह—सरकार ने इस मामले को कमेटी को रेफर किया है या नहीं ? क्या सरकार इसको जरूरी नहीं समझती कि कमेटी की इन्टेरिम रूप में राय जानी जाय ?

श्री सम्पतराम—नहीं यह आवश्यक नहीं समझती।

श्री भैरोंसिंह—तो फिर किसलिए रेफर किया गया था कमेटी को ?

श्री सम्पतराम—कमेटी इस बात को देखेगी कि वैसा करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए तो कर देगी।

श्री भैरोंसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि अगर इन्टेरिम रिपोर्ट नहीं चाही गई तो गांवों की तब्दीली करने के बारे में क्यों रेफर किया गया ?

श्री सम्पतराम—अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया कि जिला, तहसील और गांवों के बारे में जो वह सवाल राजस्थान में चल रहा है वह सब कमेटी के सामने आया है। गांव वाले या माननीय सदस्य इस प्रकार आपत्ति उठाते हैं और इस सवाल पर इस प्रकार दरख्वास्त आती है सरकार के सामने तो कमेटी उस पर विचार करेगी कि कहां पर रखना चाहिए और कहां पर नहीं रखना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह—कमेटी के सामने मामला रेफर कर दिया गया है तो गवर्नमेंट को कौनसी आवश्यकता महसूस हुई कि गांवों को बदला जाय ?

श्री सम्पतराम—पहले से बदले गये हैं।

श्री भैरोंसिंह—कमेटी के एप्वाइन्टमेंट से पहले बदले गये हैं या बाद में ?

श्री सम्पतराम—कमेटी सेट-अप होने से पहले बदले गये थे।

रावराजा श्री सरदारसिंह—कमेटी की राय आने से पहले यह प्रोवीजनल इन्तजाम क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष—डेट्स हैं क्या कि कब बदले गये और कमेटी कब बनी ?

श्री सम्पतराम—डेट्स नहीं हैं।

श्री भोपालसिंह—सरकार ने क्यों महसूस किया कि गांव बदले जायं ?

श्री सम्पतराम—वह तो मैंने कहा कि इस प्रकार की शिकायत आती है तो जांच की जायगी।

श्री जगतसिंह झाला—क्या गांवों को बदलने का कोई राजनैतिक कारण था ?

श्री सम्पतराम—कोई राजनैतिक कारण नहीं था। पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह किया गया था। इस प्रकार कोई असुविधा की शिकायत आयेगी और वह वाजिब होगी तो ठीक तौर से रख दिये जायेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या असुविधा हुई थी ?

श्री सम्पतराम—यह आप जानते हैं।

श्री भोपालसिंह—जो गांव नहीं चाहते हैं दूसरी तहसील में जाना तो उनको क्यों बदला गया ?

श्री सम्पतराम—ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनको असुविधा होती है और अगर उनको कोई शिकायत है तो उसकी जांच की जायगी और जांच करने के बाद जो कुछ भी ठीक समझा जायगा वह किया जायगा।

श्री भोपालसिंह—असुविधा होने के बारे में गांवों की तरफ से रिपोर्ट हुई है तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई।

श्री सम्पतराम—मैंने जो जवाब दिया था वह माननीय सदस्य ने ध्यान से नहीं सुना था।

श्री भोपाल सिंह—वह क्यों बदले गये जब कि असुविधा है तो ? असुविधा का कारण नहीं बताया ?

श्री संपतराम—वह एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियन्स के लिहाज से बदले गये थे।

प्रश्न संख्या ४३

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४

जोधपुर के फिदूसर के छीतर के पत्थर की खानों के मालिकों से वसूली

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या खनिज़ मन्त्री निम्नप्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) जोधपुर की फिदूसर के छीतर के पत्थर की खानों में से मलबा उठाने के लिए किस वर्ष से हर एक खान मालिक से सरकार ने २०० रू० फी खान वसूल किया है तथा इस प्रकार आज तक कुल कितने खान मालिकों से कितनी खानों के कुल कितने रुपये सरकार ने वसूल किये हैं ?

(ख) उपरोक्त खान में से मलबा उठाने के लिए सरकार ने आज तक क्या क्या कदम उठाये हैं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या सरकार उन तमाम खान मालिकों को उनके रुपये, जो खानों का मलबा सरकार द्वारा साफ कराने के हेतु इस विभाग में जमा कराये गए थे वापिस कर देगी ?

(घ) यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(ङ) क्या सरकार अब ये आदेश जारी करेगी कि भविष्य में नई खान लेने वाले खान मालिकों से खान का मलबा उठाने के लिये दो दो सो रुपये फी खान वसूल न किये जावें ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खनिज मंत्री)—१,२१,४००) रू० तारीख २१-१-५४ से ३१-१०-५६ तक ४७४ खान मालिकों से ६०७ खानों के वसूल हुए।

(ख) (ग) व (घ) यह योजना सरकार के विचाराधीन है और यह खान मालिकों से परामर्श लेकर तय किया जायगा। इस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा अमल में लाई गई तो

Page No 8

[श्री भोगीलाल पंड्या]

विचार किया जायगा। इस प्रकार सरकार द्वारा अगर योजना अमल में नहीं आई तो फिर विचार किया जायगा।

(ङ) नहीं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या यह रुपया वापिस दे दिया जायगा ऐसा विचार होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह रुपया वहां जो मलबा है उसको हटाने के काम में लाया जायगा। अगर मलबा हटाने के काम में नहीं लाया गया तो जरूरी बात है कि वैसा करना पड़े।

श्री चांदमल मेहता—यह मामला कब से विचाराधीन है इस रुपये को उपयोग में लाने का ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह तारीख बतादी है कि ३१-१-५४ से रुपया वसूल किया और उस दिन से यह विचार किया गया है कि ज्योंही रुपया इकट्ठा हो जायेगा मलबा हटाने का काम शुरु किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—सरकार का कितने रुपये का लक्ष्य है ताकि उस लक्ष्य तक पहुँचने के ऊपर सरकार कोई निर्णय लेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मशीनरी खरीदनी पड़े उसके लिए दो साल तक रुपया जमा होने की व्यवस्था की। अब मशीनरी खरीदें इतना रुपया हो गया है और इस साल तक मलबा हटाने की व्यवस्था सोची जा रही है। जल्दी ही मलबा हटाने की कार्यवाही शुरु हो जायगी।

श्री चांदमल मेहता—अब सरकार अपनी योजना को अन्तिम रुप दे चुकी है या नहीं ? इसको अन्तिम रूप देने का सरकार कब तक विचार रखती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने पहले ही अर्ज किया है कि इसके लिए कोई तारीख नहीं बतलाई जा सकती। अब रुपये इकट्ठे हो गये हैं। कुछ रुपये बाकी हैं वे लिए जा रहे हैं। यह काम पूरा होते ही मशीनरी खरीदी जायगी और मलबा हटाया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—पूरी रकम से क्या मतलब है ? क्या निश्चित रकम निर्धारित की गई है कि अमुक अमुक से इतनी रकम ली जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अपने उत्तर में बताया है कि इतना रुपया हो जाय तो मशीनरी खरीदी जा सकती है और मलबा उठाया जा सकता है। इसका उत्तर दे दिया गया है, इसलिए अब देने की जरूरत नहीं है।

श्री सन्तोषसिंह—क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि मलबा कितना है और कितनी मशीनरी से उठाया जा सकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मलबा काफी है जितना उठाया जा सकता है उठाया जायगा।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—किस तरह की मशीनरी लगा कर मलबा उठाने की व्यवस्था की गई है ? क्या सरकार समझती है कि सारा मलबा हट जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—क्यों नहीं। शुरुआत हो जायेगी फिर धीरे धीरे उठता जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या इसकी योजना बनाने के लिए सरकार ने कोई समिति नियुक्त की थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिए समिति की आवश्यकता नहीं थी। अभी जो रुपये इकट्ठे हुये हैं और जो रुपये देने वाले हैं उनकी सलाह से योजना कार्यान्वित की जायगी।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जिन खानवालों ने २००) रु० मलबे के लिये जमा कराये हैं उनका मलबा हटाने की व्यवस्था जब सरकार करेगी तब यदि उनकी खान छिन गई तो क्या सरकार उनको रुपये वापिस देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष—Hypothetical questions cannot be asked.

प्रश्न संख्या ४५

नये मध्यप्रदेश का गांधीसागर डेम राजस्थान सीमा में होने का सरकार को ज्ञान

राजा श्री हिम्मतसिंह—(प्रश्नकर्ता श्री जवानसिंह की अनुपस्थिति में)—Will the Chief Minister be pleased to State :—

1. Is it a fact that the Gandhi Sagar Dam of the new Madhya Pradesh is being constructed in the territory of the State of Rajasthan ?

2. When did this fact come to the notice of the Government of Rajasthan ?

3. Has that part of the territory been ceded to the State of Madhya Pradesh ? If so, when.

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब इरिगेशन मिनिस्टर अपनी टर्न पर देंगे।

(यह प्रश्नोत्तर पुनः बाद में लिए गए)

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, इसका ज़वाब आज ही मिलना चाहिए। यह जरूरी प्रश्न है। राजस्थान की टेरीटरी में दूसरे लोग घुस गये हैं इसलिए इसका जवाब आज ही मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—(श्री बृजसुन्दर से) क्यों साहब ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसका जवाब इरिगेशन मिनिस्टर देंगे, जो आज यहां नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—जवाब कब देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनका टर्न आयगा उस दिन देंगे।

श्री अध्यक्ष—उनका टर्न तो अब आयगा नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—चीफ मिनिस्टर साहब ने उन्हीं के पास भेजा था इसलिए वे ही जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिंह—इस प्रश्न को जब हाउस में लिया गया है तो उसका जवाब मिलना चाहिए, इस तरह से टालना उचित नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कल दे दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ४६

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(अनुपस्थित)

श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या ४७

डेगाना तहसील में सेकिण्ड क्लास मजिस्ट्रेट के यहां ११ माह से विचाराधीन मुकदमे

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री भोपालसिंह]

(क) क्या यह सत्य है कि डेगाना तहसील में सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में करीब १५० फौजदारी मुकद्दमें मजिस्ट्रेट के अभाव में करीब ११ महीने से पड़े हुए हैं ?

(ख) क्या सरकार अब किसी को सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पॉवर देकर उपरोक्त मुकद्दमों को फैसल कराने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—(क) जी नहीं। पहले कुछ केसेज़ पेन्डिग थे, अब नही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भोपालसिंह—क्या वहां पर कोई मुकद्दमे आये ही नहीं ?

श्री सम्पतराम—नहीं।

श्री भोपालसिंह—और यदि आये है तो ?

श्री अध्यक्ष—यदि हैं तो फैसल हो जायेंगे।

श्री भोपालसिंह—मैं चैलेन्ज करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—अब चैलेन्ज मैदान में इलेक्शन के समय होगा।

श्री सम्पतराम—अध्यक्ष महोदय, इजाजत हो तो मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि १।६।५६ को कुछ केसेज़ पेन्डिग थे। पहले के तहसीलदार को बाई नेम सेकिन्ड क्लास मेजिस्ट्रेट के पॉवर थे। बाद में उनकी बदली हो गई। जो केसेज उनके सामने पेन्डिग थे उनमें से कुछ मेड़ता भेज दिये गये और कुछ नागौर भेजे गये। अब जो नये तहसीलदार आये हैं उनको सेकिन्ड क्लास पॉवर देने के लिए जिलाधीश ने लिखा है।

श्री भोपालसिंह—११ महीनों तक तहसीलदार को ये पावर नहीं रहने से पब्लिक को जो तकलीफ हुई उसके लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री सम्पतराम—यह जिलाधीश पर निर्भर रहता है कि किस तहसीलदार को सेकिन्ड क्लास पावर देने उचित हैं और किसको नहीं। जिसको देना जरूरी समझते हैं उसके लिए सरकार को के लिखते है।

श्री भोपालसिंह—सरकार ने वहां पर ऐसे आदमी को क्यों नहीं भेजा, जिसको सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट की पॉवर्स थीं।

Page No 12

श्री सम्पतराम—तहसीलदारों को बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पॉवर्स होते हैं। ऐसे बहुत कम तहसीलदार हैं जिनको बाई नेम सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पॉवर्स होते है। पहले वाले जो तहसीलदार थे उनको बाई नेम सेकिन्ड क्लास को पॉवर थी और बाद में आने वाले को नहीं थीं।

श्री अध्यक्ष—ये जो पूछते हैं उसकी पोइन्टेड रिप्लाई चाहते हैं। सरकार ने ऐसा आदमी क्यों नहीं भेजा जिसको सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट की पॉवर्स थीं।

श्री सम्पतराम—यह जरूरी नहीं था कि सेकिन्ड क्लॉस की पॉवर वाले को भेजा जाता।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि सेकिन्ड क्लॉस पावर वाले तहसीलदार के स्थान पर थर्ड क्लॉस पॉवर वाले तहसीलदार को मुकर्रर किया; उस समय सरकार के ध्यान में ऐसी बात नहीं थी कि वहां पर कुछ केसेज पेडिंग रहेंगे?

श्री सम्पतराम—यह मैं बतला चुका हूँ कि कुछ महीनों तक पेन्डिग थे, बाद में मेड़ता और नागौर भेज दिये गये।

श्री भैंरूसिंह—११ महीनों बाद भेजे गये?

श्री सम्पतराम—यह गलत है।

श्री भैंरूसिंह—क्या सरकार तारीख बतायेगी कि ये पेन्डिग केसेज़ कौनसी तारीख को ट्रान्सफर किये गये?

श्री सम्पतराम—यह मुमकिन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—They want the Cause of delay, as to why this delay occurred?

श्री सम्पतराम—इतनी डिले नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—कितनी डिले हुई?

श्री सम्पतराम—पीरियड तो इस समय नहीं बता सकता।

श्री भैंरूसिंह—जिस समय उक्त तहसीलदार का ट्रान्सफर किया गया उस समय कलेक्टर के नोटिस में यह बात आई या नहीं और उस समय इस संबंध में कोई एक्शन लिया गया या नहीं?

श्री सम्पतराम—ये ट्रान्सफर होने से पहले भेजे गये थे।

श्री भोपालसिंह—सेकिन्ड क्लॉस पॉवर्स वाले तहसीलदार को चंद दिन वहां रखा गया और बाद में उसको तब्दील कर दिया गया। जब पहले सेकिन्ड क्लास पॉवर वाला तहसीलदार वहां था तो बाद में भी सेकिन्ड क्लॉस पॉवर वाला तहसीलदार क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री सम्पतराम—अध्यक्ष महोदय, यदि आज्ञा हो तो थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री अध्यक्ष—जरूर।

श्री सम्पतराम—सेकिन्ड क्लॉस पॉवर वाला तहसीलदार इसलिये वहां नहीं भेजा गया कि वहां पर सेकिन्ड क्लास पॉवर्स की जरूरत नहीं समझी गई। लेकिन क्योंकि जो तहसीलदार पहले वहां गया था उसको बाई नेम सेकिन्ड क्लॉस पॉवर थीं इसलिये उसको सेकिन्ड क्लास के मामले ट्राई करने का अधिकार दिया गया और उन्होंने कुछ केसेज़ डील विथ किये, लेकिन अब ऐसा भी विचार चल रहा है कि तहसीलदारों को बाई वर्च्यु ऑफ ऑफिस (byvritue of office) सेकिन्ड क्लॉस पॉवर्स देने चाहिये या नहीं।

श्री भोपालसिंह—वहां पर जिस तहसीलदार को भेजा उसको सेकिंन्ड क्लॉस पॉवर्स थे या नहीं ?

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायेंगे तब जवाब आयेगा।

श्री जगतसिंह झाला—सरकार ने कब से तहसीलदारों को सेकिन्ड क्लॉस पॉवर्स दी हैं ?

श्री सम्पतराम—उनको जनरल सेकिन्ड क्लॉस पॉवर्स नहीं हैं। किसी किसी को बाई नेम सेकिन्ड क्लॉस पॉवर्स दी गई हैं। जिनको काबिल समझा गया है उनको यह पॉवर दी गई है, जिनको काबिल नहीं समझा गया उनको नहीं दी गई।

श्री भोपालसिंह—पहले वहां पर जो तहसीलदार थे उनको सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट की पोवर्स डेगाना जाने के बाद मिली या पहले ?

श्री सम्पतराम—पहले या बाद मिलने से ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनको बाई नेम सेकिन्ड क्लॉस पॉवर्स थीं।

श्री भैरूंसिंह—जिस समय उक्त तहसीलदार का वहां से ट्रांसफर हुआ उस समय क्या सरकार ने उचित समझा कि उक्त तहसीलदार के सामने जितने केसेज़ सेकिन्ड क्लास के पेन्डिंग हैं उनको दूसरी कोर्ट्स में ट्रान्सफर कर दिया जाय ?

श्री सम्पतराम—उनकी ट्रान्सफर होने से पहले ही ये केसेज़ मेड़ता और नागोर भेज दिये गए थे।

श्रीभैरोंसिंह—उनकी ट्रान्सफर के समय जो केसेज़ उनके पास पेन्डिग थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ।

श्री सम्पतराम—जिनको वे ट्राई नहीं कर सके थे उनको निश्चित तौर से दूसरी जगह भेजा जायगा।

श्री भैरोंसिंह—क्या ट्रान्सफर होते ही भेजे गये थे ?

श्री सम्पतराम—यह जरूरी नहीं है, it depends upon the discretion of the District Magistrate.

श्री भैरोंसिंह—क्या यह बतायेंगे कि कितने दिनों बाद केसेज़ ट्रान्सफर किये गए ?

श्री अध्यक्ष—११ महीनों से या कितने महीनों से पड़े हैं, डेफिनेट जवाब दे दीजिए ?

श्रीसम्पतराम—I have got definite information from the Collector that the cases alleged to be pending since 11 months is wrong.

श्री अध्यक्ष—But what is the time for which they were pending ?

श्री संपतराम—उन्होंने लिखा है कुछ समय से पेन्डिग हैं।

श्री अध्यक्ष—Whatever he may have written, we are not bound by that.

श्री संपतराम—बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष—स्पष्ट नहीं है तो कुछ तो आइडिया आप बताइये कि ११ महीनों से पेन्डिग नहीं हैं तो कितने महीनों से हैं ?

श्री संपतराम—यह मालूम करके बताया जा सकता है। फिर से प्रश्न पूछ लीजिये।

प्रश्न संख्या ४८

उनियारा में हाई स्कूल भवन के निर्माण एवं उसका हिसाब

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि उनियारा में हाई स्कूल भवन का निर्माण हो रहा है ?

(ख) अगर हां, तो क्या निर्माण के पूर्व इसका प्लान सरकार द्वारा मन्जूर किया गया था ?

(ग) निर्माण कार्य किसी व्यक्ति के अधीन है या समिति के ?

(घ) क्या किसी सरकारी कर्मचारी से टेक्नीकल एडवाइस भी ली जाती है ?

(ङ) उपरोक्त कार्य का हिसाब रूल्स के मुताबिक रखा जाता है या नहीं तथा अब तक का हिसाब सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है या नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप-मन्त्राणी)— (क) जी हां।

(ख) जी हां। विकास विभाग द्वारा।

(ग) हाई स्कूल भवन निर्माण समिति के।

(घ) साधारणतः ली जाती है।

(ङ) हिसाब नियमानुसार ही रखा जाता है। अब तक हिसाब सरकार के पास नहीं आया।

रावराजा श्री सरदारसिंह—इसका प्लान राजपूताना युनिवर्सिटी से एप्रूव कराया था या नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—युनिवर्सिटी से पास नहीं कराया गया। लेकिन इसको डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पास किया था।

यूनिवर्सिटी से प्लान एप्रूव नहीं कराया है। रुपया सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने दिया था, उससे ही मंजूरी ली है।

श्री अध्यक्ष—सवाल यह है कि प्लान एप्रूव कराया हुआ है या नहीं है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यूनिवर्सिटी के कुछ इन्स्ट्रक्शन्स होते हैं कि इतनी एकोमोडेशन होनी चाहिये, इतने कमरे होने चाहिये, उसके मुताबिक ही मेटजमेंट डिपार्टमेंट ने मन्जूरी दी है। यूनिवर्सिटी की मन्जूरी की मेरे पास इतला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—क्वेश्चन यह है कि क्या युनिवर्सिटी से प्लान एप्रूव कराया है।

श्री अध्यक्ष—यूनिवर्सिटी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिये, पर युनीवर्सिटी से प्लान एप्रूव हुआ या नहीं, यह क्वेश्चन है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—साधारणत: यूनिवर्सिटी से प्लान एप्रुव होता है।...

श्री अध्यक्ष—आप 'हां' या 'ना' में उत्तर दें, why evade the question ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह मंत्राणीजी की जानकारी में है कि हाई स्कूल के प्लान यूनीवर्सिटी मे एप्रूव कराये जाते हैं और उनके मुताबिक हो बिल्डिंग बनाई जाती है ?...

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने आपको कहा कि यूनीवर्सिटी के मुताबिक बिल्डिंग बनाई जाती हैं। पर इस पर्टीक्युलर केस में हुआ या नहीं, यह जानकारी नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह मुश्किल है कि हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं मिल रहा है। किसी प्रश्न के उत्तर में जवाब कलेक्टर की इतला के आधार पर बताते हैं और किसी प्रश्न का उत्तर किसी सूचना के आधार पर बताया जाता है। इसलिये यहां पर इस प्रकार क्वेश्चन रखने से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन के नाम पर १ घंटा जब सदन को दे दिया गया है तो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह आदेश मन्त्रियों को दिया जाय कि भविष्य में जितने भी क्वेश्चन्स हैं उनकी पूरी जानकारी सदन में दें।

श्री अध्यक्ष—भविष्य में कब ?

श्री भैंरूसिंह—आज नहीं तो कल।

श्री जगतसिंह झाला—आपकी रूलिंग सब के लिये ही लागू होती है !

श्री भैंरुसिंह—जो हिसाब मांगा जा रहा है, वह ऑडिट करवाया है या नहीं।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—वह हिसाब दो बार तहसील में भेजा जा चुका है। एक बार तो एकाउन्टेन्ट ने एतराज कर दिया और दूसरी बार जब भेजा तो उसमें और खामी निकाल कर भेज दी। इसलिये वह हिसाब सरकार के पास नहीं आया और ऑडिट नहीं हुआ।

श्री भैरूंसिंह—उन हिसाबों की जांच सरकारी अधिकारी कर रहे हैं क्यां ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—समिति के काम करने के बारे में मैंने आपको बता दिया है।

श्री भैंरोंसिंह—आपने कहा कि तहसील में एकाउन्टेन्ट के पास भेज दिया और उसने खामियां निकाल कर भेज दीं, इससे आपका क्या मतलब है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—एक खामी तो यह बताई थी कि उसकी चार कॉपीज़ होनी चाहिये, हमने चार कॉपीज़ बनवा कर भेज दीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या यह सच है कि चार कॉपीज़ भेजने की कोई खामी नहीं है, जैसा कि आपने बतलाया। लेकिन खामी यह थी कि बिल्डिंग बनाने के लिये किंवाड़ बनवाये थे, उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने मकान के लिए भी किवाड़ बनवाए इसलिए तहसील ने वापिस कर दिया।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—अगर वहां से वापिस कर दिया है तो वह पास नहीं होगा। वे अपने आप से उसको ठीक करेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मैं कहता हूँ कि यह हुआ था क्या ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरे पास इतनी डिटेल में सूचना नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो आखिर रिपोर्ट आयेगी, उसमें मालूम हो जायेगा।

श्री भैरूंसिंह—एतराज यह भी था कि मस्टर रोल कम्पेअर नहीं किया गया था।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने कहा कि पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। जो रिपोर्ट आयेगी उससे पता लगेगा।

श्री भैंरोंसिंह—जो अकाउन्ट सबमिट किया है, उसके अन्दर इसको वेरीफाई किया है; क्या यह सच है ?

श्री अध्यक्ष—उनको पता नहीं है, ये कहती हैं। Next

प्रश्न संख्या ४९

जागीरदारों को उनकी जागीर समाप्त होने का मुआवजा बोन्ड्स के रूप में

श्री जगतसिंह झाला—क्या मन्त्री जागीर विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

सरकार कब तक जागीरदारों को उनकी जागीर समाप्त होने का मुआवजा बोन्ड्स के रूप में देने का विचार रखती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (मन्त्री, जागीर विभाग की ओर से)—आशा है सन् १९५७ के प्रारम्भ में ही मुआवजा बोंड्स के रूप में देना शुरू हो जावेगा।

श्री भैरूंसिंह—आपके फार्म्स कब छप कर तैयार होंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—छपने के लिए भेज दिये गये थे।

श्री भैरूंसिंह—कब भेज दिये गये थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कब भेज दिये गये थे ?

(विराम)

रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया और सिक्योरिटी प्रेस नासिक ने नमूने भेजे थे, वे राजस्थान गवर्नमेंट ने पास करके रिजर्व बैंक में भेज दिये थे।

श्री जगतसिंह झाला—५६ के बोन्ड्स देने के लिए घोषणा हो चुकी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी ५६ तो चल ही रहा है। मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा। वैसे बोन्ड्स सम्बन्धी नियम बन चुके हैं, वे राजस्थान सरकार द्वारा पास भी हो चुके हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया और सिक्योरिटी प्रेस ने नमूने भेजे थे। राजस्थान सरकार ने उनको पास करके रिजर्व बैंक को भेज दिया है। इससे ज्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री शम्भुसिंह—क्या यह सही है कि निगोशियेबल बोन्ड्स होंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह आप रूल्स देख कर मालूम कर लेना कि निगोशियेबल बोन्ड्स होंगे या नहीं ?

श्री अर्जुनदास—Does the Minister not know ?

श्री अध्यक्ष—We cannot press the Minister for a reply, informations which are otherwise available.

श्री शम्भु सिंह—क्या फाइनेन्स मन्त्री मेरे प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नियम बना कर गजट में प्रकाशित होने के लिए भेज दिये थे। आप गजट में देख कर मालूम कर लें।

श्री शम्भु सिंह—नियमों में क्या प्रेस्क्राइब्ड है, क्या यह बता सकते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं आपको बता दूंगा।

श्री शम्भु सिंह—सदन में नहीं बता सकते क्या ?

श्री अध्यक्ष—आपके पास सब इन्फोर्मेशन के लिए गजट भेजे जाते हैं, उसके लिए असेम्बली इतना खर्चा करती है; आप उसको देखने का कष्ट करें और मालूम कर लें कि निगोशियेबल बोंड्स हैं या नहीं।

प्रश्न संख्या ५०

झुंझुनू विकास बोर्ड द्वारा गिलों की ढानी (ग्राम मोडकी) का कूआ बनाने हेतु स्वीकृत धन-राशि

श्री भैरूंसिंह (श्री अवनिकुमार मुकर्जी की ओर से)—क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या झुन्झुनू डेवलपमेन्ट बोर्ड से गिलों की ढानी सरहद ग्राम मोडकी में कोई रकम कूआ बनाने के लिए दी गई है ? अगर हां, तो उक्त कूआ कब और कहां पर बना है ?

(२) क्या यह सही है कि कूआ श्री शिवनाथसिंह वकील, झुन्झुनू के या उनके घरवालों के खेत में बना है जहां उससे सिंचाई की जावेगी और यह कि उनके घर के अलावा वहां पर और किसी का घर नहीं है ?

(३) क्या सरकार को यह पता है कि इस कूवे के लिये अकाल समिति झुन्झुनू व जिला बोर्ड झुन्झुनू की तरफ से भी काफी रकम मिली है और उससे कूआ बना है और डवलपमेंट बोर्ड से जो रकम प्राप्त की गई है वह फर्जी हिसाब पेश करके की गई है ? उक्त बोर्ड से रकम किसने प्राप्त की है और वे श्री शिवनाथसिंह वकील के क्या लगते हैं ?

(४) क्या सरकार इस कूवे के हिसाब की जांच करवायेगी ?

श्री सम्पतराम (उप-मंत्री) — १ गिलों की ढानी सरहद ग्राम मोडकी में कोई रकम कुवा बनाने के लिए नहीं दी गई है।

(२) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(३) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(४) प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या ५१

बन्दोबस्त विभाग में अमीनों से इन्सपेक्टर बनाने के आधार

श्री भोपालसिंह — क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सेटिलमेन्ट डिपार्टमेंट में अमीनों से इन्सपेक्टर बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रख कर प्रमोशन दिया जाता है ?

(ख) अभी नवम्बर सन् ५६ में जोधपुर और पाली सेटिलमेन्ट ऑफिसर के हल्के में किन २ अमीनों को इन्सपेक्टर बनाया गया है और उनकी सीनियरिटी नम्बर, अपोइन्टमेन्ट की तारीख और क्वालिफिकेशन क्या हैं तथा कितना रकबा उन्होंने पैमूद किया है ?

(ग) जोधपुर सेटिलमेन्ट ऑफिसर के हलके में सीनियरिटी के आधार पर कभी भी कोई प्रमोशन न देने का कारण क्या है ?

(घ) सीनियोरिटी नम्बर ११८,६७०,४२०,४१९ को इन्सपेक्टर बना देने और नम्बर २६, १६४, २१८, २३२, २३४ को नहीं बनाने के क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या सरकार अमीनों को भविष्य में उनके हक के मुआफिक प्रमोशन देने की व्यवस्था करेगी !

श्री संपतराम (उप—राजस्व मन्त्री)—(क) सैटिलमेन्ट के अमीनों को इन्सपेक्टर बनाते समय निम्नांकित बातों का ध्यान रख कर प्रमोशन दिया जाता है :

(१) शिक्षा सम्बन्धी योग्यता

(२) पैमूद के कार्य का अनुभव

(३) पिछला सेवा काल, एफिशियेन्सी और सीनियोरिटी। उपरोक्त बातों के आधार पर सैटिलमेन्ट ऑफिसर सैटिलमेन्ट कमिश्नर को अमीन को प्रमोशन दिये जाने के लिए सिफारिश

करते हैं और सैटिलमेंट कमिश्नर उन सब बातों की जांच कर फिर प्रमोशन किये जाने की आज्ञा प्रचलित करते हैं।

(ख) सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण पत्र में अंकित है।

(ग) प्रश्न के खण्ड (क) में वर्णित सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही प्रमोशन दिया जाता है, केवल सीनियोरिटी के आधार पर नहीं।

(घ) उत्तर खण्ड (ग) के आधार पर इसका प्रश्न ही नहीं उठता। प्रमोशन की सब बातें नहीं होने से प्रमोशन नहीं दिया जा सका।

(ङ) प्रमोशन खण्ड (क) में वर्णित निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर ही दिया जाता है और इसका सदैव ध्यान रखा जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भोपालसिंह—जिन शख्सों को प्रमोशन दिया गया है, क्या यह सच है कि उनमें सब बातों की कमी है जो आपने बताई हैं। उनमें इन सब बातों को देखा नहीं गया है ?

श्री संपतराम—ऐसी बात नहीं है। आप उदाहरण पेश करें, उस पर एक्शन लिया जायगा।

श्री भोपालसिंह—इस प्रश्न में जिनका उल्लेख है उनके लिए आप क्या जवाब देते हैं ?

श्री संपतराम—मेरे ख्याल से आपको सूची मिल गई है, उसमें आप देख सकते हैं।

श्री भोपालसिंह—मुझे कोई सूची नहीं मिली।

श्री संपतराम—हमने पेश कर दी है।

श्री भोपालसिंह—क्या यह सही है कि कुछ अमीनों को प्रमोशन नहीं दिया गया। उनके कार्य को देखने के लिए उनका प्रमोशन रोक दिया गया है।

श्री सम्पतराम-ऐसी बात नहीं है। एक दो केसेज में अमीनों का इन्सपेक्टर की पोस्ट पर प्रमोशन नहीं हुआ है। क्योंकि वे जिले में सेटिलमेंट ऑफिस में नियुक्त हुए हैं।

Page No 22

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि एक समिति की नियुक्ति हुई थी जिसके समक्ष अमीनों के इन्टव्यू हुए और इन्टरव्यू में मार्क्स दिये गये ?

श्री सम्पतराम—मैंने अमीनों के प्रमोशन के बारे में प्रोसीजर बता दिया है।

श्री भैरोंसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि समिति के सामने अमीनों के इन्टव्यू हुए और उसकी रिकमंडेशन पर प्रमोशन मिले हैं ?

श्री सम्पतराम—राजस्थान में हर जिले में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप किसी खास जिले के लिए कहें तो जवाब दूं।

श्री भैरोंसिंह—दो जिले, जिनका उल्लेख प्रश्न में है, उनमें ऐसी व्यवस्था है या नहीं ?

श्री सम्पतराम—इन दो जिलों में कमेटी बनाने का सवाल नहीं है। सेटिलमेंट कमिश्नर की सिफारिश पर सेटलमेंट कमिश्नर प्रमोशन दिये जाने की आज्ञा देते हैं।

श्री भैरोंसिंह—राजस्थान के पाली जिले में समिति के सामने इन्टव्यू हुए या नहीं ?

श्री सम्पतराम—मैं समझा नहीं।

श्री भैरोंसिंह—पाली में ऐसी व्यवस्था है या नहीं ?

श्री सम्पतराम—जानकारी प्राप्त करके इन्फोर्मेशन दे दी जायगी।

श्री भोपालसिंह—क्या सरकार इस स्थिति में है कि ऐसी व्यवस्था हर जिले में हो ?

श्री सम्पतराम—करने की स्थिति में है।

श्री भोपालसिंह—क्या जो प्रमोशन हुए हैं उनको कमेटी के सामने इन्टव्यू देने पड़े थे।

श्री सम्पतराम—यह हो सकता है कि सेटलमेंट कमिश्नर ने इसके अलावा कोई प्रासीजर सेट अप कर लिया होगा। जिले के हर गांव में इन्टव्यू नहीं किये गये। राजस्थान के हर जिले में कमेटी मुकर्रर नहीं हो सकती।

भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—गवर्नमेंट का मतलब सेटलमेंट कमिश्नर से आता है, तो क्या सेटलमेंट कमिश्नर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है ?

श्री संम्पतराम (उप-मंत्री)—हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट अपनी मर्जी के अनुसार ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, अपनी इच्छानुसार ऐसी कमेटी बना सकता है।

श्री भैरोंसिंह—प्रश्न यह है कि उन्होंने ऐसी कमेटियां बनाई हैं कि नहीं ?

श्री सम्पतराम—ऐसी इन्फोर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि उनका क्या काम है, क्या क्या उन्होंने किया है ।

(श्री भोपालसिंह के अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आपको पहले पूछना चाहिये, आपका प्रश्न है ।

श्री भोपालसिंह—सीनियोरिटी नम्बर ६१८, ६७०, ४२०, ४१६ का इन्स्पेक्टर बना देने और नम्बर २६, १६४, २१८, २३२ और २३४ को नहीं बनाने के क्या कारण हैं ?

श्री सम्पतराम—अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका चार्ट दे दिया है, उसमें इसका उत्तर देख लें ।

श्री अध्यक्ष—आपने दिया नहीं होगा ।

श्री सम्पतराम—Not recommending seniority No. 618.........

(विराम)

श्री रामप्रसाद हैं, उनके बारे में लिखा है:

"Ram Prasad.........Matriculate........."

श्री अध्यक्ष—I don't allow the discussion of personnel in the House. Only general information.

श्री सम्पतराम—I have already explained, Sir.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ५२

जिलों की सीमाएं पुनर्निर्माण हेतु कमीशन की नियुक्ति एवं उसकी रिपोर्ट

श्री जेठमल चौधरी—क्या प्रशासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिलों की सीमाएं पुनर्निर्धारण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

[श्री जेटमल चौधरी]

(ख) क्या यह सच है कि भूतपूर्व राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक कमीशन बिठाया था ?

(ग) यदि हां, तो कमीशन ने मुख्य मुख्य क्या सिद्धान्त निर्धारित किये हैं ?

(घ) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) जी हां।

(ख) यह सच है कि गवर्नमेंट ने इस प्रकार की कमेटी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एन्ड तहसील्स के लिये और कमिश्नरशिप के रीऑर्गेनाइजेशन के लिये बनाई थी।

(ग) कमेटी द्वारा रिपोर्ट सबमिट करने से पहले ही उसके काम को एबेयेन्स में रखने के आदेश गवर्नमेंट द्वारा दे दिये गये थे क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली थी।

(घ) स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिशन की सिफारिशें ही इस कमिशन की जांच का मूल आधार होगा इसलिये जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाय तब तक इस बारे में नहीं कहा जा सकता।

श्री चांदमल मेहता—यह कमेटी कब बनी थी ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा—तारीख के बारे में अगर आप डेफिनेट क्वेश्चन पूछें तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कमेटी को जो वक्त रिपोर्ट देने के लिये दिया गया था उस वक्त में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी और उस समय तक एस० आर० सी० की रिपोर्ट सामने नहीं थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उस समय में नहीं दी थी और एस० आर० सी० की रिपोर्ट आई तभी तो एबेयेन्स में रखा।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि कमेटी को अपनी रिपोर्ट जितने समय में पेश करने के लिये कहा गया था जैसा कि सन् १९५५ में माननीय मुख्य मन्त्री ने रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एन्ड तहसील्स के सम्बन्ध में एक कमेटी बनाने की घोषणा की थी; क्या यह सच है कि घोषणा में जो वक्त दिया था उस समय में कमेटी ने रिपोर्ट कर दी ?

Page No 25

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो वक्त दिया था उस वक्त में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी।

श्री चांदमल मेहता—वक्त में रिपोर्ट नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कई सवाल कमेटी के सामने आते हैं, कोई लम्बा सवाल आ जाता है तो उसमें समय लग जाता है। कभी कभी समय पर कमेटी की मीटिंग भी नहीं हो पाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या उस कमेटी ने समय एक्सटेन्ड करने के लिये लिखा था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह मूल प्रश्न करें तो उत्तर दिया जा सकता है।

श्री जेठमल—यह रिपोर्ट कब तक पेश हो जाने की उम्मीद है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह नहीं कहा जा सकता कि कब पेश होगी ?

श्री जेठमल—क्या अजमेर के क्षेत्र को भी इसमें शामिल लिया जायगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां।

श्री जेठमल—अजमेर के कौन सदस्य इसमें होंगे ?

श्री अध्यक्ष—Personnel of the Committee.

श्री जेठमल—अजमेर के क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है, तो अजमेर के पर्सनल कौन होंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जयपुर के कमिश्नर थे वे अब अजमेर के कमिश्नर हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह—क्या इस कमेटी ने अपना काम सरकार की आज्ञा से बन्द किया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सरकार की आज्ञा से बन्द किया था।

श्री भैरोंसिंह—किस दिन ऐसी आज्ञा दी थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—३१ अक्टूबर, १९५६ तक यह रिपोर्ट पेश नहीं हुई थी। सरकार ने यह मुनासिब समझा कि अजमेर-मेरवाडा, आबू और सुनेल के शामिल हो जाने से इनको शामिल करके पूरी मुकम्मिल रिपोर्ट पेश की जाय।

श्री भैरोंसिंह—प्रश्न यह है कि इस प्रकार की आज्ञा जारी की गई है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जी हां, आज्ञा जारी की गई है।

श्री जेठमल—इस कमीशन के सदस्यों के नाम क्या क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—परसोनल चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—परसोनल के नाम हैं साहब।

श्री अध्यक्ष—नेम्स चाहते हैं, इस सदन में एनाउन्स किये गये हों तो किस तारीख को किये गये; I don't think they have been announced on the floor of the House.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस वक्त तो मेरे पास नहीं हैं, पर जहां तक मेरी निजी जानकारी हैं, चीफ सैक्रेटरी, एडीशनल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर्स और रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं।

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Himmat Singh.

प्रश्न संख्या ५३

मांगरोल तहसील में "अशोकपुर" नामक कृषि फार्म की भूमि सम्बन्धी विवाद

श्री जगतसिंह झाला (राजा श्री हिम्मतसिंह की ओर से)—Will the Revenue Minister please State :

1, Whether there is a Co-operative Agriculture farm in Tehsil Mangrol, District Kotah called "Ashokpur" ?

2. When and how much land did the Government allot to this farm ?

3. Is it a fact that land from Raroli Kheli was allotted to this farm but not to the landless tenants of the village ?

4. Was there any dispute over the land between the tenants and the members of the "Ashokpur" farm ?

श्री सम्पतराम (उपमंत्री)—1. Yes.

2. The information is as given below :-

Page No 27

[श्री भैरूंसिंह]

Village Bhagiwanpura Tehsil Mangrol	475 bighas.
Village Rarote Tehsil Baran	313 „ 1 Biswas
Village Khedli Keshot Tehsil Baran	504 „ 3 Biswas
	Total 1293 Bighas.

3. Yes.
4. Yes.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ...

श्री बृजसुन्दर शर्मा....The question has been called.

श्री अध्यक्ष—हो गया।

प्रश्न संख्या ५४

राजधानी जयपुर से हटा कर अन्य स्थानों पर मुख्य मुख्य कार्यालय रखने सम्बन्धी

श्री जगतसिंह झाला—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि राजधानी जयपुर से हटा कर कुछ मुख्य मुख्य कार्यालय अन्य जगह स्थापित किये जा रहे हैं ?

(ख) यदि हां तो कौन से, कहां कहां पर व किन किन बातों को मद्देनजर रखते हुए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(क) हां।

(ख) निम्नलिखित कार्यालय जयपुर से अजमेर बदले गये :

१ आयुक्त, जयपुर खण्ड, जयपुर

२ आरक्षी उप महानिरीक्षक (डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस)।

३ आयुर्वेदिक विभाग।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक विभाग जो पहले जयपुर में था किसी कारण से उदयपुर में बदला गया था, वह अब किस कारण से अजमेर बदला गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कारण नहीं होता, अजमेर केपिटल थी और हमारा इरादा है कि जो केपिटल रही है उन स्थानों के महत्व को बनाये रखने के लिये कुछ ऑफिसेज़ बदले जांय।

श्री चांदमल मेहता—क्या और भी कोई विभाग अजमेर बदला जा रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—डिविजनल पंचायत ओफीसर का विभाग भी अजमेर जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अजमेर के महत्व को बनाये रखने के लिए जो विभाग वहां बदले गये हैं वे नाकाफी हैं ?

श्री अध्यक्ष—काफी-नाकाफी का सवाल नहीं है।

Government cannot be compelled to give its opinion, only factual information.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—अब कुल मिलाकर अजमेर में कितने विभाग हो चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह आप संख्या जोड़कर पता लगा लें। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५५

जोधपुर डिवीजन के ३० से अधिक पुराने अध्यापकों के ग्रेड का फिक्सेशन

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर डिवीजन के करीब ३० से अधिक पुराने अध्यापकों के ग्रेड का फिक्सेशन अभी तक नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(ख) जिन पुराने अध्यापकों ने सन् १९५० में मैट्रिक पास कर लिया था और जो उस समय भी ५०-३-८० के ग्रेड में ६४ से ६५ रुपये तक पा रहे थे उनको सन् १९५१ में ५०-४-६० के ग्रेड में रखे जाने का क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि नये मैट्रिक पास अध्यापकों को ५०-४-६०—५-१०० का ग्रेड दिया जा रहा है ? यदि हां, तो फिर इन पुराने अध्यापकों को यह ग्रेड क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्रीमती कामलाकुमारी बेनीवाल (उप-मन्त्राणी)—(क) केवल ५ अध्यापकों के मामले बाकी हैं जो इस मास में तय कर दिये जायेंगे।

[श्री कमलाकुमारी बेनीवाल]

(ख) राजस्थान युनिफिकेशन रूल्स के अनुसार समस्त पुराने अध्यापकों को नये तथा पुराने ग्रेड जो उनको लाभदायक हों चुनने की सुविधा दी गई थी। जिसने जो ग्रेड स्वीकार किया उसको उसी ग्रेड में फिक्स कर दिया गया।

(ग) १-३-५६ से जो नये ग्रेड रिवाइज़ हुए हैं उस पर अध्यापकों से ऑप्शन मांगा है; जो इन रिवाइज्ड ग्रेडों को ऑप्ट करेंगे उनको ये ग्रेड १-३-५६ से दे दी जावेगी।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जिन ५ अध्यापकों का बाकी है उनका कब तक फिक्सेशन हो जावेगा ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह जल्द ही हो जायगा।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—'जल्द' से क्या मतलब, इस वर्ष ही या अगले वर्ष तक ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५६

ऋषभदेवजी (केसरियानाथजी) के मन्दिर के सोने की चोरी सम्बन्धी शासकीय जांच

श्री जगतसिंह झाला—क्या देवस्थान मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि ऋषभदेवजी (केसरियानाथजी) के मन्दिर का सोना चोरी में चला गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(ख) अब तक सरकार ने इसकी जांच के लिए क्या क्या कार्यवाहियां की हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने ट्रस्ट के मेम्बरों को बगैर शरीक किये इस मन्दिर के भंडार का ताला खोला था ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री संपतराम (उपमन्त्री)—(क) जी हां। ७५६॥। तोले सोने के जेवर संभालने के समय कम पाये गये।

(ख) इस सम्बन्ध में सभी नियमित कानूनी कार्यवाही की गई और केस चलकर श्री नवलचन्द जिसकी तहवील में यह जेवर था उसे सेशन्स कोर्ट ने दोषी करार देकर ३ साल सख्त कैद व १००० रु० जुर्माने की सजा भी दे दी। इसके अलावा खोये हुए जेवर की कीमत के सम्बन्ध में पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत में श्री नवलचन्द व उसके दोनों जामिनों से वसूली किये जाने की उदयपुर जिलाधीश के यहां कार्यवाही चल रही है।

(ग) इस मन्दिर के लिए कोई ट्रस्ट कायम नहीं था। अलबत्ता जिस कोटड़ी में भण्डार का कुछ सामान जो बहुत लम्बे समय से बन्द था उस पर कुछ प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताक्षरों की चिट लगी हुई थी और ताला खोलने के समय सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान तथा अन्य श्वेताम्बर, दिगम्बर, व वैष्णव आदि सम्प्रदायों के प्रमुख व्यक्तियों के समक्ष चिट तोड़कर बंद ताला खोला गया था।

(घ) सन् १९५४ में जब मन्दिर के जेवर का सम्हाला किया गया और भण्डार खोलकर तलाश व चैक करने की आवश्यकता के कारण ऐसा किया गया।

श्री चांदमल मेहता—जब ताला तोड़ा गया तो वह जो ट्रस्टीज़ थे उनके सामने क्यों नहीं खोला गया?

श्री संपतराम—जेवर जाने की आशंका थी और उसके लिए तफतीश करने की आवश्यकता थी इसलिए जो व्यक्ति मौजूद थे उनके सामने ताला तोड़ा गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ताला उन व्यक्तियों की अदम मौजूदगी में तोड़े जाने से बहुत सा माला चला गया?

श्री संपतराम—This is wrong.

श्री चांदमल मेहता—जो कमेटी इसके लिए बनी हुई थी उसने शिकायत की कि ताला उनकी अदम मौजूदगी में खोले जाने से बहुत सा माल गायब हो गया?

श्री संपतराम—This is also wrong. There was no trustee at all.

श्री चांदमल मेहता—आपने पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत में वसूली करने की बात कही। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितना रुपया इस कानून के अन्तर्गत वसूल किया जा चुका है?

Page No 31

श्री संपतराम--I have already told that the culprits have already been punished. Punishment has already been given by the Sessions Court.

श्री चांदमल मेहता—आपने कहा कि जो सोनेके जेवरों के बारे में रिपोर्ट आई वह ठीक है, मगर जो रकम पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट की तहत में वसूल करने की कार्यवाही हो रही है वह किस स्टेज पर है ?

श्री संपतराम—यह मैं नहीं कह सकता कि वह किस स्टेज पर है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सारी कार्यवाही कागजों पर हो रही है और वसूली की कोई वास्तव में कार्यवाही नहीं हो रही है ?

श्री संपतराम— जब तक पूरी कार्यवाही नहीं होती तब तक वह कागजों पर ही रहती है।

श्री चांदमल मेहता—इसके लिये कितने समय की और आवश्यकता है ?

श्री सम्पतराम—इसके लिये निश्चित प्रोसीजर है। नोटिस दिया जावेगा और भी सारा काम रूल्स के अनुसार ही होगा।

श्री चांदमल मेहता—आपके पास पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत यह प्रथम रिपोर्ट कब आई ?

श्री सम्पतराम—यह इन्फोंमेशन मेरे पास नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—क्या जिन २ व्यक्तियों के हस्ताक्षर उन सीलों पर थे, उनको ताला तोड़ कर इस बात की सूचना दी गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—Subject to enquiry and judicial...

श्री भैरोंसिंह—यह जुडिशियल इन्क्वायरी के अन्तर्गत नहीं खोला गया। मैं यह पूछना चाहूँगा कि सरकार ने क्या उस सील पर हस्ताक्षर जिन लोगों के थे उनको ताला तोड़ने के बाद इसकी सूचना दी या नहीं ?

श्री सम्पतराम—यह इन्फोंमेशन मेरे पास नहीं है कि उनको इन्फोंमेशन दी गई या नहीं। विशेष स्थिति पैदा हुई इसलिये यह किया गया।

श्री भैरूंसिंह—क्या सरकार ने ऐसा महसूस किया कि ताला खोलना आवश्यक है इसलिये उस समय ट्रस्टीज़ में से किसी को बुलाया जावे या नहीं ?

श्री सम्पतराम—ट्रस्टीज़ कोई इसके थे ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह—जिन जिन लोगों के उस सील पर दस्तखत थे उनको ताला तोड़ने के बाद में भी कोई इत्तिला दी गई या नहो ? कोई वहां उनमें से मौजूद था या नहीं ?

श्री सम्पतराम—यह मैं नहीं कह सकता कि कौन कौन मौजूद थे। मगर वह ताला खोला गया उस समय हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट मौजूद थे, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस मौजूद थे और इसके अलावा भी मौतबिर मौजूद थे। पता नहीं कितना सामान चला जायेगा, इसलिये यह ताला तोड़ना जरूरी था।

श्री भैरोंसिंह—ताला खोलने से पहले सरकार क्या इस नतीजे पर पहुँची या नहीं कि जिनकी मोहर पर दस्तखत थे उनको बुलाया जावे या नहीं ? क्या सरकार ने उनको बुलाना आवश्यक समझा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो हुआ ही है।

श्री भैरोंसिंह—यह नहीं हुआ। किसी को नहीं बुलाया गया। सरकार को यह चाहिये था कि ताला तोड़ कर उनको इत्तिला तो देती।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—तफतीश हो रही थी। रिपोर्ट पेश हुई थी कि चोरी में माल चला गया तो ऐसी हालत में सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस को अधिकार है कि वह किसी को भी बुला कर ताला खुलवा सकता है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि जब सूचना मिली उस समय वहां पर सील पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक आदमी मौजूद था, उसको बुला कर उसके सामने ताला खोला जा सकता था। वह व्यक्ति वहां से दो मील की दूरी पर ही था।

श्री जगतसिंह झाला—वे प्रतिनिधि कौन कौन थे जिनके सामने ताला तोड़ा गया ?

श्री सम्पतराम—मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री जगतसिंह झाला—यह जरूरी प्रश्न है कि इसका उत्तर दिया जाये कि किन किन लोगों के सामने ताला तोड़ा गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उन लोगों के नाम अदालत में आ चुके हैं।

श्री भोपालसिंह—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No 33

प्रश्न संख्या ५७

ग्राम जांवला (तहसील परबतसर) में तकावी वितरण एवं उससे खोदे गये कुए

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले दो वर्ष में ग्राम जावला (तहसील परबतसर) में किस किस को कितने २ रुपये किस २ काम के लिये तकावी के दिये गये ?

(ख) ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने कुए खुदाने के लिये रुपये लिये और कुए नहीं खुदाये ?

(ग) उक्त व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री संपतराम—(क) इसकी सूचना निम्न प्रकार है :

सन् १९५४ में किसी को कोई तकावी नहीं दी गई।

सन् १९५५-५६ में निम्न व्यक्तियों को उनके नामों के सामने अंकित कार्यों के लिये तकावी ऋण दिया गया :

(१) श्री मूलचन्द पुत्र श्री हुकमीचन्द ब्राह्मण	रु० २५०)	बैलों की खरीद को।
(२) श्री रंगलाल पुत्र श्री कैवाईदान दमानी	रु० २००)	,, ,,
(३) श्री नत्थूलाल पुत्र दयाल ढोली	रु० १००)	,, ,,
(४) श्री धर्माराम पुत्र लिछमनराम रैगर	रु० १०००)	कूवा बनाने को।
(५) श्री देवाराम पुत्र गणेशराम माली	रु० ५००)	कूवे की मरम्मत को।
(६) श्री किशनाराम पुत्र उर्जाराम रैगर	रु० १०००)	कूंआ बनाने को।

(ख) अभी तक इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ग) खण्ड (ख) के उत्तर के आधार पर यह प्रश्न ही नही उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन लोगों को कूओं के लिए रकम दी गई है उनमें से किसी ने भी कूए नहीं बनवाये हैं ?

श्री सम्पतराम—अगर इस प्रकार की कोई खास बात माननीय सदस्य बतावेंगे तो उसके बारे में जांच की जावेगी और आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—किन किन आदमियों को कूआ आदि खुदाने के लिये रकम दी गई और उसका उन्होंने उपयोग नहीं किया ? अभी आपने तीन व्यक्तियों के नाम गिनाये जिसनें एक को कूए की मरम्मत के लिये और दो को कुआ बनाने के लिये। जिन लोगों को कुए बनाने के लिये रकम दी गई उन्होंने उस पर एक पैसा भी नहीं लगाया।

श्री संपतराम—हमारे पास इस प्रकार की कोई इत्तिला नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी है या नहीं कि जिसके द्वारा जांच कराई जा सके कि जो रुपया दिया गया है वह उसी के लिये खर्च किया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—जिन्होंने कूए नहीं खुदवाये, इसका क्या उत्तर है ?

श्री संपतराम—इस प्रकार की हमारे पास कोई शिकायत नहीं कि कुए नहीं खुदवाए।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कूए नहीं खुदवाए ?

श्री अध्यक्ष—सभी ने खुदवाये हैं क्या ?

श्री चांदमल मेहता—क्या इस बात की जांच की गई कि जिन लोगों को रुपया दिया गया उन्होंने कूए खुदवाये या नहीं ?

श्री संपतराम—यह पता नहीं कि किन किन ने खुदवाये।

श्री अध्यक्ष—आपने तीन आदमियों को तो रुपये दिये ही हैं। क्या सभी ने कुए खुदवा लिये ?

श्री संपतराम—Yes.

श्री चांदमल मेहता—यह जांच किससे करवाई ?

श्री संपतराम—जांच तो कलेक्टर से ही कराते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या हीरालाल सरपंच को भी कुआ खुदाने के लिये रुपया दिया गया ?

श्री संपतराम—इसका नाम तो इसमें नहीं है। अगर इसका नाम...

श्री अध्यक्ष—Specific पूछना चाहते हैं, जिन्होंने कूए खुदवाये हैं; this should be presumed.

श्री चांदमल मेहता—हीरालाल शर्मा जो जावली का रहने वाला है और सरपंच है उसने कोई कुआ नहीं खुदवाया और उसको रुपये दिये गये थे, क्या यह सही है ?

श्री संपतराम—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मेन प्रश्न यही है। His main intent is...

श्री संपतराम—इसका जवाब मैं दे चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न कवर करता है; the gentleman is a resident of that tehsil and that village,

श्री संपतराम—मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप इसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं कि जावली में कूआ खुदाने के लिए रुपया दिया गया और कूआ नहीं खुदवाया गया ?

श्री संपतराम—हां, इसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं।

श्री चांदमल मेहता—कब तक करावेंगे ?

श्री संपतराम—जब आप ले जावेंगे।

श्री भैंरूसिंह—जब सरकार की तरफ से इनकारी का जवाब है कि किसी को नहीं दिया गया, फिर जांच किस बात की होगी ?...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Reply to question 45 has been received, Sir.

प्रश्न संख्या ४५

नये मध्य प्रदेश का गांधी-सागर डेम राजस्थान की सीमा में होने का सरकार को ज्ञान

राज श्री हिम्मतसिंह (प्रश्नकर्ता श्री जवानसिंह की अनुपस्थिति में)— Will the chief Minister be pleased to state:—

[राजा श्री हिम्मतसिंह]

1. Is it a fact that the Gandhi Sagar Dam of the new Madhya Pradesh is being constructed in the territoty of the State of Rajasthan ?

2. When did this fact come to the notice of the Government of Rajasthan ?

3. Has that part of the territory been ceded to the State of Madhya Pradesh? If so, when ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्री मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में)—1. Yes.

2. The matter has been under consideration since 1951.

3. Not yet. The matter is still under the consideration of the Government.

श्री भैरूसिंह (१६)—क्या यह सही है कि इस गांधी सागर डेम को बनाने से पहले सरकार ने मध्यभारत सरकार को इस बात की कोई इजाजत नहीं दी कि वह राजस्थान सरकार की हद में इस डेम का कन्सट्रक्शन कराये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मध्यभारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में तय हो गया है। जहां कि डैम बनने वाला है उस स्थान के लिए अभी बातचीत चल रही है।

श्री भैरूसिंह—I challege the statement of the Hon'ble Minister; फिर कन्सट्रक्शन किस बात का है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उस डैम के लिए कारखाना वगैरह बनाने के लिए उस जगह पर काम किया गया है और वह हमारे इजाजत से किया गया है क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग वहां पर काम करते हैं। वह जमीन हमारी है, वहां पर जो थाना वगैरह है वह भी राजस्थान का ही है। हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर काम करता है, मगर वह चाहते हैं कि वह जो ८।। मील का एरिया है जहां कि इस बांध का काम चल रहा है वह उनको मिल जाय।

श्री भैरूसिंह (१६)—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से मध्यभारत सरकार को इस बात के ऊपर लिखित में कोई बात नहीं की गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब दोनों सरकारों के एग्रीमेंट से यह चीज होती है तो कोई सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती है। दोनों के ही एग्रीमेन्ट से चम्बल बोर्ड कायम हुआ है।

Page No 37

श्री भैरू सिंह (१६)—एग्रीमेंट में उसका कोई उल्लेख नहीं है। क्या राजस्थान सरकार को यह नहीं मालूम है कि हमारी भूमि पर डैम बन रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह डैम राजस्थान सरकार और मध्यभारत सरकार दोनों का है और इसलिए जहां कि वह जगह मार्क की गई है वहां पर राजस्थान सरकार का अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन है, वह अभी भी हमारे अधिकार में है।

श्री भैरू सिंह (१६)—अभी तो आप कह रहे थे कि मध्यभारत सरकार और हमारे अन्दर समझौता हो रहा है और अभी आप कह रहे हैं कि यह डैम मध्यभारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों का ही बन रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—डैम बनाने की जगह का सवाल है। वह जगह ऐसी है कि पहाड़ जो बीच में पड़ता है वह दोनों ही राज्यों के बोर्डर पर है। अब इस डैम पर जो काम करने वाले मज़दूर हैं, उनके मकान और हट्स जो बन रहे हैं वह राजस्थान सरकार की हद में हैं। वैसे डैम का कन्स्ट्रक्शन दोनों ही सरकारों का है।

श्री भोपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रश्न के उत्तर में लिस्ट अभी तक नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष—(उपमन्त्री, राजस्व विभाग, की ओर संकेत) आप इनको लिस्ट दे दीजिये। आपको इसकी ६ कॉपीं देनी चाहिये, ताकि एक कापी मेम्बर को भेज दी जाय।

राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १६५६ (पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष—श्री रामकिशोर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेंशन) बिल, १६५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेंशन) बिल, १६५६ को पुरःस्थापित करने करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं राजस्थान सिविल कोर्ट्स लॉज़ (एक्सटेंशन) बिल, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान कॉन्टिन्जेन्सी फण्ड बिल, १९५६ (विचारार्थ एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कॉन्टिजेंसी फण्ड बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, इसमें एक अमेंडमेंट बाद में जाकर के होना जरूरी है जोकि मूव किया गया है। राजस्थान कॉन्टिन्जेन्सी फण्ड ऑर्डीनेंस तो रिपील हो गया और इसमें इसका प्रोविज़न है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान कॉन्टिन्जेन्सी फण्ड बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्लॉज़ेज़ २, ३ और ४ को पारित किया जाय।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—क्लॉजेज़ २, ३ व ४ प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २, ३ और ४ स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २, ३ और ४ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ ५

श्री बृजसुन्दर शर्मा—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, हमने सोचा कि कॉन्टिन्जेन्सी फण्ड रिपील करने का इसमें प्रोविजन होना चाहिए और जो अमेंडमेंट इसमें है वह भाषा से साफ नहीं होता है और अच्छा नहीं लगता, और दूसरी चीज यह है कि जो पहले एक्ट के तहत में रूल्स बने हुए थे वे वापिस चालू रहेंगे। इस मंशा से यह दोनों प्रोविज़न्स और सबस्टीट्यूट किए गये हैं जिस से सबस्टीट्यूटस में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सब्स्टीटयूटेड क्लॉज़ ५ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब्सटीटयूटेड क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १, टाइटल व भूमिका भाग।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, शीर्षक और भूमिका भाग स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, शीर्षक और भूमिका भाग विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कॉन्टिन्जेन्सी फण्ड बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान कॉन्टिन्जेन्सी फण्ड बिल, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष—बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेन्ट्स) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेंट्स) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय?

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरूं सिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो कि दिनांक १२-१२-५६ को इस सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करे।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं उसका सम्बन्ध राजस्थान विधान सभा के सदस्यों से है और जब इस बिल से हम सभी का सम्बन्ध है तो हमें इस पर विचार करने से पहले और इसको पारित करने से पहले इस पर बहुत ही गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। जिस समय शुरू में राजस्थान विधान सभा का अधिवेशन हुआ था उस समय यह बिल पहले की राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत हुआ और उसके बाद से अब तक उसी कानून के अनुसार हम सब लोगों का कार्य चलता रहा। अजमेर के राजस्थान में मिलने के बाद इस बात की आवश्यकता हुई कि हम राजस्थान विधान सभा के इमोल्युमेन्ट्स के बारे में दुबारा विचार करें और यह स्थिति इसी कारण से पैदा हुई है इसके कारण से ही आज यह बिल प्रस्तुत हुआ है।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आज मैं यह कहूं कि राजस्थान के विधान सभा के सदस्यों को २०० रुपया माहवार मिलना चाहिए, १२॥ रुपये का उनको एलाउन्स मिलना चाहिए, उनके लिए मैडिकल फैसीलिटीज़ मिलनी चाहिए, टैलिफोनिक फैसीलिटीज़ भी मिलनी चाहिए और इसके लिए कोई दूसरी भी फैसीलिटीज़ सम्भव हो सकें तो सब की सब उनको मिलनी चाहिए लेकिन अब कौन ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि जो इस प्रकार से इमाल्युमेन्टस लेते रहे हैं, क्या हमने उन्हीं के अनुसार काम किया है और यदि हमने उनके अनुसार कार्य किया है तो निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि मेम्बर्स को न केवल दो सौ ही बल्कि इससे भी ज्यादा मिलने चाहिए। लेकिन मैं इस मत का नहीं हूं। मेरा मत ऐसा है कि हम सभी जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते विधान सभा के सभी कार्यों का हमें सही अंजाम देना चाहिए। तो यह तनख्वाह मिलती है और जिस काम की यह तनख्वाह मिलती है, चाहे इसको तनख्वाह कहें या इसको किसी भी शक्ल में मानें हम जनता में उसका पूरा जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें सहर्ष इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम इसका पूरा जस्टिफिकेशन जनता को दे सकें। इस सदन में यदि विधान सभा का सदस्य दो सौ रुपया तनख्वाह लेता है और सदन के बाहर जाता है तो उन छोटे छोटे अल्प वैतनिक कर्मचारियों को हम देखते हैं, जिनकी तनख्वाह कम है, जिनके पास अपने रोजमर्रा के लिए साधन नहीं हैं वैसी सूरत में

[श्री भैरूंसिंह]

अफसोस होता है कि हम वास्तव में राजस्थान विधान सभा में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं ? अगर हम अपने आपको वास्तव में प्रतिनिधि मानते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि क्या हमने अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिये या उनके ग्रीवान्सेज सदन के सामने रखे हैं या नहीं अगर रखे हैं तो उसके बारे में यह सदन कुछ व्यवस्था कर सका है या नहीं। मैं यह जरूर कहूंगा कि हमने यह कोशिश अवश्य की है किन्तु हम उस बात को मनवाने में असफल हुए हैं। असफल इसलिये हुए हैं कि जो सत्तारूढ़ दल था वह बहुमत में था इसलिये वे हमारी बात को स्वीकार नहीं कर सके। इस तरह से अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों की बात नहीं मनवा सके; एक तरफ जब हमारे राज्य में एक तरफ बहुत कम वेतन लोगों को मिलता है और हम लोग २०० रुपया मासिक लेते हैं और उन अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को ज्यादा वेतन नहीं दिलवा सके हैं तो वैसी हालत में हमारे लिये शर्मिन्दा होने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। आज हम इस बिल द्वारा यह व्यवस्था कर रहे हैं हरेक विधान सभायी सदस्य को २०० रुपया मासिक मिलना आवश्यक है तो हमें सोचना होगा कि वह कौन सा मापदंड है जिसके आधार पर हम यह मांग कर रहे हैं कि हमें २०० रुपया मासिक दिया जाय। आज हम जानते हैं कि बम्बई विधान सभा में जहां दो रुपया मासिक था वहां १५० रुपया कर दिया गया है। आज जब कि अन्य विधान सभाओं में इस प्रकार से जो वेतन माननीय सदस्यों को मिलता है उसमें कमी की जा रही है वैसी सूरत में हमें यह देखना है कि आज राजस्थान के अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों की तनख्वाह बहुत कम है इस प्रकार की स्थिति होते हुए हमें यह सोचना होगा कि विधान सभा के सदस्यों को २०० रुपये देना ठीक है या नहीं। आज हम देखते हैं और सुनते हैं कि राजस्थान में पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिये रुपये की आवश्यकता है उसके लिये जनता पर कर लगाये जाते हैं, हमें टेक्स लगाने के लिये विवश होना पड़ता है, इसका मतलब यह हुआ कि अल्पवेतन भोगी लोगों पर टेक्स का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इस अतिरिक्त भार को दूर करने के लिये जहां हम टेक्स की बातें करते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो इस प्रकार की तनख्वाह लेते हैं क्या उस वेतन के लेने से हम गरीब जनता पर ज्यादा भार तो नहीं डाल रहे हैं, निसन्देह यह एक भार है। इसलिये मैं विधान सभा के सदस्यों से अपील करूंगा कि जहां स्वयं की तनख्वाह का प्रश्न हो उसमें कमी करके अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के प्रति अपना दायित्व अनुभव करने के लिये और जनता को भी इस बात की प्रेरणा दें केवल राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिये उदाहरण नहीं होगा बल्कि भारत सरकार के कर्मचारी, बड़े बड़े कर्मचारी जिनका वेतन पांच पांच हजार तक है वे भी हमसे प्रेरणा लेकर अपने वेतन में कटौती करा सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि विधान सभा के सदस्य वालिन्टियरी कट कर उनके लिये प्रेरणा के श्रोत बनें। आज लोन फ्लोट किये जाते हैं, केपिटेलिस्टों के पास ऑफर जाती है कि हमें इन इन कामों के लिये पैसा खर्च करना है और जो भी धन प्राप्त होता है उसका योजनाओं पर खर्च करने के लिये प्रयोग होता है। आज जब कि हमारी राजस्थान सरकार में ३० रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक

[श्री भैरूं सिंह]

लेने वाले अधिकारी हैं, आज हमारे यहां कर्मचारी वर्ग में इतना डिफरेंस है और सोशिलिस्टिक पेटर्न की डींग हांकी जाती है कि हम राजस्थान में सोशिलिस्टिक पेटर्न की ओर बढ़ रहे हैं। आज जब कि हम एक अधिकारी को पांच हजार रुपया वेतन देते हैं दूसरी ओर एक कर्मचारी को ३० रुपया वेतन देते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस आज के युग में नहीं होना चाहिये। आज जब कि हम चाहते हैं कि इन उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती होनी चाहिये वैसी सूरत में वे भी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम भी अपने वेतन में वालिन्टियरी कट करें। इसके बाद हम उन लोगों से अपील कर सकते हैं और हम अपने केस से उनको जस्टिफाइ भी करवा सकते हैं वेतन की कटौती करने में।

सभापति महोदय, इस बिल में हमें यह व्यवस्था भी देखने को मिलती है कि हमें साढ़े बारह रुपया रोज का मिले जब कि हम यहां पर सेशन अटेन्ड करने आवें उसके अलावा २०० रुपया मासिक वेतन और अन्य फेसिलिटीज़ भी मिलें। हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय हैं उनको भी डिप्टी मिनिस्टर की स्टेटस मिले, कार और बंगले की व्यवस्था हो वैसी सूरत में हम अपने आपको, अपने काम को जज करें पहले हम अपना मुंह दर्पण में देखें कि जो कुछ हमारे साथ रियायतें बरती जा रही हैं उसका एवजाना हम अदा कर रहे हैं या नहीं। हमने उसके एवजाने के लायक कार्य किया या नहीं। सभापति महोदय, मैं निहायत नम्र शब्दों में अर्ज करूंगा कि राजस्थान की जनता की तकलीफों को दूर करने में यह सदन असफल हुआ है। आज पांच वर्ष का समय हमारी विधान सभा को हो गया हमने तनख्वाह लेने के बावजूद, जनता के प्रतिनिधि होने के बावजूद, उनकी मूल दिक्कतों को दूर कराने में असफल सिद्ध हुए है इसलिए एज ए प्रोटेस्ट वालिन्टियरी कट करने के लिये हमें तैयार होना चाहिये। और इस प्रकार की व्यवस्था इस बिल में करने के लिये यह ठीक होगा कि विधान सभा मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। और मैं जिन लोगों का नाम सिलेक्ट कमेटी के लिये निवेदन करूं उन्हीं को उसमें रखा जाय तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वे ऐसा प्रतिवेदन सदन के सम्मुख पेश करेंगे कि २०० रुपये तनख्वाह में से इतना कट होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, इसमें एक अधिकार इस प्रकार का है कि सरकार रूल्स बनायेगी। सरकार ने आज से दो साल पहले जब ऐसा ही बिल प्रस्तुत इस सदन में किया था उसमें भी इस बात की व्यवस्था थी कि विधान सभा के सदस्यों को मेडिकल फेसिलिटीज़, टेलीफोनिक फेसिलिटीज़ मिलेंगी। और मिलेंगी तो वह किस प्रकार मिलेंगी सरकार उनके लिये नियम बनायेगी। मैं समझता हूँ जहां तक मेरी सूचना है अभी तक सरकार की ओर से विधान सभा के सदस्यों के लिये इस प्रकार की सहूलियतें होंगी और वे किस प्रकार दी जायंगी उसके लिये नियम नहीं बन पाये हैं। दो वर्ष तक निरन्तर प्रयास करने के बाद भी अभी तक नियम नहीं बना पाई है कि विधान सभा के सदस्यों को क्या क्या फेसिलिटीज़ दी जाएगी। विधान सभा का कोई सदस्य, मेरा

[श्री भैरों सिंह]

खुद का अनुभव है अगर होस्पिटल में जाकर मेडिकल फेसिलिटीज़ की मांग करता है और विशेष तौर से विधान सभा के सदस्यों को अन्य व्यक्तियों के पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिये उनका पहले एडमिशन होना चाहिये। जब हम अस्पताल में जाकर इस प्रकार की फेसिलिटीज़ की मांग करते हैं तो, हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है और उन डाक्टरों को भी शर्मिन्दगी अनुभव होती है। रूल्स नहीं बनने के कारण और उन डाक्टरों के पास सूचना नहीं होने के कारण वे भी हमारे साथ वैसा वर्ताव नहीं करने पाते इन सब बातो के लिये मैं यह आवश्यकता अनुभव करता हूं कि रूल्स बनाने की अवश्यकता नहीं, इसी एक्ट में प्रोवीजन कर दिया जाय कि फलां फलां फेसिलिटीज़ विधान सभायी को होंगी इसके साथ साथ जहां तक टेलीफोनिक फेसिलिटीज़ का सवाल है सारे के सारे विधान सभा के सदस्य किसी न किसी प्रकार राजनीति से सम्बन्धित हैं और किसी न किसी दल से सम्बन्धित हैं, इस कारण हरेक को किसी न किसी प्रकार से प्लीज करने के लिये कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। इसलिये हमारे यहां भी राजनैतिक दलों को जिस प्रकार की सहूलियतें प्रदान की जा सकती हैं, की जानी चाहिये। लेकिन, सभापति महोदय, रूल्स की कमी के कारण विधान सभा के सदस्य अगर अपने यहां टेलीफोन लगाने के लिये दरख्वास्त करते हैं तो उनकी दरख्वास्त को प्रायोरिटी की तौर ट्रीट किया जाना चाहिये किन्तु नियमों के अभाव के कारण वैसा नहीं किया जाता। आर्डिनरी व्यक्ति की दरख्वास्त के मुकाबले विधान सभायी के द्वारा दी हुई दरख्वास्त को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि लोग यह कहें कि यह स्पेशल ट्रीटमेन्ट इनके साथ क्यों रहे, वे भी पब्लिक के एट पार रहें। पर मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जनता के प्रतिनिधि होने के नाते कुछ राजनैतिक सम्बन्ध होते हैं इसलिये कुछ काम अजीब से होते हैं जिनके लिये जनता के बराबर नहीं। यदि इस मामले में उनसे कुछ ऊपर एक स्पेशल कन्सीडरेशन दिया जावे तो इसमें कोई अधिक मांगना नहीं हो सकता। पर राजस्थान की सरकार तो दूसरी असेम्बलियों में जिस तरह से व्यवस्था की गई है उस तरह से भी नहीं कर रही है। इस मेडिकल टेलीफोन व दूसरी ऐसी ही राहत के लिये चाहे उनके अलाउन्स या उनकी तनख्वाह कम कर दी जाय पर आवश्यक बातों को मन्जूर करने के लिये दूसरी सरकारों ने जो व्यवस्था की है कम से कम उतनी तो करे, पर हमारी सरकार तो इन दोनों बातों को लेकर अब तक असफल सिद्ध हुई है।

इसके बाद मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि जो मैं आज तक नहीं कहना चाहता था क्योंकि मैं भी उसमें इन्वोल्व हूँ और वह यह है कि जो क्वार्टर्स एम. एल. एज के लिये बने हैं उनमें से एक में मैं भी रहता हूँ। पर आज सात महीनों के रहने के बावजूद भी और हाउस कमेटी यहां बनी होने के बावजूद भी सरकार अभी तक अपनी कोई स्पष्ट रूपरेखा इसके बारे में नहीं बता सकी है कि कितना किराया इसका होगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज होगा और और क्या क्या लाइबि-

[श्री भैंरूसिंह]

लिटीज होंगी । किराया वगैरह तय करने में राजस्थान की सरकार, जिससे कि यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सब मामलों का शीघ्र निपटारा करे, चाहे तो एक दिन में बैठ कर तय कर सकती है पर आज सात सात और आठ आठ महीनों में भी वह यह मामला तय नहीं कर सकी है ।

फिर एक अजीब बात है कि इनके बनाने के जो टेन्डर्स आये थे उनके देने वाले अभी तक काम कर रहे हैं। सात महीने उनको तैयार हुए को हो गये पर आज भी कभी किवांड़ों के पल्ले लग रहे हैं, कहीं चिटकनी लग रही है, कहीं कुछ नाप जोख हो रही है । इसका मतलब यह है कि अभी तक सरकार की ओर से इनके कामों की कोई जांच नहीं हुई है कि टेन्डर्स के अनुसार, उनके स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार जो प्लान पेश हुआ उसके अनुसार सारा काम बना कि नहीं। और उनका पैसा ? इसके बारे में जहां तक मेरी सूचना है, वह सब को दे दिया गया है ।

तो इस तरह से यह सरकार हमारे इन क्वार्टरों का तय नही कर सकी है, टेलीफोन और मेडिकल रिलीफ की बातें नही पूरी कर सकी हैं और अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के स्टेन्डर्ड को बढ़ा नहीं सकी है, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन तक अभी नहीं हो पाया है, तो इसके प्रोटेस्ट के तौर पर इसमें कोई वालन्टरी कट करके सदन कुछ ऐसी व्यवस्था दे जिससे सरकार सचेत हो, सरकार के खजाने में फायदा हो और विधान सभा के सदस्य यह महसूस करें कि सरकार के इन कामों के लिये उन्हें भी वॉलन्टरी करना पड़ा है, वरना हमारी तनख्वाह और भी कम होगी इसलिये हम भी सरकार को दबाकर ये काम करने को बाध्य करें।

मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर इस सदन में विचार न किया जाकर यदि सलाहकार कमेटी में यह बिल पहले जावे तो हम अपनी तनख्वाह अलाउन्स और दूसरी फेसीलिटिज़ के बारे में और सरकार की असफलताओं के बारे में ठीक तरह से वहां विचार करके निर्णय ले सकते हैं और यह जो संशोधन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसे प्रस्तुत करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मन्त्री)—मुझे तो इसमें कोई विशेष बात कहनी नह है । यह तो एक ऑर्डिनेन्स पास हो चुका है जिसकी तहत हम बाकी सालों तक तनख्वाह लेते आये हैं, उसको एक्ट में रखने के बारे में है । अब इसमें सिलेक्ट कमेटी में जाने से कोई परिवर्तन होने से रहा ।

अब वॉलन्टरी कट का जहां तक सवाल है उसमें आप (श्री भैरूंसिंह) अपनी तनख्वाह में से जो भी वॉलन्टरी कट करें उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा । (हंसी) और जो भी सदस्य ऐसा करेंगे उससे तो खजाने में फायदा ही होगा । इसलिये मेरी इच्छा है कि अब इस पर मत ले लिया जावे ।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—इस पर तो प्रत्युत्तर की आवश्यकता नहीं है ?

श्री भैरूं सिंह—थोड़ी आवश्यकता है ।

श्री सभापति—इतना साफ उत्तर है । इस पर भी ?

श्री भैरूं सिंह—पर, सभापति महोदय, इसका बहुत गहरा असर है इसलिये दो शब्द कहना चाहता हूं । मैं वॉलन्टरी कट करूं यह उनको स्वीकार है, सबके लिये स्वीकार नहीं इसलिये कुछ कहना जरूरी हो गया है ।

सभापति महोदय, मैं यह चाहता था कि अकेले मेम्बर के नाम से कोई वालन्टरी कट न हो । मैं चाहता था कि सभी सदस्य और माननीय मन्त्री महोदय भी इस प्रोटेस्ट में, कि हमारी सरकार कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में सुधार नहीं ला सकी है और विधान सभा के सदस्यों की जिम्मेदारी थी कि हम दो सौ लें तो हमारे से कम पाने वालों के स्टेन्डर्ड को बढ़ाने के लिये प्रोटेस्ट रूप में हम वॉलन्टरी कट करें ताकि बड़ी तनखा पाने वाले कर्मचारियों में आयन्दा वृद्धि न हो और जो बड़ी बड़ी तनख्वाह पाते हैं वे भी हमारा अनुसरण करके कोई कट करें। यह तो विधान सभा की ओर से सबको एक प्रेरणा देने का प्रश्न है । अगर मेरे अकेले से यह प्रेरणा मिलती है और कम से कम आपको (वित्त मन्त्रीजी को) भी मिलती है और आप अगर अपनी तनख्वाह में से मेरे कारण से कट करने को तैयार हैं तो मैं सहर्ष कट करने को तैयार हूं और यही नहीं, यहां तक तैयार हूँ कि अपनी दो सौ रुपये की तनख्वाह भी न लूं, अगर इससे माननीय मन्त्रीजी को यह प्रेरणा मिले और वे भी अपनी तनख्वाहें लेना अस्वीकार कर दें । पर मैं मानता हूँ कि वे ऐसा करने वाले हैं नहीं, उनको प्रेरणा मिलने वाली है नहीं । (हंसी) तो यह सामूहिक रूप से विधान सभा द्वारा कट करने का प्रश्न था जिससे कि निःसन्देह जनता को भी प्रेरणा मिलेगी और हमारी सरकार को भी और वह यह सोचेगी कि जहां इतने अन्तर हैं वेतन में कि तीस रुपया पाने वाले से लेकर पांच हजार तक पाने वाले हैं तो इस डिफरेन्स को धीरे धीरे सरकार कम करे । इसलिये चाहूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे और अगर सदन नहीं चाहता है, जैसा कि मन्त्रीजी की बातों से लग रहा है और मन्त्रीजी भी नहीं चाह रहे हैं और उनको भी यह बात कुछ अटपटी सी लग रही है तो इस तरह से एक अनप्लेजेन्ट एटीट्यूड बने, ऐसा वातावरण बनाना मैं भी पसन्द नहीं करूंगा । इसलिये चाहूँगा कि सभापति महोदय मुझे मेरे प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करें ।

श्री अर्जुनदास—On a point of order, Sir, there is a point of order that this Bill is illegally introduced, cannot be considered at all. I will refer your honour to Rule 94.

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

[श्री अर्जुनदास]

I have to rise to a point of order. The present Bill is in violation to Rule 94. Rule 94 reads as under:—

"(1) Whenever a Bill seeking to replace an ordinance with or without notification is introduced in the House, there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which necessitated immediate legislation by Ordinance."

No statement has been conveyed to us either in this Bill or otherwise and in the absence of such a statement in the Bill (the objects and reasons of the Bill as contained at the bottom) no such Bill can possibly be introduced.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Mr. Dy. Speaker, Sir, the Ordinance itself was circulated with the Bill which contains the necessity of promulgating that Ordinance. Therefore the statement in the Ordinance is very clear and it should form part of the Bill which has been introduced. It is not necessary that a separate statement should be given. The copy of the Ordinance has been sent with the Bill which lays down the necessity of promulgating that Ordinance.

श्री अर्जुनदास—Sir, I think this is nothing but backing the question itself. Is there any compliance with Rule 94 ? Have you laid down in this Bill anything to suggest why this Ordinance was promulgated ? You can't say that. In the ordinance it was given six or seven months back. But we are concerned today. If you fail to do, please accept that failure and request the Deputy Speaker to hold that it is ultravires.

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा--It ought to have been said when this Bill was introduced here today is consideration stage, the statement was put forth. It is not necessary now.

श्री अर्जुनदास--The rules says.

श्री मथुरादास माथुर—That stage has passed now.

श्री भैरोंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, देखना यह है कि स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह गलतीवश किया जा रहा है या किया जाना चाहिए था और नहीं किया गया इसलिए इसका उल्लेख होना चाहिए तो मैं समझता हूं कि वह नहीं है और वैसी सूरत में नहीं हुआ है तो किसी बिल को रिपील करने के लिए अब इस स्टेज पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर--Mr. Deputy Speaker, Sir, the Rule 94 does not say that in the Bill itself there should be a statement. What the clause reads is that

[श्री मथुरादास माथुर]

it should be placed in the House. "When a Bill seeking to replace...introduced in the House" this clearly says that when this bill was introduced in the House at that time the statement necessiciated by the ordinance should have been placed. This clause does not say that the statement should be given at this stage. When the bill was introduced a statement was placed before the House.

श्री अर्जुनदास—Please show us.

श्री मथुरादास माथुर—I am occupying the floor and the Hon'ble Member should not intervene.

So the interpretation is that with the aims and objects of the Bill there should be a statement. The rules do not add the words "along with" and so it is not necessary that the statement should be given. When the Bill was introduced the statement was given. It is according to the clause.

श्री उपाध्यक्ष—It was along with the bill. It was not published, but both were placed at the same time.

(विराम)

श्री मथुरादास माथुर—(भैरोंसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर) After the Chair's Ruling what more you want ?

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—Is it the permission of the House ?

(स्वीकृत)

Permission is given.

श्री भैरोंसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाय ?

Page No 48

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the Bill be taken into consideration ?

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved,

(विराम)

प्रश्न यह है कि यह विधेयक पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ ।

(करतल-ध्वनि)

(विराम)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय; May I seek permission of this House to just bring to your notice that there is consequential thing which should have been then, but of course, it could not come to my notice and that is that there is an amendmeut to his clamm 13, and I hope the House has no objection if I may be allowed to put.

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की इजाजत है ?

श्री भैरोंसिंह(१६)—उपाध्यक्ष महोदय, मै यह निवेदन करूंगा कि यदि कॉन्सिक्वेन्शयल अमेंडमेंट है तो मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय को ऐसे अधिकार हैं कि संशोधन कर दें । लेकिन जिन माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखा है उनकी मान्यता इस प्रकार की है, जहां तक मैं समझता हूं, यह कॉन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट है और इसको पास कर देना चाहिये तो उनकी मान्यता के अनुसार और मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा कॉन्सिक्वेशियल अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए इसको सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा न दी जाय और अगर आज्ञा दी जाती है तो उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस प्रकार की परम्परा बनेगी कि कानून पास हुआ और कोई भूल रह गई है तो उसके लिए अमेंडमेंट पेश किया और उसको सदन से पास करा लिया । इस प्रकार की गलत परम्परा न बने, इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि इनको इजाजत न दी जाय ।

वत श्री शंभुसिंह—On a point of order, Sir, यह बिल जब कि पास हो गया है और इसका थर्ड रीडिंग भी खत्म हो गया तो यह जो कॉन्सिक्वेशियल अमेंडमेंट आ रहा है वह किस रूल के तहत में आ रहा है ?

श्री अर्जुनदास—There cannot be possibly any amendment after the Bill is passed.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Then let it remain, Sir, I have no objection.

श्री भैरोंसिंह—पहले तो यह करिये कि यह कन्सिक्वेशियल अमेन्डमेन्ट है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—Indirectly it covers.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I may clear sections 24 and 29. I do notknow when a particular enactment is repealed all rules and by-laws which were in force before the new rules are framed, will remain in force, and therefore, it should be repealed. This is consequential amendment. According ot General Clauses Act all rulesand -byelaws, which were in force before a new enactment, will be removed and repealed.

श्री अर्जुनदास—We shall discuss this thing between ourselves and not here.

श्री मथुरादास माथुर—My submission is that as the Hon'ble Member has said that we shall discuss in the Court of Law, outside this house, it is still high time why this lacunae be allowed to remain.

श्री अर्जुनदास—I didn't tell in the court of law, but it is between us.

श्री मथुरादास माथुर—It may be, but somebody may go and file a writ application that, Sir, this much has not been converted into the Act. Law does not say that the Ordinance was repealed and we must think of the consequence or the amendment you may call it, when the salaries or the Hon'ble Members are detained and the Hon'ble Members will arise and say that it is Badintzam (बदन्तजाम) of the Sarkar (सरकार) there is still time. You are fully empowered to change the provisions in the Act. At this stage you are fully empowered to suspend a rule. It is proper time to redraft the law. It will be detrimental to the interest of the State if by

[श्री मथुरादास माथुर]

mistake this remains or clerical error remains and we could not move in time. This is high time when we should move. There should be no lacunae, so that there may be no difficulty in future and the Advocate General will have to argue in the Court of Law. So I think you may permit the Hon'ble Minister, and we should pass this thing also.

श्री उपाध्यक्ष—दोनों कन्करेन्ट तो प्लान में रहते नहीं। मतलब तो निकलता है कि रिपील हो जाता है लेकिन it ought to have been done और इसको मानकर कि हाउस के पॉवर सुप्रीम हैं लेजिस्लेटिव के मामले में इसलिए हाउस के सामने यह बात रखी गई है कि हाउस इसको परमिट करे। नोर्मल कोर्स के अन्दर गल्ती हो गई है, लेकिन हाउस चूंकि गलती ऐसी है जिसके अन्दर कोई नई बात इन्ट्रोड्यूस करने की नहीं है, it is a paft of the legislation; तो सोचना चाहिए था और यह समझते हुए कि by mistake it has been left so the House will permit it to be passed. मेरे ख्याल से सदन की इजाजत है इसके लिए।

(सरकारी पक्ष की ओर से 'हां' की अवाजें)

श्री भैरोंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहेंगे कि कोई इस प्रकार की इस पर रूलिंग दी जाय, व्यवस्था दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह नोर्मल कोर्स में लेने की चीज़ नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—जिस व्यक्ति ने गलती की है वह सदन से माफी मांगे कि उनकी गलती हुई है, फिर उन्हें क्षमा किया जाय। सदन इस बात के लिए कम्पीटेन्ट है कि क्षमा किया करे और क्षमा करने के बाद सदन में इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करे तो ज्यादा अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—वह गलती मानते हैं।

श्री मथुरादासमाथुर—यह गलती उन्हीं की वजह से हुई है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—(हंसी के साथ) सदन माफ करके इजाजत देता है।

श्री भैंरोंसिंह—वह खड़े होकर क्षमा मांगें कि सदन उन्हें माफ करे तो उसके बाद में माफ करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी विशेष फोर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं दिखती है। It amounts to this. सदन की इजाजत है इसलिए श्री शर्मा will introduce it.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ 13 के बजाय ५६ क्लॉज़ सब्स्टीट्यूट होना चाहिये जो कि इस संशोधन में दिया हुआ है। इसका सबक्लॉज़ (१) है :

"the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members emoluments) Ordinance, 1956 (Rajasthan Ordinance IX of 1956) is hereby repealed."

इसका सबसिक्वेन्ट क्लॉज़ है :

"The said repeal shall not affect the rules made under the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1952 (Rajasthan Act XV of 1952) in force in the per-re-organisation State of Rajasthan and such rules as in force immediately before the appointed day shall continue to be in force and shall be deemed, until new rules are made under this Act, to have been made thereunder."

श्री शंभुसिंह—Mr. Dy. Speaker Sir, on a point of order. Sir, यह एमेंडमेंट सर्कुलेट होना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सर्कुलेट हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—Criculated.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बृजसुन्दर शर्मा ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

यह नोर्मल प्रिसीडेन्स नहीं लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन स्वीकार कर लें लेकिन संशोधन कौन से कानून में स्वीकार कर लें। जो कानून कन्सीडरेशन की स्टेज में नहीं है उस कानून के लिए कोई संशोधन स्वीकार कर सकते हैं या नहीं ? मैं समझता हूं कि नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का संशोधन उस कानून के लिए कोई मतलब नहीं रखता है। The stage has already passed, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—So far as this clause is concerned it may be presumed not to have been passed, therefore, this amendment was allowed. And,

[श्री उपाध्यक्ष]

therefore, it is an amendment to this thing; and, therefore, it can be passed, and completely regular.

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह समझकर चल रहे हैं कि यह कन्सीडरेशन की स्टेज का है, तो माननीय मन्त्री जी को चाहिये था कि वह एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें, बिल को कन्सीडरेशन के स्टेज पर लाया जाय और फिर संशोधन प्रस्तुत करें ताकि हम ठीक ढंग से संशोधन मन्जूर कर लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को इस संशोधन के सहित पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हम इसको पारित कर चुके हैं, प्रोसीडिंग देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—इसीलिये तो यह सारी डिफीकल्टी थी और सदन की इज़ाज़त लेने का सवाल पेश आया और नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्दर वह बात नहीं आ रही थी। वह हाउस की सस्पेन्शन पॉवर्स में इनवोल्व (involve) किया गया और इसको सस्पेन्ड करके एमेंडमेंट को पारित किया गया है।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन अब स्वीकार किया गया है उसके सहित यह विधेयक पारित किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

"हां" पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, 'ना' पक्ष जीता।

श्री मथुरादास माथुर—Ayes have it, Sir.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—वोट ले लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर—हां, ले लें साहब।

(मत विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बृजसुन्दर शर्मा ने प्रस्तुत किया है उसके साथ इस कानून को पारित किया जावे। पहले जो हुआ है उसको सस्पेन्ड मानकर वापिस पारित किया जावे।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ?

श्री भैरूंसिंह—जी नहीं, ना पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष—'हां' पक्ष वाले अपने स्थान पर खड़े हो जावें।

श्री भैरूंसिंह—On a point of order, Sir, सस्पेन्ड इस संशोधन को किया है या कानून जो पास हुआ है उसको सस्पेन्ड किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—पारित करने का जो प्रोसिजर है उसको सस्पेन्ड किया है।

श्री भैरूंसिंह—पारित करने के प्रोसिजर को यदि आप सस्पेन्ड करते हैं तो अभी इसको पारित करने की नौबत नहीं आती।

श्री मथुरादास माथुर—चेअर की तरफ से रूलिंग दो तीन बार हो गई है।

श्री भैरोंसिंह—प्रोसिजर पास करने का सस्पेन्ड हो गया तो इसे पास करने की कोई बात ही नहीं हो सकती।

श्री मथुरादास माथुर—There cannot be any point of order after your ruling, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—वोटिंग के टाइम पर कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—जो इसके पक्ष में हैं वे खड़े हो जावें।

(पक्ष वाले खड़े हो जाने के पश्चात्)

अब ना पक्ष वाले खड़े हो जावें।

श्री जवानसिंह—Mr. Deputy Speaker, Sir, we cannot be a party to anything which is so much irregular. Therefore in protest we stage a walk out.

विरोधी दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष—You see, you have been consulted and I do not think there is any reason.....

(विराम)

ना पक्ष वाले जो कोई हैं वह खड़े हो जावें।

एक माननीय सदस्य—ये लोग वाक आउट कर गये।

श्री उपाध्यक्ष—बिल संशोधित रूप से पारित किया गया।

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) विधेयक, १९५६
(अग्रेतर विचार आस्थगित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री अर्जनदास—I propose that the Bill be referred to Select Committee. Sir, the purpose of my amendment is to suggest that there are good many legal difficulties in the Bill as drafted and as placed before us. The Bill soould have been drafted in a better manner, and for that purpose alone I suggest that the Bill should be sent to a Select Committee so that it may be possible to remove so many lecuneas that we find in the Bill. I will tell you what is the position under the present Bill.

Firstly, in clause 3 (a) : "the office of a Minister of State or Deputy Minister;". 'State' means this State; that is, as the clause reads, the Minister of another State would not be disqualified, even though he be a voter here.

(राज्य पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा 'नकारात्मक' सूचक सिर हिलाने पर)

The Bill should be read as you get it. 'State' means the State of Rajasthan. Even the Minister of the State of Rajasthan will not be disqualified whereas

[श्री अर्जुनदास]

if somebody were a Minister of some other State, he may be disqualified there, but I am particularly referring here. For example, if we had a similar legislation like this in Madhya Pradesh, our Hon'ble Finance Minister would be disqualified there. That is the position. I hope I am clear to the House. The other thing we get is....

श्री मथुरादास माथुर--How can he be Finance Minister here when he is a Minister there ?

श्री अर्जुनदास—Take the case of our Hon'ble Finance Minister of this House. Supposing he were to contest in Madhya Pradesh and a similar legislation were prevailing there, he would be disqualified to contest the election there. Similarly if some person were a voter of Rajasthan and he were a Minister of some other State, he will be disqualified here. Therefore, I suggest that we should send this Bill to a Select Committee which may look to all the legal aspects of this Bill.

Another difficulty arises in respect of part (b) of clause 3. "The office of a Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under Secretary;". Here you have used the words 'of the State'. In sub-clause (a) you have used 'of State'; but in (b) you have not used the word 'State'. That is quite general. But let both the clauses be identical. Take whatever line you want-whether Minister or Parliamentary Secretary-of this State or any State in the whole of India, but in these two at least there is a good deal of difference. Then we come up further, Sir, clause (c), "the office of a Chairman or the Member of a Committee set up for the purpose of advising the Government" is not clear. Set up by whom ? It may also mean a Committee set up by a private party; that may also be included. You have not told us whether the Committee is appointed by Government or by this House ? You have not made yourself clear at all.

Then we come down to clause (e). That reads;—

"The office of a Chairman or a Member of the Committee other than any such committee as is referred to in clause (c)". If we had a wide provision as contained in clause (e), why necessarily have clause (c) ? When you say any Committee, it is covered by (c). The members thereof are not disqualified and in the same place you suggest in (c) that a member of any other committee would be equally not disqualified. why have (c) at all ? Clause (c) is covered by (e). Personsof this

[श्री अर्जुनदास]

position are covered by (e). At least it would not meet the brain of any man, if somebody uses his brain, Sir.

Sub-clause "(f)",

" (f) the office of a Chairman, Director, Member or any officer of a Statutory Body" Here also it does not say, a statutory body appointed by whom ? Whether by Government or by anybody else ? And apart from it, Sir, I will suggest that what is the position of sitting M.L.As ? Are they covered by any provision here ? At least as I see it, I feel that the whole of the sitting M.L.As. would be disqualified. You have not removed that disqualfication, even though under the S.R. Act it has been made absolutely clear that the tenure of sitting members of the House shall continue right upto the day when the sessions of the next Assembly is called. We continue to be members and we should continue to be members, You have not removed the disqualification which you have removed, or at least, you are trying to remove in respect of the Ministers. You have done in regard to Hon'ble Ministers, but not Members of this House. Please do not take it in any light. From a legal point of view this Bill as it stands is not properly phrased at all. At the time of nomination papers and scrutiny thereof, there are a good many law points to be raised and any returning officer can put any interpretation. Therefore, I will suggest that the Select Committee alone would be competent to give you an all comprehensive law on the subject, just as you may like to have, so that there might be no difficulty or possibility of conflicting decisions between two returning officers. This is a little suggestion of mine and I think it should be acceptable to the House.

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर एक ऐसा मसला प्रस्तुत हुआ है जिसके बारे में बोलते हुए कुछ ऐसा ही महसूस होने लगा है कि यह अपनी खुदगर्जी की बात है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आए हुए मेरे मित्र ने जो सुझाव प्रस्तुत किया है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय, मैं इसको बहुत उचित मानता हूं। मैं समझता हूं कि इस बिल को बनाते समय, जिन्होंने इस बिल को ड्राफ्ट किया है, उन्होंने राजस्थान की जरूरियात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वे सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट्री एक्ट को पढ़ते चले गए या किसी दूसरे प्रान्त के एक्ट को पढ़ते चले गए, लेकिन इसमें मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है वह यह लगती है कि इसमें लिखा है :—

"the office of a Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under Secretary".

[श्री मानसिंह महार]

पहली चीज तो मैं यह समझता हूं कि अगले आम चुनाव तक राजस्थान में कोई पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी या अन्डर सेक्रेटरी होने वाला नहीं है। इसके अलावा एक क्लॉज जो कि बिल्कुल रिडण्डेन्ट सा मालूम होता है, वह क्यों रखा गया है। सेन्टर पार्लियामेन्ट्री एक्ट में उन्होंने पढ़ा कि पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी या पार्लियामेण्टरी अन्डर सेक्रेटरी मौजूद है, उसकी उन्होंने नकल कर ली। मैं समझता हूं कि जो यह प्रवृत्ति है कि सेन्टर की या कहीं दूसरी जगह की जो नकल की जाती है, यह बात अब हमें छोड़ देनी चाहिए। हमको अपने प्रान्त के अन्दर देखना चाहिए और दूसरे प्रान्तों की नकल करने की प्रवृत्ति को भुला देना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से आशा करता हूँ कि इस बात को हटाने के लिए वे अपनी तरफ से एक अमेंडमेंट रखने के लिए मांग लेंगे। अगर वे इस बात को नहीं मानते हैं तो मुझे एक नया शक होने लगता है कि शायद पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी और अन्डर सेक्रेटरी के पद पर चुनाव के समय किसी को रखने की शायद मंत्रीजी आवश्यकता महसूस करें। (घंटी) किसी पर यह अधिक दबाव डालने की जरूरत हो तो वे इस पद पर इनको नियुक्त करें। (घंटी) श्रीमान् उपाध्यक्ष, यह बिल्कुल रिलेवेन्ट बात है।

श्री उपाध्यक्ष—No relevancy.

श्री मानसिंह महार—जो दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि मंत्रीगण ने अपनी डिसक्वालीफिकेशन, जैसे जैसे आती है, उनको हटा लिया है और अब उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आम चुनाव में जब वे खड़े होंगे तो उनके नोमीनेशन पेपर जा बेजा तरीके से जैसे भी वे रखें, मंजूर किए जा सकते हैं और कोई भी रिटर्निंग आफिसर हिम्मत नहीं करेगा कि उसका नामीनेशन पेपर रिजेक्ट कर दे। जब हमारे नामीनेशन पेपर का सवाल आएगा उस समय, अगर इस कानून को जैसा है वैसा पारित कर दिया जायगा, तो बहुत मुमकिन है कि हम लोगों के नोमीनेशन पेपर्स के प्रति एतराजात उठाए जायं। इसके लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जिस समय मैंने टोंक कांस्टीट्युन्सी से अपना नोमीनेशन पेपर दिया था तो उस समय मुझे कहा गया कि तुम राजस्थान के वोटर हो और राजस्थान के अन्दर मत देने का हक है, इसका सबूत दीजिए। तो मैंने उनको अपना विधान सभा का आइडेन्टिटी कार्ड दिखाया और कहा कि जब विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता हूँ तो मैं नहीं समझता कि पार्लियामेन्ट के लिए खड़े होने में मेरे लिये क्या दिक्कत हो सकती है ? लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि माणिक्यलालजी वर्मा से मेरी टक्कर थी (घंटी) मेरा नोमीनेशन पेपर आखिर में रिजेक्ट कर दिया गया। मैं हाईकोर्ट में जा सकता था।

(घंटी)

Page No 58

[श्री मानसिंह महार]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं टू दी पाइन्ट निवेदन कर रहा हूं, बिल्कुल सही निवेदन कर रहा हूं।

सारी बातें होते हुए भी मैं हाईकोर्ट जाना चाहता तो जा सकता था लेकिन लोगों ने राय दी कि अगर वर्मा साहब जैसे ऊंचे नेता के विरुद्ध हाईकोर्ट में जायेंगे तो चार वर्ष तो वहां लग जायेंगे जैसे कि वित्त मंत्रीजी के मुकाबले में लड़ते निकल गये और फैसला नहीं हो सका। इसी प्रकार लड़ते लड़ते आम चुनाव पकड़ लेंगे और वे चार साल तक एम० पी० बने बैठे रहेंगे। फिर मुझे वकील भी नहीं मिलता जो फ्री जिरह कर देता। फिर बेकार में मुझे हजार, पांच सौ और खर्च करने पड़ते।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल टू दी पाइन्ट कह रहा हूँ। ये मेरी डिफीकल्टीज़ हैं। मैं चाहता हूं कि ये डिफीकल्टीज़ एम० एल० एज़० के लिए न हों। ये एतगजात एम० एल० एज़० के लिए नहीं होने चाहिए। मंत्रियों के लिए तो छूट है कि वे यहां बैठ जायें और होने वाली डिफीकल्टीज़ के लिए यहां बिल्स मूव कर दें। इस बात को देख कर मुझे दुःख होता है और मैं मानता हूं कि यह सदन के समय का दुरुपयोग हो रहा है, इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसके अलावा जब यह सब चीज होते हुए भी एम० एल० एज़० के लिए जब सवाल आता है तो कोई विचार नहीं किया जाता। मैं समझता हूं कि जब मेरे अजमेर से आने वाले मित्र ने इन बातों की ओर ध्यान दिलाया है .....

श्री अर्जुनदास—On a point of order, Sir, I object to the Secretary speaking to the Chief Whip of the Party, Sir. We cannot possibly have any suggestion from the Secretary here. It is not dignity of the House that we should have consultation from the Secretary before we speak here.

श्री मथुरादास माथुर—I think you are mistaken. I was discussing with the Assistant Law Secretary. I can take the advice of the Law Secretary on this point.

श्री मानसिंह महार—If the Member wants to speak to the Law Secretary he can go out of the House. He cannot speak to the Law Secretary in this House. This is our privilege.

श्री अर्जुनदास—He Cannot speak to the Secretary in the House.

श्री मानसिंह महार—No member can speak in the House. The Hon'ble Member should not have spoken to the Law Secretary or to any Secretary while I was speaking.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सदन के अन्दर लोग प्राइवेट लोगों के पास जाकर बात करें, मैं यह मानता हूं कि (घंटी) यह कोई सदन से सम्बन्धित बात नहीं हो रही है।

श्री अर्जुनदास—The rules say that we cannot speak to any person in the gallery. We cannot possibly speak to him from here. If the Chief Whip of the Congress Party does so, I can also speak to the members sitting here in the gallery and also to the top of my voice.

श्री उपाध्यक्ष—कोई ऐसी बात नहीं थी जो इस बिल से सम्बन्ध रखती हो और सदन की कार्यवाही में डिस्टर्बेन्स हो रहा हो।

श्री अर्जुनदास—It is not a point, Sir. The question is of the dignity of the House. These rules have to be followed for our guidance. They demand that we cannot possible speak to anybody in the gallery, and that is also a gallery.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Is it dignified to quarrel with these petty things ?

श्री उपाध्यक्ष—जैसे आपस में बैठे हुए सदस्य एक दूसरे से बात कर लेते हैं उसी तरह से ये बात कर रहे थे बिना सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करते हुए। कोई बिल के सम्बन्ध में पूछने वाली बात नहीं है, ऐसा इनका मतलब है।

श्री मानसिंह महार—तो उपाध्यक्ष महोदय, आयन्दा से हम समझेंगे कि गेलेरियों में बैठे हुओं से पूछ लें तो कोई एतराज नहीं। आज आपकी यह रूलिंग हो गई तो आयन्दा हम लोगों को ध्यान रहेगा।

श्री जवानसिंह—There might be some misunderstanding, Sir. The Hon'ble Deputy Spyaker should clear the position. A ruling should not be presumed by members.

श्री उपाध्यक्ष—किस रूल के तहत मना कर रहे हैं।

हां, आप अपने अमेंडमेंट पर क्या कह रहे थे; जो दूसरी बातें इधर उधर की आप कहना चाहते हैं कह रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इसके बारे में यह निवेदन कर रहा था कि इस कानून के अन्दर एम. एल. एज. के लिए भी इस प्रकार की बात होनी चाहिये जैसी कि मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और उपमंत्राणीजी के लिए है।

(हंसी)

मैं यह समझता हूं कि ये जो पौधे मोटे मोटे तनों के रूप में हैं ये हमारे ही सींचे हुए हैं। यदि हमारे में से ही सींचे हुए और विकसित फूलों को हमसे जुदा कर दिया जायगा तो यह ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं मन्त्रीजी से खास कर इलेक्शन से ताल्लुक रखने वाले मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस कानून में एक बड़ा भारी लेक्यूना है और इससे आंखें मींचकर हमारे नोमिनेशन पेपर्स खारिज कर दिये जायेंगे। यह अमेंडमेंट तभी हो सकता है जब कि एक-दो दिन के लिए सिलेक्ट कमेटी में बैठा जाय और ठंडे दिमाग से सोचा जाय।

तीसरी बात इसमें कम्पेन्सेटरी एलाउन्स की बात कही गई है, इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आजकल हमारी सरकार को एक प्रकार की यह बीमारी लग गई है कि जिस किसी आदमी की जुबान बन्द करनी होती है तो कम्पेन्सेटरी अलाउन्स का लालच देकर हमारे सदन के सदस्यों को कमेटीज़ का मेम्बर बना दिया जाता है और उनकी जबान बन्द कर दी जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सदन के सदस्य अगर काम करते हैं और कमेटीज़ में तो उन्हें जाने की फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए, यदि इस सदन ही के काम को अच्छी तरह से करें और अपनी कान्स्टीच्युएन्सीज़ का दौरा करें वहां की हालात देखें तो उनको यही काम काफी है, तो फिर कम्पेन्सेटरी अलाउन्स की तो बात ही उनके लिए नहीं सोचनी चाहिये कि उधर जंगल के ठेकों में फायदा उठा लें और फिर यह कम्पेन्सेटरी एलाउन्स की बात रखी जाय, यह अनुचित है। इसलिए मैं कम्पेन्सेटरी एलाउन्स की बात का घोर विरोध करता हूं और मैं तो यह कहूंगा कि इस सदन का बहुत ही इम्पोर्टेन्ट काम हो उसके लिए ही सिलेक्ट कमेटी मुकर्रर करना चाहिए। मैं तो इस कम्पेन्सेटरी अलाउन्स के महकमें को सरकार की परिवरिश का महकमा मानता हूं। इस परवरिश के महकमें के हम लोगों को पात्र नहीं बनाया जाय इसलिए मैं फिर तीसरी बार मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि हमको वे परवरिश का पात्र न समझें, यह न समझें कि परवरिश दे दें और जुबान बन्द कर दें। कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इस प्रकार की परवरिश के आदि हैं और इससे उनकी रोजी चलती है; वे लोग इस प्रकार की परवरिश का समर्थन कर सकते हैं, पर जो परवरिश के बिल्कुल विरोध में हैं उन्हें इसका घोर विरोध करना चाहिए।

अभी एक विवाद सा खड़ा हुआ था, तो माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर ने इसमें अपनी राय जाहिर की, इसका उनको कोई अधिकार नहीं है। मैं यह कहता हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर को केवल उनके बिल्स पर ही बोलने का अधिकार है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह आपको कहां से मालूम हुआ कि मैंने अपनी राय जाहिर की ।

श्री मानसिंह महार—आपका बिल आज नहीं है तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आपका बिल हो उसी रोज आप बोल सकते हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अभी तो आप राय जाहिर करने का कह रहे थे, I want that he should withdraw these words.

(विराम)

अब आप बोलने का कह रहे हैं । I have got right to speak.

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, इन मन्त्री महोदय को वह राइट नहीं है जो हमको है । आपको जब आपका बिल हो तभी बोलने का अधिकार है । सदन के सदस्य की हैसियत से वे यहां बोलना चाहते हैं तो वे ऐसा नहीं कर सकते । हमारा रूतबा जो है वह उनका नहीं है । इसलिए मैं सदन के समस्त सदस्यों से कहूंगा कि आयन्दा के लिये गलत परम्परा न डालें और वे तभी सदन में आयें जब कि उनका कोई बिल सदन में हो, वरना बाहर लोबी में बैठे रहें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह कानून आप बना दें ।

श्री भैरूंसिंह (दाता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेम्बर्स की डिस्क्वालिफिकेशन्स रिमूव करने के बारे में बातें कही जा रही हैं, उन पर मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला । पर सदन में एक अजीब स्थिति पैदा हुई है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

पिछले अधिवेशन में मैंने राजस्थान विधान सभा में प्रश्न किया था कि विधान सभा के कितने ऐसे सदस्य हैं, जिनको जागीर रिजम्प्शन एक्ट में एडवाइज करने के लिए या फोर्म्स भरवाने के लिए लाइजन ऑफीसर मुकर्रर किया है । इसमें माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से लिखित सूचना मिली है कि इस सदन के दो सदस्यों को २०० रुपया माहवार पर लाइज़न ऑफीसर मुकर्रर किया है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के लाइज़न ओफीसर की इस सदन के लिए सदस्य होने की डिस्क्वालिफिकेशन है तो वे दो सदस्य इस विधान सभा में स्ट्रेन्जर के तौर पर आते हैं और इसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए ।

[श्री भैरोंसिंह]

आज प्रश्न आता है कि आज विधान सभा में राजस्थान विधान सभा के मेम्बर विधान सभा की सदस्यता की डिस्क्वालिफिकेशन के तौर पर विचार कर रहे हैं, उस समय उन मेम्बर्स को इस सदन की सदस्यता से पृथक नहीं कर सकते हैं तो हमें इस प्रकार के वाक्य भी छोड़ देने चाहिये कि लाइजन ऑफिसर या समानान्तर दूसरे पद पर यदि इस सदन के मेम्बर्स को २०० रुपया माह्वार की तनख्वाह मिलती रहे तो भी वे सदन के सदस्य बने रह सकते हैं। अब तक जो रूल्स हैं उनके अनुसार वे दोनों सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं रह सकते। तनख्वाह पाने की सूरत में किन किन को डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं ? इस बारे में पूरी तरह से नही सोचेंगे तो उन दो सदस्यों को तो दूर करेंगे ही और भी कई सदस्य हैं जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्हें भी दूर करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जैसे अजमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने और जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रुतबे की बात बताई, ये सब बातें ऐसी हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार की तरफ से जो लाइज़न ओफीसर मुकर्रर किये गये हैं वे डिस्क्वालिफिकेशन की श्रेणी को प्राप्त न करें। अगर यह डिस्क्वालिफिकेशन है तो उनके बारे में इस बिल में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिसके द्वारा वे सदन के सदस्य रह सकते हैं।

मैं समझता हूं कि आज तक जो कानून है इसमें और उसमें विशेष अन्तर नही है और इस कानून के द्वारा जितने लीगल एक्सपर्ट हैं उनकी मैंने राय ली है और उन्होंने बताया कि यह २०० रु० देने की बात डिसक्वालिफिकेशन क्रीएट करती है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि बिहार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेअरमेन को तनख्वाह मिलती थी। चैअरमेन होने के नाते ७ व्यक्तियों को तनख्वाह मिलती थी और कानूनन उनको उनके पद से अलग किया जाना चाहिये था, लेकिन उनको अलग करने से पहले सरकार सतर्क हो गई और उसने इसके लिये एक ऑर्डिनेन्स जारी करके उसको कायम रखा और उनको अलग नहीं होना पड़ा। आज यहां पर हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। हमारे यहां कई व्यक्तियों को माननीय उपाध्यक्ष, कम्पेन्सेटरी एलाउन्स के अलावा तनख्वाह के रूप में भी रुपये दिये जाते हैं जिनका जिक्र यहां नही है। मैं उनके नाम नहीं बताना चाहता। मगर मैं यहां यही निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले जो आपत्ति उठाई गई है उसके बारे में मैं व्यक्तिगत रुप से यह कहूंगा, जो मेरे लिये कही गई है कि मैं सदन में बैठ नही सकता : मैं उनका ध्यान संविधान के उस अनुच्छेद की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि, "any Minister can take part in the House but not in voting." यह मैंने उस दिन भी कहा था कि जो आपत्ति

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

जनक शब्द कहे गये हैं उनको वापिस लें। उस वक्त वे वापिस नहीं लिये गये इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी चीज सदन में नही होनी चाहिए।

श्री भैरूंसिंह—कैसी चीज नहीं होनी चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपने कहा था कि वोट दिया। मैंने कोई वोट नहीं दिया। आपने कहा कि आ ही नहीं सकते हैं।

श्री अर्जुनदास—It can be suggested of a parliamentary...

श्री उपाध्यक्ष—आप इनको कहने दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—It means the Hon'ble Member is supporting whatever allegations are made. इसके बाद यह प्रश्न उठाया गया कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनावश्यक है। और बिल लॉ डिपार्टमेंट में वान्टेड है और इसकी सब इम्पलीमेन्टेशन की स्टडी कर ली गई है और पहले भी यह बिल जो यहां आया था उस पर विचार किया गया था। यह तो वापिस रिओर्गेनाइजेशन ओफ स्टेट्स होने के कारण और अजमेर, सुनेल और आबू के राजस्थान में मिलने के कारण वापिस आया है। यही वर्डिंग्ज और यही बातें पहले एक्ट में थीं लेकिन जो आपत्ति माननीय सदस्य, अजमेर से आनेवाले मित्र ने उठाई है उसके लिये मैं कहूँगा कि वह बिल्कुल निराधार है; जो "Office of Minister of State or of Deputy Minister." मैं समझता हूं कि मिनिस्टर ओफ स्टेट राजस्थान में नहीं होता, वह सेन्टर में होता है। Ministers are exempted under the provisions of Constitution itself. इसलिये मिनिस्टर ओफ स्टेट्स से, राजस्थान के मिनिस्टरों से कोई सम्बन्ध नहीं है; वे अन्डर कोन्स्टीट्यूशन एग्जेम्पटेड हैं। वे सेन्टर में होते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, डिप्टी मिनिस्टरों में इसका जिक्र नहीं है तो यहां के डिप्टी मिनिस्टरों को यह लागू होती है।

1. "The office of Parliamentary Secretary or Parliamentary Under Secretary, the office of Chairman or the Members of the Committee set up for the purpose of advising the Government or any other authority—"...

एक बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन एराइज़ होती है ओफिस ओफ प्रोफिट होल्ड करने से; office of profit under the Government जब कोई कमेटी मुकर्रर की जाती है, "the office of a Chairman or the members of the Committee set up for the

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

purpose of advising the Government or any other authority in respect of..." इसलिये वह इम्पलाइड है। जब तक उसका एपोइन्टमेंट गवर्नमेंट से नहीं होता है, गवर्नमेंट की ओथोरिटी नहीं होती है, तब तक वह थोड़े ही होगा। इसलिये यह भी सर्वथा निराधार है। फिर इसके बाद कहा गया कि कमेटी का मतलब 'the office of a Chairman or a member of the Committee other than such Committee as is referred to in clause (c)" एक्ट में भी यह कहा गया कि State Covernment की Statutory body होती है उसका असर होता है और जब तक "Office of profit under the Government......statutory body." गवर्नमेंट का नहीं होगा। वह किसी दूसरी जगह (अश्रव्य) हो सकता है इसलिये "office of profit under the Governmet" इसमें है इसलिये इसमें जगह जगह "under the Government" and "by the Governme it" लिखने की जरूरत नहीं है, but the authority must be derived from the Government or from the orders of the Government से यह मतलब निकलता है इसलिये जहां जहां आपने यह प्रश्न उठाया है, मैं उसको खामी नहीं मानता हूं।

दूसरी चीज आपने फरमाई कि स्टेट रिओरगैनाईजेशन बिल में यह प्रोविजन कर दिया गया है कि पुराने एसेम्बली के सदस्य कन्टीन्यूड रहेंगे, इसलिये वह प्रश्न फिर यहां पैदा नहीं होता। जब दूसरी एसेम्बली फोर्म हो जावेगी तब वे नये आनेवाले सदस्य हो जावेंगे। ये नहीं रहेंगे।

श्री अर्जनदास—Please amend that also. I would request the Hon'ble Minister to read whatver now he wants to suggest in this bill in English.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—The words are, "office of profit under the State Government". Now under the States Re-organisation Bill the present members of the Assembly are to continue and also the members of the former State of Rajasthan Legislative Assembly, and a provision has been made specifically that they will continue as members, and, therefore, they would not be disqualified under that. When the new elections will come they will automatically cease to be members, and, therefore, no question will arise whether they are qualified or disqualified. Every voter will be qualified and become a member of the Assembly, and when they would be no more, the question will not arise, and, moreover, the office of the members of the Legislative Assembly is not an office of profit under the Government, because this is a particular office and for this we are seeking the qualifications and disqualifications, and so for this office, a particular office cannot be a qualification or disqualification. This is bylaw provided, and, therefore, it is unnecessary to delay it because it would be further delayed, and, therefore, my submission is that the resolution which has been put forward should be rejected by the House.

Page No 65

श्री भैरोंसिंह—What about Liason Officers ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—We shall see when the question will arise, what are the terms and conditions of the Liason Officers, whether they are being paid honorarium or they are being paid regular salary ? Then my friend can raise an objection and the House can decide.

श्री मथुरादास माथुर—It would be better if the Advocate General is summoned, and we would like to listen him on this important matter.

श्री अर्जुनदास—Did I move this amendment ?

श्री भैरोंसिंह—एडवोकेट जनरल को बुला लिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर—Then we would be able to discuss it better.

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—I do not think there is any necessity.

श्री उपाध्यक्ष—I do not think there is any necessity.

श्री मथुरादास माथुर—Necessity arises because of the fact that the Ministers have got this safety in this Bill and as well as in the Act. So far as we M.L.As. are concerned there is definitely anxiety amongst the M.L.As. This may be that the objection may be raised at the time of scrutiny and nobody will come to our rescue. As the hon'ble Finance Minister who also happens to be a lawyer was arguing this matter, it will not be anything which may go in our favour. Therefore, in order to ensure our position that our nomination papers be not rejected at the time of the scrutiny we want at least an assurance from the best legal representative of the Government, the Advocate General. Let him come and say so. Then, if we feel that our position is not safe a Select Committee may be formed for the purpose.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्षजी, एम०एल०एज० के सम्बन्ध में जो शंका की जा रही है उस सम्बन्ध में जो कॉन्सटीट्यूशन में प्रोवीजन है उसको थोडा सा अर्ज करदूं, उससे शंका का समाधान हो जायेगा। वैसे एडवोकेट जनरल को बुला लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अर्जुनदास—My suggestion is that if the Advocate General comes here we will have some time to read, study and consult him so that we will be on the

[श्री अर्जुनदास]

safer ground rather than in a hurry. We can pass it tomorrow even. Let us be sure about the legal position.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह लीगल पोज़ीशन के बारे में जो प्राविज़न है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि If the House so wishes let the Advocate-General also come and then let us decide. But Article 191 of the Constitution says:

"(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State.

(a) if he holds any office of profit unner the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule..."

Members of Legislative Assembly do not hold any office of profit under the State. We do not hold any office of profit. There is another Article.

श्री अर्जुनदास—Why not we hold the office of profit ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Please hear me. Article 195 of the Constitution of India provides: "Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time-to time be determined by the Legislature of the State by law....."

तो ज्यु सैलेरी हमको मिलती है, that is not profit under the Constitution. Our existence is by virtue of the Constitution. We are not governed by any rules or regulations framed by the State. Therefore, my submission is that we do not hold any office of profit. Let us call the Adocate General and hear him.

श्री उपाध्यक्ष—Let it be postponed for some time till the Advocate General is available.

श्री मथुरादास माथुर—Let us postpone it for tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष—I think the House permits the postponement.

श्री जवानसिंह—In the meanwhile the advocate General may be summoned by this House.

श्री उपाध्यक्ष—I say the Advocate General be summoned.

(सदन की स्वीकृति से यह विधेयक आस्थगित हुआ)

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५६

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैन्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैन्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५६ को हमने राजस्थान की विधान सभा में करीब आज के २ माह पूर्व पास किया था। इसके स्टेटमेंट ऑफ आबजेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में जहां इस बिल को लाने के कारण बताये गये हैं वहां इस बात का भी संकेत है कि :

"This Bill was already passed by the Legislative Assembly of the pre-Reorganization State of Rajasthan and was reserved by His Highness the Rajpramukh for the consideration of the President. But it could not receive the assent of the President before the 1st November, 1956. The Govt. of India have advised that the President cannot give consideration to a Bill passed by the Legislature of a State which is no more in existence now and that the Bill has since lapsed. Hence the need for the reintroduction of the Bill."

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा ने जो पहले कानून पास किया था और जिसके ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली है वह सब कानून लेप्स हो गये, ऐसा समझा जाना चाहिए लेकिन राजस्थान की विधान सभा ने केवल यही एक कानून बनाया है जिसके ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृत न मिली हो, ऐसा मैं नहीं समझता और ऐसी बात नहीं है। हमने राजस्थान म्युनिसिपैलिटी बिल इस सदन के द्वारा पास किया था, राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल भी इस सदन के द्वारा पास किया था और इनको पास करने के बाद मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया होगा। राजस्थान म्युनिसिपैलिटी बिल को हमने लगातार १॥ माह तक बैठकर अथक परिश्रम से पास किया, वह कानून न मालूम किस कारण से अब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सका। उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है। वह कारण तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह बिल आएगा उस समय उल्लेख करूंगा और वही उचित समय भी होगा लेकिन क्या हमें अब यह स्पष्ट रूप से मान लेना चाहिए कि राजस्थान नगरपालिका विधेयक जो कि

[श्री भैरोंसिंह]

राष्ट्रपति की सम्मति के लिए पेश नहीं हुआ है और जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है, वह लैप्स हो चुका है। यदि वह विधेयक लैप्स हो चुका है तो उस सूरत में नगरपालिका विधेयक के सम्बन्ध में क्या सरकार ऐसा आश्वासन देने की स्थिति में है कि वह ऐसा कानून प्रस्तुत करने को तैयार है या नहीं है। राजस्थान के जो मौजूदा कानून हैं वह पहले की रियासत के हैं और उन कानूनों से नगरपालिका के सम्बन्ध में रोज नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं इसलिए हमें कुछ सोचकर ही सारा काम करना चाहिए। लेकिन मैं तो कहूँगा कि यह विधेयक सरकार की गलतियों के कारण ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सका। तो यह जो परम्परा हम डाल रहे हैं वह एक अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सवाल क्या है और आप बोल क्या रहे हैं ?

श्री भैरूंसिंह (१६)—वह सब मामला जो हमने किया था, वह बिल जो हमने पहले इतने परिश्रम से किया था वह रद्द होगया है, इसलिए कह रहा हूं। वैसे इस सम्बन्ध में मैं आपको बताऊं कि जिस समय नगरपालिका का सम्बन्ध आएगा उस समय इन सब बातों का विस्तार से जिक्र करूंगा लेकिन इस प्रकार की जो कानूनी व्यवस्था है उसको पूरा करने के लिए जिस प्रकार से यह कानून लाया गया है उस प्रकार से और भी कानून लाये जा रहे हैं या नहीं ? इस सम्बन्ध में मैं कुछ आश्वासन मंत्री महोदय की ओर से चाहता था। इसलिए ही यह बातें मैंने प्रस्तुत की हैं। मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों के ऊपर माननीय मंत्रीजी कुछ प्रकाश डालेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक कानूनी तथ्य है कि जो बिल इस सदन के द्वारा पास कर दिये गये हैं और अगर उनकी स्वीकृति इस पहली नवम्बर के पहले नहीं आई तो उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इसी तरह से यह बिल जो कि इस सदन के द्वारा पहले पास किया जा चुका है इसकी भी हालत वही रही है और कोशिश इस बात की की गई कि राष्ट्रपति की तरफ से स्वीकृति मिल जाय। किन्तु वैसा नहीं हो सका है इसलिये इसको दुबारा लाना पड़ा है। माननीय सदस्य ने जो यहां पर आपत्ति उठायी है कि दूसरे बिल भी इसी तरह सदन में पेश किये जायेंगे या नहीं ; इस विषय में तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर सदन के पास समय है और अगर माननीय सदस्य ज्यादा बैठना चाहते हैं तो वे भी पेश हो सकते हैं किन्तु जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है ज्यादा समय तक इस अधिवेशन को माननीय सदस्य चलाना नहीं चाहते और उसी को देखकर ही प्रोग्राम बनाया गया है। जो छोटे छोटे बिल थे और जिनमें मामूली सा फेरफार या एडजस्ट करना था उन्हीं को लाया गया है। इसी प्रकार का यह छोटा सा अमेन्डमेंट है और जागीर रिज़म्प्शन के लिये बहुत आवश्यक था इसीलिये सदन में पेश किया गया है।

म्युनिसिपैलिटीज़ बिल को फिर से सदन में पेश किया जायगा या नहीं, इस विषय में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार ने इस विषय में जरूर लिखा है कि पार्लियामेंट ऐसा

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

कानून बनाये जिसके जरिये जिन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी, आगे की तारीखों में भी अनुमित प्राप्त होने पर वे लागू समझे जायेंगे तो उचित रहेगा। यह केवल हमारे यहां से ही ऐसा हुआ हो सो बात नहीं, बंबई स्टेट के भी कुछ कानून राष्ट्रपति की अनुमति के बिना रह गये थे उनको क्या स्वरूप दिया जाय, इस विषय में जवाब का इन्तजार है। मुमकिन है पार्लियामेंट ऐसा कानून पास कर दे जिसके अनुसार जो बिल पहले पास कर दिये और जिन पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति नहीं हो पायी है उसे आगे की डेट में स्वीकृति होने पर भी ने स्वीकृत मान लिये जायेंगे। इस चीज की इन्तजार है, कानूनी सलाह से चेन्ज हो सकती है।

श्री भैंरूसिंह—आपके उत्तर से स्पष्ट नहीं हुआ, क्या वे बिल लेप्स हो गये या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह तो स्पष्ट है कि वे लेप्स हो गये।

पार्लियामेन्ट ऐसा कानून बना सकती है कि जो बिल्स प्रान्तों की विधान सभाओं द्वारा पास हो चुके और उनके ऊपर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति नहीं हो सकी उनकी स्वीकृति बाद में भी ली जाकर उनको मान्य समझा जाय, इस प्रकार का कानून संसद बनासकती है। इस प्रकार का मूव बंबई स्टेट द्वारा भी किया गया और हैदराबाद आदि स्टेट से भी ऐसा मूव हुआ है। क्योंकि हमने यह बिल भेजा, शायद मेरे खयाल से २३ या २४ नवम्बर का दिन था और उनकि दिनों राष्ट्रपति मद्रास की टूर पर थे, उनके पास वे बिल नहीं पहुँच सके और उन पर उन अनुमति नहीं हो सकी।

श्री भैंरूसिंह—पर्टीकुलर बिल के लिये लिखा गया है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह बिल ऐसा था कि जिसके बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री भैंरूसिंह—ओन ए पोइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन, सर, माननीय मन्त्री महोदय ने जो कहा है उससे तो दिक्कत आयगी जबकि आपने उन सब कानूनों को जिन पर प्रेजीडेन्ट की स्वीकृति नहीं हो सकी उनको ठीक करने के लिये लिखा है। जब हम कुछ कानून तो सदन में रख रहे हैं और कुछ के लिए ऊपर लिखा है और ऊपर से जो ऑडर्स होंगे, ऑर्डिनेन्सेज़ होंगे वे सभी कानूनों के लिये होंगे जो लेप्स हो गये, प्रेजीडेन्ट की स्वीकृत न मिलने के कारण। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसलिये दिक्कत नहीं आयगी कि हमने बिलों को नाम दिये हैं। जिन बिल्स की स्वीकृति हम चाहते हैं उनके नाम दिये हैं। जो बिल हम यह पेश कर रहे हैं, उनके लिये लिखा नहीं है।

श्री भीमसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि 'ओरिजिनली ग्रान्टेड' इसकी परिभाषा ठीक से कर दें। मैं तो समझता हूं कि जो पहले शब्द थे उसमें और इसमें कोई अन्तर नहीं। ऐसी क्या बात थी जिससे वापिस संशोधन करना पड़ा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, सवाल दर-असल यह है कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पहले ग्रान्ट किया गया हो और उस ग्रान्ट के संरक्षण आदि के लिए कोई जागीरदार किसी जागीर को मन्दिर या देवस्थान को देता है या अपने संबन्धियों को ट्रस्ट बनाकर उसके सुपर्द करता है। सबसीक्वेन्टली कोई जागीर है उसको अगर जागीरदार कह देता है कि यह संरक्षण में ली जाती है तो वैसी स्थिति में ओरिजिनल ग्रान्ट नहीं मानी जायगी। ऐसा हुआ है कि कई ग्रान्टीज़ थीं जिनको सबसीक्वेन्टली ग्रान्ट कर दी। They are not original grants. ओरीजिनल ग्रान्ट का मतलब है :

"grant from the State or those persons who had a right to grant.

जिन परसन्स को ग्रान्ट करने का अधिकार नहीं था वह ओरीजिनल ग्रान्टी नहीं मानी जायगी, That is subsequent Grant और जिनको ग्रान्ट करने का अधिकार था और जो ग्रान्ट दी गई उनको संरक्षण दिया गया है और उन्हीं को समावेश किया जायगा। मान लीजिये किसी के पास ५०० या ७०० बीघा जमीन है वह किसी पर्टीक्युलर मन्दिर या अपने रिश्तेदारों का ट्रस्ट बनाकर उसके हवाले कर दी, हालांकि ओरीजिनल ग्रान्टी नहीं होने के कारण उनको अधिकार नहीं था वैसी स्थिति में वे ओरीजिनल ग्रान्टी नहीं मानी जायंगी। इस प्रकार को जागीरों को एनवीसेज करते हुए यह संशोधन लाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लेन्ड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ओफ जागीर्स (चतुर्थ संशोधन) विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—रावत श्री शम्भुसिंह।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं करना चाहता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लेन्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्प्शन ओफ जागीर्स (चतुर्थ संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान लैन्ड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ओफ जागीर्स (चतुर्थ संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

(श्री मानसिंह महार के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह शुरू से धारणा रही है कि जिस विभाग से संबन्धित जो बिल हो उसी विभाग के मन्त्री को वह बिल रखना चाहिये।

(घंटी)

उपाध्यक्ष जी, मेरे निवेदन करने में एक स्पेसिफिक बात है। इस बिल के बारे में जब कल डिस्कस किया गया उस समय इस बिल को पाइलोट करने वाले अजमेर से आने वाले मन्त्री थे उन्होंने जो कल इन्टरप्रिटेशन किया आज हम उससे भिन्न इन्टरप्रिटेशन वित्त मन्त्री द्वारा सुन रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आया कि कल वाले इन्टरप्रिटेशन को ठीक समझें या आज जो वित्त मन्त्री ने किया है उसको ठीक समझें......

श्री उपाध्यक्ष—कोर्ट का इन्टरप्रिटेशन होगा तो मान्य होगा।

श्री मानसिंह महार (जारी रखते हुए)—उपाध्यक्षजी, हम तो कोर्टस् के झमेलों से मुक्त होना चाहते हैं। हम तो यह चाहते है कि यहां से ही ऐसा बिल बने जिससे कोर्ट में जाकर हमारी सरकार की अयोग्यता साबित न होने पाये। हम कानून को फूल प्रूफ बनाने चाहते हैं ताकि कोर्ट के अन्दर कोई दूसरा इन्टरप्रीटेशन न लगा सकें। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जो इसका इन्टर-प्रीटेशन किया है वह गलत है। मैं एक बार माननीय वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ इन्टरप्रीटेशन उन्होंने किया है, अनऑथोराइज्ड तरीके से किया है और उन्होंने इस बारे में जागीर विभाग के मन्त्रीजी से राय नहीं ली थी। यह मैं नहीं कह सकता कि कल जो जागीर मन्त्रीजी ने जिस प्रकार इसका इन्टरप्रीटेशन किया था वह ठीक था या आज वित्त मन्त्रीजी कह रहे हैं वह ठीक है। बात यह है कि जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने फरमाया कोई जागीरदार अपने रिश्तेदार या किसी व्यक्ति को कोई मन्दिर के नाम से या और किसी धार्मिक बात के लिए जागीर निकाल देता

[श्री मानसिंह महार]

है तो यह अमेंडमेंट उससे ताल्लुक रखता है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि वह कैसे उससे ताल्लुक रखता है। एक तरफ तो सरकार हिन्दू ट्रस्ट बिल का कानून बनाती है और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृत के हेतु समय पर नहीं भेजती। दूसरी तरफ अगर कोई जागीरदार अपने किसी मन्दिर वगैरह के लिये कोई जागीर देता है तो उसके ऊपर सरकार को इतना विचार करना पड़ता है। सरकार यह समझती है कि मन्दिर में अगर किसी ने कोई जागीर दे दी तो उसको तो उसे किसी तरह से हड़पना चाहिये।

मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मिसाल के तौर पर कि अगर मेरे यहां पर माताजी का मन्दिर है, मैं एक मिसाल और प्रस्तुत करूंगा इसका कि अगर मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं भी ऐसी मूर्खता कभी न करता। अपने यहां जो मन्दिर था, जिनको मैं तनख्वाह दे रहा था उनकी तनख्वाहों के लिये सरकार से प्रार्थना करता, मैं इसके पहले से ही पट्टे बना देता कि सभी मन्दिरों को जागीरें दे दी हैं। तो वे बेचारे पुजारी आज उस जागीर से अपने मन्दिरों की सेवा पूजा कर सकते थे। पर मैंने यह नहीं किया। मैंने धोखा भी देना नहीं चाहा। पर मैं अपनी उस मूर्खता पर अब पछताता हूं क्योंकि मेरी जागीर को लिये तीन वर्ष हो गये हैं पर मेरे यहां के मन्दिरों को आज तक एक पैसा भी नहीं दिया गया। मैं कई बार इस सदन में यह बात कह चुका हूं लेकिन कोई वजह नहीं होते हुए भी आज दिन तक उनके लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। बल्कि जब मैं जाता हूं जागीर कमिश्नर के पास या कभी असिस्टेन्ट कमिश्नर के पास तो जवाब मिलता है कि आपके तो कागज ही गुम हो गये।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर आप इन धर्मादों में दी हुई जागीरों को खालसा कर लेंगे, जैसी कि आपकी स्पष्ट मंशा है और आज वित्त मन्त्रीजी ने और भी क्लेरिफाई कर दिया था, तो इन धार्मिक स्थानों की सेवा-पूजा की व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जावेगी।

आज हमारी सरकार ने इस बात को बिलकुल सिद्ध कर दिया है कि वह काम तो कर जाती है जल्दबाजी में पर फिर उसे समेट नहीं सकती। उनमें वह जागृति नहीं आई है अभी तक। आ जावेगी धीरे धीरे, नये नये हैं अभी, काम तो जानते नहीं हैं, अब तजुर्बा आया है, सब सिखा देता है तजुर्बा; मैं यह मानता हूँ कि उनमें भी रात दिन हेर फेर होने से अभी तजुर्बा उनका बढ़ा नहीं है। अगर वे ही कई वर्षों तक जमे रहते तो यह भी हो जाता पर अब भी कोई बात नहीं है, जितना तजुर्बा आया है वही अच्छा है। (घंटी) तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि वह तजुर्बा पूरा नहीं होने से मन्दिरों में आज अव्यवस्था हो रही है और इसी वजह से इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट लाकर मन्दिरों की जागीरों को भी ले लेना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि वे हिन्दू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। हमारे गांवों में मन्दिरों की जो सेवा पूजा बच रही है वह भी

[श्री मानसिंह महार]

बन्द करना चाहते हैं। शहरों में तो वह नष्ट हो ही गई है, पर गांवों में जो थोड़ी बहुत सेवा पूजा बाकी रही है, धार्मिक भावना लोगों की बची है, वह भी इस प्रकार से सरकार नष्ट करने पर तुली हुई है। इसके अलावा कोई बात नहीं है। और मैं तो आपसे भी, उपाध्यक्ष महोदय, मीरा मन्दिर के संस्थापक होने के नाते प्रार्थना करूंगा कि यह जो मन्दिर का मसला है इस पर आप भी थोड़ा जोर दें। मैं तो आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ। (हंसी) पर मामला यह ऐसा है कि जो अपने गांवों में थोड़ा बहुत धर्म बाकी बच रहा है, जो ग्रामीणों में आज थोड़ी बहुत धर्म में आस्था है, जहां थोड़े लोग सुबह-शाम मन्दिरों में जाते हैं, चरणामृत लेते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसकी रक्षा के लिये इस काले कानून को पास न होने दें, इस धर्मद्रोही कानून को पास न होने दें। जितने मन्दिरों को आज सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है, उनकी सेवा पूजा का इन्तजाम ही वह पूरा कर ले। इसके बाद में ही नई नई जागीरों के मन्दिरों को लेना चाहती हो तो ले और मैं तो यह कहूँगा कि सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये इस प्रकार का कानून बनाते समय कि इस प्रकार की जागीरें सरकार तभी ले जब कि इस प्रकार का प्रोविजन इसमें कर दे कि पहले सरकार उन मन्दिरों की सेवा पूजा का इन्तजाम कर दे, नहीं तो नहीं। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है और ऐसी जागीरों को हड़प कर एक वेक्यूम क्रीएट कर देती है और जिस समय उनमें सेवा पूजा की कोई व्यवस्था नहीं रहती है तो मैं यह समझता हूँ कि यह धर्म विरुद्ध चीज़ है और मैं ऐसी धर्म विरुद्ध चीज को बर्दाश्त करूं, इससे पहले कम से कम अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसा काला कानून जो हमारे धर्म के अन्दर हस्तक्षेप करता है, ऐसा कानून जो हमारी धर्म मन्दिरों की सेवा पूजा की जो बात है उसे खत्म करना चाहता है, उस कानून से मैं अपनी सहमति प्रकट नहीं कर सकता और इसलिये मैं इस कानून के तथ्यातथ्य पर विचार करके इससे अपना विरोध प्रकट करते हुए कम से कम उनसे, जो धर्मप्रेमी हैं, फिर प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको अपना धर्म कायम रखना है, अपने गांवों में भगवान की सेवा-पूजा जिस प्रकार आज तक चली आई है उसी प्रकार से कायम रखनी है तो यह जो काला कानून पास कराया जा रहा है इसको कभी पास न होने दें। इसमें कई घोटाले मौजूद हैं और सरकार की इस माने में जो नीति है वह बहुत ही गलत है। यह भी इससे साबित होता है, तो ऐसे कानून का आप विरोध करें और इसको कभी भी पास न होने दें।

श्री भीमसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में कुछ अमेन्डमेन्ट रखने की सोच रहा था, पर इस बारे में मेरी जागीर मिनिस्टर साहब से बात हुई थी। इसकी परिभाषा से बड़ी शंका थी जिसका मतलब यह कतई नहीं निकल जाता कि जो जागीर किसी जागीरदार ने मन्दिर की सेवा पूजा के लिये दी है उस पर इसका कोई इफेक्ट आता है।

मुझे इस 'ओरिजिनल' शब्द से शंका थी। इस शब्द से अगर यह मतलब निकाला जाय कि जिस वक्त जागीरदारों के पास जागीरें थीं उस वक्त जागीर अलॉट नहीं हुई है इसलिये वह

[श्री भीमसिंह]

ओरिजिनल की परिभाषा में नहीं आती तो यह एतराज की चीज होगी क्योंकि जागीरें एबोलिश होने के बाद मैं समझता हूँ कि राजस्थान में हजारों जगहें ऐसी हैं जो मन्दिरों के निमित्त और भेंट पूजा के निमित्त छोड़ी गई थीं और अगर वे ओरिजिनल में कवर नहीं होती हैं, उस हालत में ऐसा होगा कि जितने भी इस तरह से मन्दिरों को ग्रान्ट दी गई है वे फर्जी मानी जावेंगी और सेवा पूजा में बाधा आवेगी। तो ऐसी स्थिति में इसकी कोई आवश्यकता यहां नहीं रह जाती। यह इसलिये भी नहीं रहती, चूंकि जागीर रिजम्प्शन एक्ट पहले बना था उसकी २६ (ए) वीं धारा में यह साफ है कि जो ग्रान्ट अगर कोई मैलेशियस ढंग से, नावाजिब तरीके से सन् ४६ के बाद किसी को दी गई है तो इसके लिये जागीर कमिश्नर को हक है कि इसकी स्क्रूटिनी करके उसे रद्द कर दे, अगर वह वाजिब तरीके से नहीं दी गई मालूम हो तो। इस तरह का अगर कोई इन्डिविजुअल केस भी हुआ है, जिसमें सिर्फ मिसयूज़ के नाते कोई ग्रान्ट दी हुई है तो इस पहले वाले एक्ट में ही प्रोवीजन है। ऐसी स्थिति में यह फिर 'ओरीजिनल' शब्द इसमें लगाना नावाजिब है। अगर इसके इन्टरप्रीटेशन में कोई और अन्तर हो तो वित्तमंत्री महोदय इसका खुलासा कर दें।

तो यह जो जागीरदारों ने मन्दिरों के लिये ग्रान्ट निकाली है, उसको अगर सरकार इस अमेन्डमेन्ट के फलस्वरूप ओरिजिनल नहीं मानकर खालसा करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि यह मन्दिरों के लिये बहुत ही बड़ी ज्यादती की चीज़ होगी और हजारों मन्दिरों के अन्दर ताले लग देंगी और आज जो ठाकुरजी हैं वे भूखे बैठे रहेंगे और निश्चित रूप से उनकी सेवा पूजा में बाधा आवेगी। मैं फिर यह निवेदन कर दूं कि इसके बारे में कल जो क्लैरिफिकेशन दिया गया था उससे आज का क्लैरिफिकेशन विपरीत है। इसलिये यह निवेदन करना है कि जो सरकार के कानूनी सलाहकार हैं उनसे फिर इस पर सलाह करके, इसको अच्छी तरह समझ कर, फिर इसको यहां पेश किया जावे और अगर इसमें कोई मतभेद है तो मेरा निवेदन है कि इसको डेफर कर दिया जावे और कल के लिये रख दिया जावे। यह ज्यादा उत्तम होगा।

श्री **अवनिकुमार मुखर्जी**—मैंने इसको ध्यान से देखा और देखने से ऐसा महसूस होता है कि अगर इसे इसी रूप में पास कर दिया गया तो इसका अभिप्राय यही होगा कि जिन जागीरदारों ने पहले जागीरें मेन्टीनेन्स के लिये दीं सिर्फ उन्हीं जागीरों को यह अगर रिकग्नाइज करेंगे और उनका पुनर्ग्रहण नहीं होगा। अगर इस रूप में इस संशोधन को पास कर दिया गया तो उसका साफ तात्पर्य यह होगा कि जो जागीरें जागीरदारों ने मन्दिरों की सेवा पूजा के लिए दी हैं उनको रिकोग्नाइज़ नहीं किया जावेगा और वे पुनर्ग्रहीत हो जावेंगी। मैं समझता हूँ कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अगर जल्दबाजी करके मन्दिरों का पुनर्ग्रहण कर लिया गया तो जो आज इतने मन्दिर हैं उनकी सेवा पूजा की क्या व्यवस्था होगी? इसलिए मैं चाहता हूँ कि कानूनी सलाहकार हैं उनसे पहले सलाह मशविरा कर लिया जाय और

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

उसके पश्चात् इस प्रकार का संशोधन लायें कि जो जागीरदारों द्वारा मन्दिर दिये गये हैं उन पर इसका असर न हो और अगर होता है तो आगे जाकर सरकार के लिए और ग्रामीणों के लिए एक बड़ी समस्या बन जावेगी। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि पहले इस सम्बन्ध में कानूनी सलाह-कारों से सलाह मशविरा करके फिर इस कानून को पास करें।

श्री भैंरूसिंह (१६)—उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधित बिल के द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है उसके मुख्य रूप से, उपाध्यक्ष महोदय, दो भाग हैं। एक यह है कि जागीर मिलती है, इस प्रकार के प्रयोजन के लिए प्रदान की गई थी और दूसरा इसका जो भाग है वह यह है कि उसकी आय का उपयोग उपयुक्त प्रयोजन के लिए हो।

ये दो इसके भाग हैं और जिस जागीर में इन दो भागों की पूर्ति हो सकती है वे दोनों इस कानून के प्रभाव से मुक्त होंगे; इस प्रकार की व्यवस्था है। पहले जो लैंड रिफोर्म्स एण्ड जागीर रिजम्प्शन एक्ट बना था उसमें व्यवस्था की है कि किसी को पट्टा दिया हुआ है या नहीं, ओरिजिनल ऐड, ग्रान्ट है या नहीं लेकिन जिस जागीर की आमदनी मन्दिर के उपयोग में आती है, उस पर इस कानून का प्रभाव नहीं होगा और अब जो कानून बना है उसमें दोनों शर्तें कुछ ऐसी रख दीं कि जिनके कारण आज जितने भी मन्दिर हैं, उन मन्दिरों की सम्पत्ति यदि मन्दिरों के उपयोग में आती भी हैं, जागीरों की सारी पैदावार है वह उन मन्दिरों के काम में खर्च होती है, लेकिन जो ओरिजि-नल ग्रान्ट है वह मन्दिरों के काम के लिए नहीं है इस कारण और वह जागीर रिजम्प्शन के अन्त-र्गत अगर रिज्यूम की जा सकेंगी तो उनको कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के लिये प्रयत्न करना पड़ेगा और जिस प्रकार से मिलती है उसी व्यवस्था के अनुसार मिले तो इस इन्टेरिम पीरियड में जब कम्पेन्सेशन पूरा मिल जाय, उसके बाद में इसमें कोई व्यवस्था नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब यह होगा कि जिस जागीर की आमदनी मन्दिरों के उपयोग में आती है, पट्टा मिला है या नहीं, ओरिजिनल ग्रान्ट है या नहीं, लेकिन आमदनी मन्दिरों के उपयोग में आती है तो वे जागीरें रिज्यूम कर ली जावेंगी और रिज्यूम कर लेने से कम्पेन्सेशन के लिए एप्लाई कर सकते हैं और आगे के लिए उन मन्दिरों की व्यवस्था स्थायी इसके द्वारा नहीं कर पावेंगे। दस पन्द्रह साल के लिए कम्पेन्सेशन देकर उनकी व्यवस्था कर सकेंगे लेकिन उसके आगे स्थायी व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। आगे जाकर जो अभाव प्रतीत होता है उसके बारे में हम समझते हैं कि सरकार की ऐसी मर्जी है कि ऐसी जागीरों की आमदनी जो मन्दिरों पर खर्च होती है उसको खत्म कर दिया जाय। यह इस बात का द्योतक है। सरकार स्पष्ट नहीं कहती है। इसमें ग्रान्ट के लिए राय दी है। उसके लिए यह व्यवस्था की है, जागीरदार की ग्रान्ट हो सकती है। जहां 'जागीरदार' शब्द की परिभाषा दी है, ग्रान्टी की ग्रान्ट, उसके सब ग्रान्टी की ग्रान्ट हो सकती है और जहां जागीरदार की ग्रान्ट और स्टेट की ग्रान्ट है उनमें यह व्यवस्था नहीं कि ओरिजिनल ग्रान्ट क्या होगी ? आज तक जितने कानून बनाये

[श्री भैरूंसिंह]

हैं, मिलते हैं उनमें 'ओरिजनल' शब्द का प्रयोग होता है यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि जो ग्रान्ट मिलती है वह ग्रान्ट मूल ग्रान्ट है, ओरिजनल ग्रान्ट है। मैं स्पष्टतः यह कहूंगा कि कई जागीरदारी इलाकों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जब होता है कि अमुक गांव जागीरदार का है और वह चेरिटेबिल कामों में उसको दे सकता है। जागीरदार को अधिकार है कि एक सब ग्रान्टी के नाते, इसलिए नहीं कि रिटर्न्स लेता है, इसलिए नहीं कि अहसान कर रहा है मदिरों पर, वह अपनी ग्रान्ट में से रिलीजियस कामों के लिए, मंदिरों की सेवा पूजा के लिये छोड़ता है, उसको मैं मानता हूँ, लेकिन ओरिजिनल शब्द जहां आता है वह इस बात का द्योतक है कि वह ग्रान्ट सरकार द्वारा मिली है क्योंकि उसमें कोई इस बात का उल्लेख नहीं है कि इतनी जागीरें मन्दिरों के लिए होंगी और इससे आगे बड़ी आपत्ति आने वाली है। तो मैं चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें से 'ओरिजिनल' शब्द को निकाल दिया जाय। अगर सरकार की मूल जागीर मिली हुई है, वह प्रोपर्टी काम में आ रही है तो इसकी व्यवस्था करें। जहां पर नहीं लिखा है, कहीं दो हजार की जागीर है, कहीं तीन हजार की आमद को जागीर है तो इसका मतलब यह है कि मन्दिरों से पूछा जाय कि पट्टे बताओ और अगर पट्टे नहीं हैं तो उस प्रापर्टी को यह समझा जावेगा कि यह ओरिजिनल ग्रान्ट नहीं है और इसके कारण सारी जागीर पर जागीर रिजम्पशन एक्ट के अन्तर्गत अधिकार हो सकता है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा कि जागीरदारों ने ग्रान्ट इन एड दी है, पहले के सिस्टम के अनुसार मन्दिर के पुजारियों के पास सदियों से चले आये हैं, उनके पास पट्टे मिल जाना मुश्किल है। मैं नहीं कहता कि सब के पास पट्टे नहीं मिलेंगे लेकिन अधिकांश के पास पट्टे नहीं हैं, जागीर की आमदनी का उपयोग कर रहे हैं और जागीर की आमदनी मन्दिर के कामों में खर्च के लिए है। अगर कोई कहे कि पट्टा बताओ, ओरिजिनल ग्रान्ट इसको दी है या नहीं, और अगर वह यह साबित न कर सके तो इसका मतलब यह होगा कि इस आमदनी को मुक्त नहीं कर रहे हैं बल्कि सारा काम था उसको अवरुद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ओरिजिनल ग्रान्ट किसी प्रकार सिद्ध न कर सके, कानून अभाव के कारण सिद्ध करने में असफल है, तो सरकार को चाहिये कि इसमें ऐसी व्यवस्था कर दे कि मन्दिर का काम चलता रहे और ओरिजिनल ग्रान्ट उसी प्रकार स्वीकार करें और उसको कानून के प्रभाव से मुक्त करे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस कानून के द्वारा मन्दिरों को अव्यवस्थित करने की चेष्टा को जा रही है, इसलिये सदन को अधिकार है कि मन्दिरों की प्रोपर्टी को जब्त करना चाहिये, वैसे कानून को रद्द करने में एक मत होकर इस कानून को पास न होने देने की व्यवस्था करें।

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष,......

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले कुछ कह दूं तो माननीय सदस्यों को जो कुछ शंका है वह दूर हो जावेगी।

श्री मानसिंह महार—बोलने की इजाजत उनको दे दी गई है।

रावत श्री शम्भुसिंह—मेरा निवेदन है कि मैं जो कुछ बातें अर्ज करूंगा उसको स्वीकार कर कोई ऐसी बात हो उसके बारे में तो फिर जवाब दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—पहले कही हुई बातें हैं उनको न दोहरा कर कोई एडीशन कर रहे हैं तो जरूर कहिये।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जागीर रिजम्पशन और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के ऊपर जो यह अमेंडमेंट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उसके अन्दर मैंने एक संशोधन भी प्रस्तुत किया था। ओरिजिनल जो जागीर रिजम्पशन का कानून है उसमें कुछ जागीरें रिज्यूम नहीं हो सकेंगी, उसके वास्ते उसमें उल्लेख है और उसमें एक वे जागीरें हैं जिनकी आमदनी धार्मिक कार्यों के वास्ते या देवस्थान के वास्ते उपयोग में लायी जाती हैं, उस प्रकार की जागीरें भी रिज्यूम होने के काबिल नहीं मानी गई हैं।

यह व्यवस्था है ओरीजिनल बिल में, इस बिल में नहीं। उसमें केवल एक कन्डीशन थी कि जागीर की आमदनी उस मद में सर्फ हो जाना ही काफी था, मगर इस बिल में कन्डीशन दूसरी डाल दी गई है। वह कन्डीशन यह है कि वह जागीर जिसकी आमदनी उस काम में व्यय की जा रही है देवस्थान की सेवा-पूजा में, उसके अलावा यह कन्डीशन और भी लाजमी है कि उस प्रकार की जागीरी ओरीजिनली उसी काम के वास्ते ग्रान्ट की गई है। यह दूसरी कन्डीशन इसमें लगा दी गई है, तो मैंने अपने संशोधन को प्रस्तुत करने से पूर्व इस बात को भांपा और इसमें मैंने सन्देह किया और इसी से प्रेरित होकर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया था। उस वक्त में मेरी जो जागीर मन्त्रीजी से बातचीत हुई तो उन्होंने फरमाया कि यह बिल्कुल इन्नोसेंट संशोधन है, बिल्कुल किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं, मगर इस एमेंडमेंट बिल के ऊपर जो क्लेरिफिकेशन या स्पष्टीकरण हमारे माननीय मन्त्री जी की तरफ से हुआ उसको सुनकर मुझे जो भय और आशंका हुई थी उसकी पुष्टि हो गई। यानी उस स्पष्टीकरण से ऐसा प्रतीत हुआ कि ओरिजिनल ग्रांट के वास्ते यह जरूरी है कि उसके वास्ते ग्रांट डीड जैसी चीज प्रस्तुत होनी चाहिए और ग्रांट डीड जैसी चीज के अभाव में यह सम्भव है कि ओरीजिनल ग्रांट न मानी जाय और केवल यही बात काफी नहीं है कि उस जमीन का लगान उस कार्य में व्यय हुआ है और उसके वास्ते, ओरिजिनल ग्रांट साबित करने के वास्ते उसको करना होगा और ग्रांट डीड जैसी चीज प्रस्तुत करनी होगी। तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कितने ही मन्दिरों के पुजारी होंगे कि जिनके पास ओरीजिनल ग्रांट डीड उपलब्ध हो और यह कयास के काबिल नहीं करता कि बगैर ग्रांट हुए वर्षों तक उस आमदनी को मन्दिर के काम में लाया जाता रहा है। ग्रांट तो ओरीजिनल जरूर रही होगी परन्तु अब उसमें ओरीजिनल ग्रांट साबित करने के वास्ते यह कन्डीशन डालकर न मालूम सरकार क्या करना चाहती है? तो उस ओरीजिनल ग्रांट सिद्ध होने के अभाव में लाजिमी तौर से नतीजा यह होगा कि जो आमदनी जमीन की मन्दिर की सेवा पूजा में अब तक उपयोग में लाई जाती रही उसका

[रावत श्री शंभुसिंह]

उपयोग में लाना बंद हो जायगा और वह काबिले रिज्यूम के मान ली जायगी और इस प्रकार से बहुत से मंदिरों और देवस्थानों की सेवा उस आमदनी के जरिये जो अब तक होती रही है उसमें बाधा उत्पन्न हो जायगी। जो आज स्पष्टीकरण हुआ है उससे कम से कम मैं संतुष्ट नहीं हूं। माननीय मंत्रीजी फरमा रहे हैं कि वह प्रकाश डालेंगे तो उसको सुनने के बाद हम अपने विचार उत्तर के रूप में निवेदन करेंगे।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष...

श्री बृजसुंदर शर्मा—आपको तो वही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—वही बात कह रहे हैं।

श्री जगतसिंह झाला—बात तो वही है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना निवेदन करना है कि जो पहले जागीरदारों और सरकार के बीच में बातचीत हुई थी उसके अन्दर, मेरा खयाल है ऐसा निश्चय हो गया था कि जो शिकमी जागीरें हैं, जो जागीर के अन्दर से जागीरदार द्वारा दी हुई हैं उनको जब्त नहीं किया जायगा। तो इस एक्ट के अनुसार यह हो रहा है कि उन्हें जब्त करने का अधिकार होगा, मन्दिरों में हस्तक्षेप होगा। इसलिए निवेदन करने का मतलब यह है कि जो स्पष्टीकरण किया गया था और जो मतलब अब ले रहे हैं उसके धर्मादे में हजारों की तादाद में जागीरें दी हुई हैं और जागीरों के रूप में धार्मिक कार्यों के लिए हजारों मंदिरों को सम्पत्ति दी हुई है, तो उस 'ओरीजिनल' शब्द को इन्टर्प्रेट करके ओरीजिनल को वे मानेंगे, सरकार की तरफ से दी गई जागीरें और जागीरों की तरफ से दी हुई जागीरें नहीं मानेंगे तो इससे बहुत बुरी बात यह हो जायगी। इसलिए निवेदन करना है कि इसको स्पष्ट कर दिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने पहले भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि 'ग्रान्ट' का मतलब यह है कि जिनको, ग्रान्ट करने का अख्त्यार है और ओरीजिनल ग्रान्ट डीड से यही मतलब नहीं है कि कोई भी स्टेट ओरीजिनल ग्रान्ट कर दे तो वह कायम रहेगी, लेकिन अगर कोई जागीरदार को ग्रान्ट देने का अख्त्यार है जिसको कि इसमें माना गया है कि, "Sub-grantee of a Jagirdar will also be a Jagirdar." तो जागीरदार को सबग्रान्ट देने का अख्त्यार है और अगर जागीरदार उसकी जागीर में से उसको जागीर दे दे तो उसको जागीर माना जायगा। इसी तरह से जागीरदार ने मन्दिर के लिये जो ग्रान्ट दे दी वह ग्रान्ट मानी जायगी उस मंदिर के लिये। लेकिन परेशानी यह है कि अभी तक जो इसमें वर्डिंग्ज़ है जागीर रिजम्पशन एक्ट में, व यह है कि, "कोई ऐसी जायदाद या जमीन जिसकी आमदनी धर्मादे के काम में लाई जाती है वह जब्त नहीं की जायगी।" लेकिन किसी ने कहा कि एक साल पहले मेरे पास यह जागीर थी, और मैंने इस जागीर को तो साहब दे दी, ठाकुरजी को चढ़ा दी और खुद ही उसका महन्त बन बैठा। ऐसी मिसालें आई

श्री बृजसुन्दर शर्मा

हैं कि जिसमें एक सज्जन थे, जिनके पास जागीर थी। उन्होंने उस जागीर के लिए कहा कि मैंने अपनी जागीर किसी एक मन्दिर के नाम पर कर दी और वे खुद उसके महन्त बन बैठे। वह जागीर ओरीजिनली जिनको अख्त्यार था उन्होंने उस काम के लिए ग्रान्ट नहीं की थी। उन्होंने दी थी एक पर्टिक्यूलर आदमी को और वे उसको खुद ही लेकर महन्त बन बैठे। उन जागीरों के लिए यह लागू होगा, क्योंकि उनकी आमदनी अब तक जब से कि जागीर ग्रान्ट की, मन्दिर के काम में नहीं लाई गई। जागीर रिजम्पशन का वक्त आया उस वक्त कह दिया कि मैंने तो, चाहे करी हो या नहीं, अपनी जागीर ठाकुरजी के अर्पण कर दी, मेरी इस जागीर से ठाकुरजी का भोग राग चल रहा है। लेकिन जिन जागीरों में से जागीरदारों ने इस बात के लिए जागीर निकाल दी कि मैंने इस जागीर में से इतने बीघा जागीर निकाली है इस मन्दिर की सेवा-पूजा के लिये, भोग-राग के लिए जो कि बदस्तूर चालू रहेगी; ऐसी जागीरें हैं कि जो कि जागीरदार ने दी किसी पर्टीक्यूलर पर्पज के लिए, चेरीटेबल पर्पज के लिए, किसी मन्दिर के भोग राग के लिए, उस वक्त उसका उल्लेख है कि मैंने इस जागीर में से इतने बीघा जमीन निकाली है कि इस मन्दिर के भोग-राग के काम में आयेगी और उस जमीन की आमदनी से उस मन्दिर की सेवा पूजा का काम चला आता है। उस जागीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल उस जागीर पर असर पड़ेगा जहां कि जागीर निकाली तो नहीं और यह कह दिया कि मेरे मन्दिर के काम में आती है, प्राइवेट मन्दिर है, उसके काम में आती है। खुद ही जागीर निकाल कर खुद ही उस मन्दिर के मंहत बन बैठे। एक मिसाल है कि एक जागीरदार थे; उन्होंने यह कहा कि सारी की सारी जागीर ठाकुर जी को दे दी और खुद ही चूंकि उस मन्दिर को उन्होंने बनाया था इसलिए मंहत हो गये। ओरीजिनल जागीर थी वह इसलिए ग्रान्ट नहीं की गई थी। इसके जो शब्द हैं उनका आप मुलाहिजा करेंगे। क्लॉज़ २० को पहले मुलाहिजा करेंगे; जागीरदार की जो डेफिनेशन है उसको

" 'Jagirdar' means any person recognised as a Jagirdar under any existing Jagir law and includes a grantee of Jagir land from a Jagirdar."

इसको ओवरलुक नहीं किया है; जो ग्रान्ट जागीरदार ने दी उसको हमने रिकग्नाइज़ किया है, बशर्ते कि जागीरदार ग्रान्ट दे सकता हो। क्लॉज़ २० को मुलाहिजा करें :

"The provisions of this Chapter apply to all Jagirs except the Jagirs the income of which is utilised in the maintenance of any religious place."

मतलब यह है कि कभी भी अगर किसी ने यह कह दिया कि साल भर से मैंने तो इस जागीर की आमदनी में से इतना रुपया उस मन्दिर के भोग राग के लिए खर्च किये हैं तो वह ग्रान्ट हुई नहीं। इसमें यह था कि अगर किसी ग्रान्ट के नीचे, खरचे में से, मैं कहता हूं, जागीरदार अलग सेट एपार्ट करता हुआ चला जाता है, उसमें ये शब्द होंगे। यों तो कोई भी कह दे, दे चाहे न दे, कि इतना रुपया देता चला आता हूं, इसलिए ग्रान्ट होनी

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

चाहिए, जिस तरह कि जागीर की ग्रान्ट के लिए यह मानना आवश्यक होता है कि इसका पट्टा है या नहीं। इसका साबित होना आवश्यक है चाहे वह जागीर रेकार्ड में दर्ज हो या सरकारी रेकार्ड में दर्ज हो कि जागीर दी गई। लेकिन रेकार्ड में कुछ नहीं है कि ग्रान्ट थी या नहीं। एक तो ग्रान्ट करना और ग्रान्ट करने के बाद उस आमदनी से किसी मन्दिर और धर्मार्थ का खर्चा चलाना, ये दो अलग अलग बातें हुई। दोनों होनी चाहिये। एक तो ग्रान्ट का दिया जाना और दिये जाने के बाद उसकी आमदनी से मन्दिर का खर्चा चलाना, ये दनों चीजें होनी चाहिये। अब तक यह था कि कुल खर्चा दिया जाता है, चाहे पट्टा ग्रान्ट का दिया है या नहीं तो भी मान लिया जायगा। इससे बहुत एम्बिग्विटी रहती है। उससे बचने की गुंजायश नहीं थी, वह तो कहेंगे कि मैं धर्मादे में खर्च कर रहा हूं; आप पट्टा मांगेंगे कि तुम्हारा पट्टा बताओ। यदि ग्रान्ट ४०० वर्ष पुरानी है तो हो सकता है कि किसी के पास पट्टा उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी यह साबित है कि ग्रान्ट की होगी तभी तो इतने सालों से खर्चा चल रहा है वरना कैसे चलता और ४०० साल से लगातार लोग लगान दे रहे हैं तो यह मान लिया जायगा कि ग्रान्ट की गई। यह तो स्टेन्डर्ड ओफ प्रूफ की बात है, ग्रान्ट चेरिटी में दी गई थी। प्रूफ के कई तरीके हैं। दस्तावेज़ हों तो दस्तावेज से प्रूफ हो सकता है और यदि दस्तावेज नहीं हों तो और तरह के सुबूत भी पेश किये जा सकते हैं, यह नहीं कि ओरिजिनल ग्रान्ट तभी मानी जायगी जब पट्टा पेश होगा। मकसद यह है कि यह साबित है कि ग्रान्ट की गई है। इसके लिये दान-पत्र होगा या सुबूत होगा। आपकी दी हुई ग्रान्ट चेरिटी के लिए है तो वह रहेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरे अभिप्राय से बिल्कुल स्पष्ट होगा कि जो जागीरें जागीरदार ने मन्दिरों के लिये ग्रान्ट की हैं तो रहेंगी। लेकिन यदि ग्रान्ट नहीं की है तो दूसरा मतलब हो जाता है। यह स्पष्ट है। मैं समझता हूं, यह इतना काफी होगा।

श्री उपाध्यक्ष—The question is, "That the Rajasthan land Reforms and Resumption (Fourth Amendment) Bill, 1956, be passed.

जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें.........…

(कुछ रुककर)

कोरम है या नहीं ?

कुछ माननीय सदस्य—माननीय उपाध्यक्ष, कोरम है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (पंचम संशोधन) विधेयक, १९५६
(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैन्ड रिफोर्म्स एन्ड रिजम्पशन ओफ जागीर्स (फिफ्थ अमेन्डमेंट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर थर्ड रीडिंग के समय पूछना पड़ेगा। यदि वे थोड़ा बोलना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हमें कुछ कहना पड़ेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कंसीडरेशन पर कह देना।

श्री मानसिंह महार—मेरा मोशन है सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का।

श्री उपाध्यक्ष—आप कहिये।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो बिल आया है उसके लिये मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। उपाध्यक्षजी, मेरी शुरू से यह धारणा रही है कि यह जो जागीर रिज़म्पशन का मामला है उसमें, सरकार ने कुछ जल्दबाजी कह लिजिये या ओवर ऐन्थ्युजियाज्म कह लीजिये, उसे ही क्यों, मैं तो कहता हूं कि राजस्थान में जितने भी महत्वपूर्ण कानून पास हुए हैं; जैसे टिनेन्सी एक्ट, लैंड रिफोर्म्स एक्ट आदि, सब में ऐसा लेकुना रह गया है कि सरकार को बार बार अमेंडमेंट्स लाने पड़े हैं और खासकर जागीर के मसले में सरकार को इतने अमेंडमेंट्स लाने पड़ रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं और इसी सभा में आज पांचवां अमेंडमेंट भी उसी चेन में है। मैं यह समझता हूं कि दिखने में तो बहुत अच्छी चीज है लेकिन सरकार ने जो धारा ३६ ए. इस कानून में जोड़ी है वह बहुत ही अच्छी दिखती है, लेकिन इसका असर जो पड़ने वाला है वह यदि वास्तविकता को देखा जाय तो यह उन लोगों को बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करेगा जिन्होंने कम्पेन्सेशन के लिये आज तक दरख्वातें नहीं दीं और यदि यह बात सही है, जैसा कि मुझे दिखता है, इसीलिये मैं चाहता हूँ कि यदि मन्त्रीजी अपने कुछ विचार व्यक्त कर देते तो अच्छा रहता लेकिन उन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किये, तो मुझे दो बार बोलने की नौबत आयेगी। कोई हर्ज नहीं है। मैं यह समझता हूं कि धारा ३६ ए. को बढ़ाना इतना खतरनाक नहीं है जितना कि इस अमेन्डिंग बिल के क्लॉज़ ६ का जो सब क्लॉज़ (बी) है उसको मैं खतरनाक मानता हूं। इस क्लॉज़ को मैं पढ़ कर सुना दूं। उपाध्यक्ष महोदय, सब क्लॉज़ (बी) इस प्रकार है :

[श्री मानसिंह महार]

"All such decisions if pronounced before the period of ninety days immediately preceding such commencement, shall be final and non appealable"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मान कर चलता हूं कि आज के युग के अन्दर जो इस प्रकार की बातें कही जाती हैं और दरवाजे बन्द किये जाते हैं कि कोई खास बात की अपील नहीं की जायगी, उसको तो मैं कभी भी उचित नही मान सकता। मैं यह समझता हूं उपाध्यक्षजी, कि किसी भी मामले में हमको अपील के लिए मौका देना है। धारा ३६ ए.आपने जोड़ी। पहले स्टेटमेन्ट ओफ ओब्जेक्ट स एण्ड रीजन्स को लिया जाय तो उसमें भी साफ है। यह भी हिन्ट करता है उसी तरफ। हालांकि मैं भूस्वामी संघ में नही हूं लेकिन मैं कहूँगा कि उन्होंने कई गलतियां की हैं लेकिन सरकार की जो विद्वेष की भावना है वह नहीं होनी चाहिए। सरकार यह समझती है कि दो आन्दोलन हुए और खत्म हो गये, उनसे बदला लेना चाहिए, यह बात नहीं होनी चाहिए। सरकार को सहानुभूति से देखना चाहिए। विद्वेष की भावना को अपनाना गलत है। आज आप पंच-शील के सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं और अहिंसा का प्रचार करते हैं और दूसरी ओर द्वेष की भावना आप में पैदा होती है, तो यह गलत है। इसमें लिखा हैं :

"It is being noticed that for one reason or the other several jagirdars have not submitted the statements of their claims for compensation and thus considerable difficulty is being experienced in the discharge of the liability of Government under section 26."

बड़े दुःख की बात है, उपाध्यक्षजी। गवर्नमेंट ऐसे कौन से बोझ से दबी जा रही है, मेरी समझ में नहीं आता। अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में उनको डिफीकल्टी होती है। बड़ी सीधी-सादी बात है। यदि कोई आदमी पहले क्लेम नहीं करता है तो घाटे में वही है, सरकार घाटे में नहीं होगी।

वे आदमी जितने दिन फाइल नहीं करेंगे उतने दिन का उनको इन्टरेस्ट नहीं मिलेगा और वह इन्टरेस्ट सरकार के कोष में जाता है तो सरकार को इससे कोई डिफीकल्टी नहीं होगी। जागीर रिजम्पशन का जो मसला है वह चल रहा है। सरकार एक तरफ तो जागीरदारों के लिए इतनी पाबन्दियां लगाती है, उसके साथ ही साथ मैं निवेदन कर दूं कि वे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने क्लेम्स फाइल करें, यह करें, वह करें, दूसरी ओर सरकार की खुद की नीति देखी जाय तो हर आदमी असमंजस में पड़ जायगा। सरकार की नीति के अनुसार जागीर रिज़म्पशन एक्ट पास हुए इतने वर्ष हो गये, अमल में लाये हुए इतने वर्ष हो गये। सरकार के दिमाग में जब पहले जागीर रिज़म्पशन का विचार आया और जब पुराना बिल आया उसको बने पांच — छः वर्ष हो गये। हमारी सरकार जो जागीरदारों के प्रति इतनी सहानुभूति बताती है, वह इससे विचलित हो रही है कि जागीरदार मुआवजा क्यों नही ले रहे हैं ? इससे उनको दुःख होता है। सरकार समझती है कि

[श्री मानसिंह महार]

यह उसका परम कर्त्तव्य है कि वह जागीरदारों को मुआवजा दे। मैं ऐसी सरकार की बड़ी बढ़ाई करता हूं, ऐसी सरकार को मैं बड़ी अच्छी सरकार मानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे उसकी नीयत पर शंका होती है। वह शंका इसलिए होती है कि इतना सब करते हुए भी सरकार ने अब कम्पेन्सेशन के लिए जो बोंड छपवाने चाहिए वे नहीं छपवाये हैं.........

श्री बृजसुन्दर शर्मा— अब छप गये हैं।

श्री मानसिंह महार— जरा जोर से कहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— छप गये हैं अब।

श्री मानसिंह महार— माननीय मंत्री जी फर्मा रहे हैं कि छप गये। जब छः वर्ष बाद वे कहते हैं कि बोंड छप गये हैं तो उससे पता लगता है कि उनकी नीयत कितनी क्लिअर है। सरकार जागीरदारों के प्रति कितनी शुभचिन्तक है, यह इससे साफ जाहिर होता है। मैं उनके इस स्टेटमेंट को शंका की निगाह से देखता हूं। मैं यह मानता हूं कि जब वे कहते हैं दबी जबान से कि छप गये हैं अब, ताकि वे कल कांटाडिक्ट कर सकें और कल कह सकें कि छपने की अन्तिम स्टेज में हैं और जल्दी ही आने वाले हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान सरकार के पास एक भी बोंड नहीं आया। वे सदन में गलत बात कह सकते हैं, गलत परम्परा वे डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगा। मेरी यह निश्चित धारणा है और मैं इस स्टेटमेंट को गलत मानता हूं। हो सकता है कि दिल्ली में छप गये होंगे, वे मद्रास में छप गये होंगे, हैदराबाद के, मध्य भारत के, मध्य प्रदेश के, जागीरदारों को बोंड मिल गये होंगे, पर राजस्थान में आज तक एक भी बोंड नहीं आया है, आज मिलने की बात तो दूर रही लेकिन आज तक आया भी नहीं है और हमारी सरकार उस ओर प्रयत्नशील भी नहीं है। पहली चीज जो सरकार ने दिखाई और उस सारे मामले को खड़ा किया कि हम बड़े विचलित हैं कि जागीरदारों को जल्दी से जल्दी खत्म नहीं कर पाये हैं। यह बिल्कुल भ्रामक है, गलत है। सरकार को चाहिए कि वह पहले अपनी नीयत को साफ करे। आपके करने की बात तो यह है कि जिन लोगों ने अपने क्लेम्स फाइल कर दिये हैं, उनका मैदान आप साफ कर दीजिए और उनके क्लेम्स फाइनेलाइज़ करके उनको पैसा दे दीजिए। जब आपके डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर के आफिस में काम न रहे तो उस समय कहिए कि हमारे पास काम नहीं है। इतना बड़ा विभाग मेन्टेन कर रहे हैं और जागीरदार अपने क्लेम्स फाइल नहीं कर रहे हैं तब हम उनकी बात मान सकते हैं। लेकिन ऐसी बात सरकार के सामने नहीं है। (घंटी) ऐसी कोई डिफीकल्टी नहीं है। आज जिन लोगों ने अपने क्लेम्स फाइल किये हैं वे दर दर भटकते फिर रहे हैं। कोई अगर सिकराये तहसील जाता है तो उससे कहा जाता है कि लालसोट का है, अगर वह लालसोट जाता है तो उससे कहा जाता है कि जयपुर तहसील का है। उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर दफ्तरों में देखा जाय तो वहां जो कार्यकर्त्ता हैं वे ओवर वर्क्ड हैं।

[श्री मानसिंह महार]

उनके पास इतना काम है, कि वे वर्तमान काम के साथ कोप विथ नहीं कर सकते। इस पर अगर जागीरदारों के क्लेम्स एक दम से आ जायें तो हर चीज मेस हो जायगी, कम्पलीटली मेस हो जायगी, हर कागजात घुल मिल जायेंगे। महार के ठिकाने के कागजात उदयपुर डिवीजन में भेजे जायेंगे, क्लेम्स का डिसीजन करने के लिए और सादड़ी के क्लेम्स जोधपुर भेजे जायेंगे.........

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इसका अमेंडमेंट से क्या ताल्लुक है ?

श्री मानसिंह महार—यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—पर यह अमेंडमेंट से क्या ताल्लुक रखता है ?

श्री मथुरादास माथुर—बोलने दीजिए।

श्री मानसिंह महार—जब मुखियाजी ने एलाउ कर दिया है तो उपाध्यक्ष महोदय, आप कुछ कन्सीडर कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप पांच मिनट में खत्म कर दीजिए।

श्री मानसिंह महार—मैं पांच मिनट ही बोलूंगा। उपाध्यक्ष जी, मुझे इतना कहने की आवश्यकता नहीं होती अगर माननीय मंत्रीजी मुझे समझा देते जैसा कि मैंने उनसे अर्ज किया था। मेरे बोलने के बाद वे भी कुछ कहेंगे और मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा।

मेरा निवेदन था कि इसके अन्दर जागीरदार के प्रति सहानुभूति कहां दिखाई दी ? यह पहली चीज है। दूसरी बात यह कि इसमें लिखा है :

"Further it is only just that, like Jagirdars, their maintenance-holders and co-sharers should also be provided the benefit of interim payment...."

और आगे मैं अर्ज करूं कि इसमें क्या है :

"pending the final detemiration of the amount of compensation."

यानि डिफीकल्टीज़ बताते हैं और उसके आगे उसे क्लेरीफाई कर देते हैं :

'As a matter of fact in a number of cases such interim payments have been allowed..."

[श्री मानसिंह महार]

मेन्टीनेन्स अलाउन्स अलाउ कर दिया गया है, उसको मिल रहा है । यह भी डिफीकल्टी नहीं है कि मिला नहीं है । उनको दिया जा रहा है । यह डिफीकल्टी सरकार के सामने होती कि साहब, उनको मिल नहीं रहा है इसलिए इस नये कानून को थोपा जाय और सेक्शन ३६ से आगे जोड़ कर उसको किसी प्रकार किया जाय । यह नहीं है कि उनको मिल नहीं रहा है । सरकार उनको इन्टेरिम कम्पेन्सेशन दे रही है, को-शेअरर को मेन्टीनेन्स अलाउन्स मिलता है; तो यह भी डिफीकल्टी सरकार के सामने नहीं है । ये सारी बातें होते हुए भी फिर भी जिन लोगों ने आज तक क्लेम्स सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनको परेशान किया जाय । उनको परेशान किस तरह से किया जाय, उसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को क्या हक होगा, यह सेक्शन (बी) में बता दिया है :—

"All such decisions, if pronounced before the period of ninety days immediately preceding such commencement, shall be final and non-appealable."

बड़े अफसोस की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक जागीर के अन्दर दो को-शेअरर हैं, उनमें एक को-शेअरर जो कि कांग्रेस विचारधारा रखता है और दूसरा जो कि मेरे मित्र भू-स्वामी की सी विचारधारा रखता है, दो पेरेलल लाइन्स पर रखते हैं, उनमें से एक जो को-शेअरर क्लेम फाइल कर देता है और दूसरा नहीं करता है तो जो कांग्रेस की सी विचारधारा रखता है उसको जागीर में से १।३ का, जो उसका हक नहीं है, उसको दे दिया गया है जब कि उसका हक २।३ का है। अगर दूसरा जो कि भू-स्वामी की सी विचार-धारा रखने वाला आदमी है वह अगर अपना क्लेम बाद में फाइल करेगा तो उसको इस कानून के अधिकार के आधीन अपील करने का अधिकार नहीं है। वह कहेगा कि पहले वाले ने १।३ हिस्सा ले लिया है, जब कि उसका २।३ हक है, इसलिए जो १।३ मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। इसलिए आपने इस प्रकार की जो बात रखी है वह गलत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब आप मेरी तरफ देखते हैं तो मैं कांप उठता हूँ । (हंसी) इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे वकील हैं, मैं एक ले मैन हूँ, अगर इसमें कोई गलत बात है तो वे मुझे समझा दें ! उनके उत्तर के बाद भी मेरे दिमाग में बात नहीं आयेगी तो वे बाद में मुझे समझा दें । उनके उत्तर के बाद भी मेरे दिमाग में बात नहीं आयेगी तो वे बाद में मुझे समझा दें । एक दो दिन के लिए सिलेक्ट कमेटी में बैठ कर और उस पर शांतिपूर्वक बात कर लीजिये, इसमें कोई हर्ज नहीं है; आपके पास और भी एजेंडा है, उसको पहले पास कर लीजिए । आज ही सब गवर्नमेंट होस्टल में बैठ कर इसे तय कर लेंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं । इसलिए जो मेरा इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का सुझाव है, उसके लिए मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे क्योंकि यह वाजिब बात है । सरकार भी भू-स्वामी को जगाना नहीं चाहती, यह मेरी निश्चित धारणा है । मैं आशा करूंगा कि मेरा प्रस्ताव सदन स्वीकार करेगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे यह समझ में नहीं आता कि यह बिल परेशानी दूर करने के लिए लाया गया है अथवा परेशानी में डालने के लिए ? मेरे मित्र काफी समझदार हैं, पर उनकी आदत है कि वे नासमझ बनें। वे स्पीच तो वैसे भी दे सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वे समझ सब रहे हैं और सारी बातें जानते हुए भी वे नासमझ बने रहते हैं। तो नासमझी कोई अलग नहीं है, अगर कोई समझदार नासमझ बन कर रहता है।...

यह इतना भी भूस्वामियों का, जागीरदारों का मामला जो रिजम्प्शन हुआ है आपसी बातचीत से, जो डिफीकल्टीज आ रही हैं उन्हें निबटा कर सरकार ने सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। जागीरी रिज़म्प्शन एक्ट में क्लेम्स रखने की मयाद रखी थी, लोगों ने कहा कि क्लेम्स दाखिल मत करो और क्लेम्स लोगों ने दाखिल नहीं किये। क्लेम्स दाखिल नहीं करने का मतलब है कि मुआवजा नहीं मिलेगा और मयाद निकल जाने के बाद भी अगर सरकार ने कह दिया कि क्लेम्स दाखिल करने का और मौका देते हैं क्लेम्स दाखिल करने का पीरियड एक्सपायर हो चुका है, हम क्लेम्स दाखिल करने का पीरियड और एक्स्टेन्ड करते हैं, क्लेम्स दाखिल कर दो, सरकार उन पर निर्णय करेगी। तो इस अमेंडमेंट के जरिये जो पीरियड लेप्स हो गया उसको बढ़ा दिया, इसके लिए यह कहना कि उनकी परेशानी को मिटाने के लिए तो यह अमेंडमेंट लाया गया है कि तुमने नियत पीरियड में क्लेम्स दाखिल नहीं किये, पीरियड जो लेप्स हो गया है उसको और एक्स्टेन्ड किया जाता है, इसमें अपने क्लेम्स दाखिल कर दो, सरकार उस पर निर्णय देगी और तुम्हारे क्लेम्स तुम्हें मिल जायेंगे। इसको अगर परेशानी बढ़ाना कहा जाता है तो इसके लिए मुझे अफसोस है, इसके लिए मेरे मित्र कहें कि यह जागीरदारों को परेशानी में डालने की बात है तो इस पर मुझे आश्चर्य और दुःख होता है। अगर वे यह चाहते हैं कि क्लेम्स दाखिल करने का पीरियड जो एक्सपायर हो चुका है उसे एक्स्टेन्ड न किया जाय, वे इसका विरोध करें, हमको इसमें कोई एतराज नहीं है और अगर वे चाहते हैं कि क्लेम्स मिलने चाहिये और इसके लिए क्लेम्स दाखिल कराने का पीरियड जो एक्सपायर हो चुका है वह बढ़ाया जाना चाहिये तो इस अमेंडमेंट को स्वीकार करें।

दूसरी बात आपने यह फरमाई है कि इन्टेरिम मेन्टीनेन्स अलाउन्स के लिये कोई प्रोविजन नहीं था, तो दफा २७ और २९ में उन लोगों की बेचैनी और परेशानी का जो अनुभव हुआ वह माननीय सदस्यों को याद है। जो मेन्टीनेन्स होल्डर थे, इसका फैसला नहीं होने तक उनको कोई चीज नहीं मिली, उनके लिए भी जरूरी था कि मेन्टीनेन्स होल्डर हैं उनका मेन्टीनेन्स डिटर्मिन हो तब तक इन्टेरिम मेन्टीनेन्स का प्रोविजन इसमें किया है।

तीसरी बात यह कही गई कि इसको अपीलेबल नहीं रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि मेन्टिनेन्स का प्रोविजन २७ और २९ में हैं। इस एक्ट के जरिये इन्टेरिम मेन्टिनेन्स अलाउंस २५ रुपया माहवार तय किया, इसके लिए उनका क्लेम ३० रुपया माहवार है और इसके लिए अपील को तो इस प्रकार तो फैसला ही नहीं हो सकेगा। इन्टेरिम की अपील होगी तो फिर उसका

[redacted]

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

तो फैसला कभी हो ही नहीं सकेगा। इसके लिए हमने प्रोविजन रखा है कि १०० रुपयों का किसी का क्लेम है और वह जब तक फाइनली तय नहीं हो जाता तब तक के लिए हम कहते के कि इन्टेरिम कम्पेन्सेशन के तौर पर ५० रुपया हम देते हैं तो इसके लिए अपील की क्या आवश्यकता है, फाइनल डिटर्मिनेशन के लिए तो अपील है। जो अधिकार पहले एक्ट ने नहीं दिया वही अधिकार इससे दे रहे है, पहले जो डिसिजन हुआ वह एग्रीमेंट के आधार पर डिसिजन हुआ; एक्ट के आधार पर तो नहीं था और पहले डिटर्मिनेशन की अपील है। हमने कहा कि ऐसा प्रोविजन तो नहीं है, पर हम यह इन्टेरिम रिलीफ देते हैं। १०० रुपयों का क्लेम है तो ५०) तो पहले दे देते हैं। जब इसमें अपील का पहले प्रोविजन ही नहीं था तो अब अपील कैसे कर सकते हैं? पहले प्रोविजन नहीं था तब भी इसके लिए अपील नहीं कर सकते थे और अब भी नहीं कर सकते। इसलिए इससे फाइनल डिटर्मिनेशन के लिए जो अपील का अधिकार है उस पर इससे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता और न यह किसी प्रकार का अन्याय है। किसी का १०० रुपये का क्लेम था उसको कह दिया कि २५) रु० अभी इन्टेरिम रिलीफ के तौर पर ले लो, बाकी फाइनल डिटर्मिनेशन के वक्त मिल जायगा, इसके लिये तीन महीने पहले फैसला हो गया है। वह अपील कैसे करेगा, मर्जी से लेने वाला अपील ही काहे को करेगा?

श्री मानसिंह महार—बोंड्स के बारे में?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बोंड्स के बारे में इसमें कहीं नहीं है, इर्रिलेवेन्ट आपने कहा है।

इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि माननीय मित्र को समझदार होते हुए ना समझदार नहीं बनना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे अफसोस इस बात का है कि बोलते समय कोई आर्ग्युमेंट दिया जाता है तो उस वक्त जवाब दे दिया जाता है और क्लेरिफिकेशन चाहते हैं तो कह दिया जाता है कि इर्रिलेवेन्ट है। बड़े अफसोस की बात है कि बोंड्स के बारे में पहले तो धीरे से कह दिया गया सदन को कि छप गये और जब क्लेरिफिकेशन चाहा गया तो दुबक गये और कह दिया कि इर्रिलेवेंट है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि बोंड्स के बारे में जो बात कही गई वह गोलमाल थी।

दूसरा, मैं क्या निवेदन करूं, ये कानूनी मामले ऐसे जटिल होते हैं कि इनके अन्दर जाऊंगा तो दो तीन दिन लग जायेंगे। मैं भी थोड़ा बहुत कानून पढ़ा हुआ हूँ, वकालत नहीं करू तो यह एक अलग बात है। कानून को देखकर बहस करने लग जाऊं तो मैं मन्त्री जी से ज्यादा कमाऊं और काबलियत भी ज्यादा रखता हूं।

[redacted]

[श्री मानसिंह महार]

आप कहते हैं कि इसमें अपील की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप यह इर्रिलेवेन्ट बातें, ये रिडन्डेन्ट चीजें जोड़ते ही क्यों हैं ? मैं तो अभी भी यह मानकर चलता हूं और इसके लिए दलील दे सकता हूं और अगर जागीर मन्त्री जी यहां होते तो उन्हें समझाया भी जाता और उनको आगे भी दलीलों के आधार पर कोई बात कहते तो उनको इन सब बातों का ध्यान रहता पर आज आप उनके स्थान पर विराजमान हैं। आपसे न्याय की उम्मीद होती तो आपसे कहा जाता पर आपसे न्याय की उम्मीद नहीं, आप अपनी जिद् पर आरूढ़ हैं। इसके लिए मैं यही बहतर समझता हूं कि सदन का अधिक समय न लेकर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव मैंने रखा है, सदन का समय व्यर्थ में ही नष्ट न हो, इसके लिए मैं अपने उस प्रस्ताव को वापिस ले लूं, यही बहतर होगा। यह तो मैं आशा नहीं कर सकता कि मन्त्री महोदय कोई भी न्यायपूर्ण बात स्वीकार करेंगे। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से सदन से निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का मैंने जो मोशन रखा है उसको वापिस लेने की मुझे आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री मानसिंह महार को उनका मोशन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री मानसिंह महार—इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का जो मेरा मोशन है उसे मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रिफोर्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (फिफ्थ अमेंडमेंट) बिल, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया। खण्ड २ व ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि इसके खण्ड २ और ३ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

Clauses 2 and 3 are added to the Bill. clause 4, Shri Shambhu Singh.

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लेन्ड रेवेन्यु एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (फिफ्थ अमेंड्मेंट) बिल के क्लॉज़ ४ पर मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है :

"In Clause 4 insert the word 'And with the consent of the Jagirdar' in line seven after the word 'behalf' in sub-section (1) of new section 36 (a)."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ३६ (ए) सेक्शन में जागीरदारों को, मेंटीनेन्स होल्डर को इन्टेरिम कम्पेन्सेशन देने के मुतल्लिक व्यवस्था की गई है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसके मुख्य उद्देश्यों पर कुछ कहूँ इसके पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लेन्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स एक्ट, राजस्थान पर यह पांचवा एमेंडमेंट है और राजस्थान में इससे जागीरदारों को अत्यन्त असन्तोष मिला और उसके परिणाम स्वरूप भूस्वामियों के संघ का आन्दोलन हुआ, जिससे प्रकट होगा कि जागीरदारों को व भोमियों को कितना असन्तोष है। इससे इस बात का विश्वास करने में कोई संदेह नहीं रहता कि जब राजस्थान में भूस्वामी संघ का आन्दोलन चल रहा था तो सरकार की तरफ से बराबर यह दुहाई दी जाती थी कि जिस भूस्वामी संघ में कानून के बनाने से असन्तोष फैल रहा है वह सर्व सम्मति से बना है। मगर उसमें जागीरदारों और उसके प्रतिनिधि नहीं थे। कुछ पंचों पर इस बात पर सरकार ने निर्णय छोड़ दिया था और उसके आधार पर जो कुछ मसाला तैयार हुआ, उसके आधार पर यह रिजम्प्शन एक्ट बना है और इसमें तरमीम नहीं हो सकती लेकिन आश्चर्य है कि सरकार अपने मनमाने तरीकों से इक्ट में जिसको जागीरदार और भूस्वामी संघ वाले असंतोषजनक मानते हैं, पर सरकार उसको संतोषजनक और एक प्रकार से वाजिब कानून मानती है, वह भी बार बार इसमें एमेंडमेंट करने की आवश्यकता महसूस करती है और आश्चर्य इस वक्त अधिक बढ़ जाता है जब कि सरकार की ओर से इस प्रकार का अमेंडमेंट आता है कि इस कानून का जिस वर्ग के साथ संबन्ध है उसमें असंतोष बजाय घटने के बढ़ जावें। ऐसी सरकार को क्या कहें ? यह तो है इस कानून की भूमिका। इसके आगे अब, इस कानून में जो कुछ प्रोवाइड किया गया है मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने इसमें व्यवस्था की है कि मेन्टीनेन्स होल्डरों को इन्टेरिम कम्पेन्सेशन देने का सरकार यह दावा करेगी कि हम तो मेन्टिनेन्स होल्डरों को इन्टेरिम कम्पेन्सेशन देकर जागीर वर्ग में जो असंतोष है उसको कम करना चाहते हैं परन्तु अगर इसको दूर करने की दृष्टि से देखा जावे तो इसमें भी एक चाल है और वह है मेन्टिनेन्स होल्डरों और जागीरदारों के बीच में किसी प्रकार की फूट डाली जाने की। माननीय उपाध्यक्ष, इस कानून का ताल्लुक केवल मेन्टीनेन्स होल्डरों से है और जागीरदारों और मेन्टिनेन्स होल्डरों सबसे है और इस कानून के विरोध मे जागीरदारों ने या भूस्वामियों ने अधिकतर मुआवजे के पैसों के लिए फोर्म दाखिल नहीं किये और मुआवजा नहीं लिया और अपना केस पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुत कर रखा है और जब तक वे इसका निर्णय न दे देते हैं तब तक उन्होंने अपने फोर्म को भरना और मुआवजे के रुपये लेने को स्थगित कर दिया है। परन्तु इसमें सरकार की यह चाल प्रतीत होती है कि जब तक पंडित नेहरू से उनका तस्फिया नहीं हो तब तक मेन्टीनेन्स होल्डरों में फूट डालकर मुआवजा मांगने की दरख्वास्तें लेकर बाला बाला इकतरफा उन दरख्वास्तों पर कुछ निर्णय कर देवें और वे इस प्रकार के होंगे और जितने होंगे, उनके लिए यह कहा जा सकता है कि

[रावत श्री शम्भुसिंह]

सेक्सन २७ या २९ के अन्दर में हुए। वे सेक्शन्स मेरे पास नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ सिद्धांत हों जिन के आधार पर मेन्टीनेन्स होल्डर को मेन्टीनेन्स मिलेगा मगर फिर भी वह बात इकतरफा रह जावेगी और यह होगा कि पेरेन्ट जागीरदार जो हैं उनसे कुछ भी इसके बारे में जवाब लिए बगैर ही निर्णय कर दिया जावेगा। तो मैं यह कहूँगा कि यह बात अनुचित होगी और जागीरदार जो है उनकी अनुपस्थिति में केवल मेन्टीनेन्स होल्डर्स या को शेअरर्स को जितना शेअर मिलना चाहिये एक दफा दे दिया जावेगा और जब श्री नेहरू अपना जजमेंट देंगे और भू-स्वामियों ने कानून के अनुसार, जो लॉज फ्रेम किये, तो उस वक्त जो कम्पेन्सेशन दे दिया जावे और उसके आधार पर जो मिलना चाहिये वह वास्तव में नहीं मिल सकेगा और इसमें कई बाधाएं उपस्थित होंगी। इसलिए मैंने एक सीधा सा संशोधन सीधे से शब्दों में रखा है कि ये शब्द बढ़ा दिये जावें 'with the consent of a Jagirdar' जागीरदार की कन्सेन्ट से होना चाहिये।

('शेम-शेम' की आवाज विरोधी दल की तरफ से)

तो मेरा मतलब इन मेन्टीनेन्स होल्डरों की भलाई करने का कतई नहीं है लेकिन इसमें जो फूट डालने की चेष्टा की जा रही है उससे बचने के लिए यह शब्द रखे है ताकि एकसपार्टी तजवीज नहीं हो सके। इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री भैरूसिंह(१६)—माननीय उपाध्यक्ष, सराडा सलुम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। कुछ ऐसा लगता है माननीय उपाध्यक्ष, कि इस प्रकार के संशोधन के अभाव में माननीय सदस्य पर खुद पर भी कोई इसका असर होने वाला है। आज वास्तव में अवस्था इस प्रकार की चल रही है कि जागीरदार कुछ इस आड़ में कि भूस्वामी संघ के आन्दोलन के कारण कुछ ऐसी चीज समझ बैठे हैं कि जागीर हमारी उसी रूप में हमारी रह जाये और अगर कम्पेन्सेशन के फोर्म भर दें तो एक प्रकार से हमारा कमिटमेंट हो जाय और उसके कारण बहुत मुमकिन है कि जिस सिद्धान्त को हम आगे रख कर कार्यवाही कर रहे हैं मैं समझता हूं कि उस सिद्धान्त में किसी प्रकार की खामियां महसूस हो जायें, इसलिये वह चाहते हैं कि कम्पेन्सेशन के फोर्म्स में उस समय तक हम किसी प्रकार के उल्लेख न करें जिस समय तक कि सरकार मांगें स्वीकार न कर लें। दूसरी चीज यह भी है कि कई जागीरदार ऐसे हैं मेरा मतलब है माननीय सदस्य मुझे माफ करें, तो मैं यह भी कहने को तैयार हूं कि वह स्वयं भी इन जागीरदारों में आते हैं कि जो चाहते हैं कि जिनको मेन्टीनेन्स अलाउन्स मिलता है उनको यह मेन्टीनेन्स अलाउन्स न मिले और जिनको यह मेन्टीनेन्स अलाउन्स मिलता है उसको भी यह स्वयं ही हजम कर जायें। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरों को जो मेन्टीनेन्स अलाउन्स मिलता है उसको ही वे हजम कर जायें, यह बड़े ही शर्म की बात है; इससे और अधिक शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है।

Page No 91

[श्री भैरूंसिंह]

मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आज राजस्थान में इस प्रकार का जागीरदारी सिस्टम है कि जो जागीरदारी सिस्टम आज के सोशियलिस्टिक पेटर्न आफ सोसायटी में किसी प्रकार से भी उचित नहीं कहा जा सकता। आज से दो वर्ष पूर्व जिस समय यह बिल लाया गया था उस समय भी मैंने वाद-विवाद के दौरान में यह कहा था कि इस इकाई की प्रथा को खत्म किया जाय। जहां माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था और उन्होंने इस कारण से विरोध किया था कि उनके रवैये के कारण से उनके क्षेत्र के कुछ मेंन्टीनेन्स होल्डर्स को क्षति पहुँचती है। यह सचमुच ऐसी ही बात है। इससे माननीय सदस्य मैं समझता हूं कि इन्कार नहीं कर सकते। अगर वह इन्कार करेंगे तो मैं उनको इसके लिये सुबूत दे सकता हूं। मैं उन पत्रों को सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूं जिनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि इस चीज से उनके क्षेत्र के मेन्टीनेन्स होल्डर्स को क्षति पहुँचती थी। खैर, मैं यह नहीं चाहता कि राजस्थान में जागीरदार किसी न किसी कारण से कम्पेन्सेशन न लें और उनकी गलतियों का खमियाजा मेंटीनेन्स होल्डर्स को भुगतना पड़े। मेंटीनेन्स होल्डर्स को जितना मिलता था वह उसी रूप में मिलता रहे इसके पक्ष में मैं सदा कहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेंटीनेन्स होल्डर्स को किसी प्रकार का नुकसान पहुचे। हमने तो उनको मेंटीनेन्स इसलिये दिया था कि जागीरों को हम एक कन्सोलीडेटेड रूप में बनाना चाहते है। एक ओर तो हम इकाई प्रथा को बनाये रखना चाहते हैं और दूसरी ओर इसमें हम मेंटीनेन्स अलाउन्स दे रहे है वह भी बन्द कर दें तो यह एक शोभा की चीज नहीं हैं। वे कहना चाहते हैं कि हम चुनावों के दिनों में इसी बात को एडवोकेट करते रहेंगे। यह जो संशोधन मेरे माननीय मित्र ने रखा है वह उनके जीवन में एक रूप से कलंक लाने वाला है और बेहतरी इसी में है कि वह इसको वापिस ले लें। मैं क्या देखता हूँ कि आज कल के जागीरदारों का यह रवैया है कि वह चाहते हैं कि मेंटीनेन्स होल्डर्स को एक रुपया भी न मिले। वह चाहते हैं कि उनको जो कम्पेन्सेशन मिल रहा है उसमें से किसी को भी हिस्सा न मिले। आज जागीर ऑफिस में अगर मालूम करें तो हमको पता लग जायगा कि मेंटीनेन्स होल्डर्स को कोई रुपया नहीं मिला। हम चाहते हैं कि मेंटीनेन्स होल्डर्स को पूरा पूरा मेंटीनेन्स अलाउन्स मिले। लेकिन जो कि उनको मेंटीनेन्स मिलता था वह कम्पेन्सेशन में से काट कर देना चाहिये। अब एक चीज और रह जाती है कि वह जागीरदार जो कि सरकार को धोखा दें और कहें कि मेरे कोई भी मेंटीनेन्स होल्डर्स नहीं हैं तो ऐसे लोगों को कठोर ५ वर्ष का दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिये। जागीरदार ऐसा झूठ बोल सकते हैं कि हमारे कोई भी मेंटीनेन्स होल्डर्स नहीं है, यह दुख की बात है। इससे उनको ही फायदा है। मैं सराडा सलूम्बर से आने वाले सदस्य के लिये चाहता हूं कि वह इसको वापिस ले लें, यह उनके लिये ही अच्छा है गरीब मेंटीनेन्स होल्डर्स के लिये भी यह अच्छा है। हां, यदि माननीय सदस्य ऐसा संशोधन लाते कि मेंटीनेन्स होल्डर्स को और भी ज्यादा मिले जो कि उनको आज मिल रहा है तो उस चीज का मैं स्वागत करता। फिर भी मैं अभी अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि वह अपने संशोधन को वापिस ले लें, इसी में उनकी भलाई है।

श्री मोतीलाल चोधरी—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं भी इस अमेंडमेंट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। हम जानते थे और वह सही बात थी कि जो प्रगतिवाद के मानने वाले हैं उसके सिद्धांत को भी सामने रखें तो मालूम होता है कि जागीरदारों के दिमाग भी अभी तक सही मात्रा में साफ नहीं हुए हैं और इस अमेंडमेंट से यह साफ है कि उनकी जागीरी जरूर चली गई हैं लेकिन उनमें से अभी तक जागीरदारी की बू नहीं गई है। जैसे मेरे पूर्व बोलने वाले साथी, जो रामगढ़ से आये हैं, उन्होंने जो सही बात कही कि जागीरदार लोग मेन्टीनेन्स होल्डर्स को रुपया नहीं देते हैं और उनकी उनको रुपया देने की इच्छा भी नहीं होती है, यह बात बिल्कुल सही है। जो पहले सिस्टम था उस सिस्टम का रवैया अभी तक भी चल रहा है और तनिक भी प्रगतिवाद के दृष्टि कोण से राजस्थान के अन्दर जो साथी जागीरदारों के पक्षपाती हैं और जो कहते थे कि हम तो जागीरी छोड़ देंगे और सरकार के फायदे के लिये हम अपनी जागीरदारी का भी बलिदान कर देंगे आज उनके नक्शे साफ जाहिर होते हैं कि किस तरह से वह भूस्वामी आन्दोलन को चला रहे थे। उनकी मन्शा साफ थी कि वह सारा रुपया जो उनको कम्पेन्सेशन का मिले वह खुद ही रख लें और उसमें से एक भी रुपया मेन्टीनेन्स होल्डर्स को न दें। तो मैं इस अमेंडमेंड का विरोध करता हूं और यह अपील करता हूं, मेरे अमेंडमेंट मूव करने वाले साथी से कि वह इसको वापिस ले लें। अगर वह इसको वापिस नही लेते हैं तो मैं साफ कहूंगा कि जो कुछ भी सम्मान उन्होंने अब तक पाया है वह खो बैठेंगे। अगर वह इस अमेंडमेंट को वापिस ले लेते हैं तो जो कुछ सम्मान उन्होंने अब तक खोया है वह उनको वापिस मिल जायेगा और यही फिर मैं आपके द्वारा उन तक यही बात पहुंचाता हूं कि वह अपना अमेंडमेंट वापिस ले लें।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे जो भीलवाड़े से आने वाले दोस्त हैं, अभी उनके अमेन्डमेन्ट पर दो तीन तरह की विचारधारायें जो हमारे सामने आईं। उनका विश्लेषण करने से पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि मैं भी उस अमेन्डमेन्ट का विरोध तो जरूर करता हूँ लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की जो कन्सेन्ट की बात कही जाती है उसका मतलब यह हो जाता है कि फिर उस गरीब गुजारेदार को या जो भी कोई होगा उसको अपने जो ड्यू मिलने चाहिये, वे चाहे मिलने में पचास तरह की रुकावटें आयेंगी इसलिए जो अमेन्डमेन्ट के अन्दर बात रखी गई है इसके अन्दर जो भावना है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं आशा करूंगा कि मेरे मित्र ने कोई डिफिकल्टी होने की वजह से यह बात रखी होगी। जैसा हमारे जनसंघ से आये हुए मित्र ने लोगों के दिमाग में गलतफहमी रखनी चाही उसको मैं नहीं मानता हूं लेकिन यह जरूर मानता हूं कि इस प्रकार का जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है वह मेरे माननीय सदस्य का निजी अनुभव या निजी विचार हो सकता है। लेकिन उनकी पार्टी का, यानि हिन्दू महासभा का, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि वह मेरे माननीय सदस्य राजस्थान हिन्दू महासभा के प्रेसीडेन्ट हैं, विचार नहीं होगा। इसको वे खुलासा जरूर करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री मानसिंह महार—(जारी रखते हुए) माननीय उपाध्यक्षजी, तो मैं यह निवेदन कर रहा था और मेरी यह निश्चित धारणा है कि राजस्थान हिन्दू महासभा की भी इस प्रकार की पोलिसी कभी नहीं होगी और जो माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा है वे भी इस बात को मंजूर करेंगे। फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि जब हिन्दू महासभा और जनसंघी सदस्यों में आपस में वादविवाद हो रहा था तो उस समय मेरे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य बीच में ही आ धमके, उनको यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि चलो इन दोनों पार्टियों में भी स्प्लिट हो गया, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि हम ऐसे छोटी छोटी बात में झगड़ा नहीं करते, हम तो इनसे कितने ही ऊपर हैं। आपने सोचा होगा कि जिस प्रकार आपकी कांग्रेस पार्टी में मतभेद है उसी तरह से हम भी छोटी मोटी बातों पर लड़ते होंगे। हम तो बहुत ऊंची स्थिति पर पहुँचे हुए हैं, हम इन छोटी मोटी बातों पर एक दूसरे को खाने को नहीं दौड़ेंगे, जिस प्रकार कि कांग्रेस के लोग करते हैं। अगर किसी ने गलती की है तो उसको ठीक करेंगे, दोनों भाई अपने अपने नुक्ते-निगाह को समझेंगे और जिन माननीय सदस्य ने यह अमेंडमेंट रख कर गलती की है वे अपनी गलती को सही करेंगे और जनसंघी मित्र ने अपने प्रचार की नीयत से जो कुछ बातें कह दीं उनको वापिस लेंगे और ज्यादा प्रचार करने की कोशिश नहीं करेंगे।

इसके अलावा मैं तीसरे मित्र से यह जरूर कहूंगा कि वे दोनों के बीच में अपना सिर देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, यह उनको सोच लेना चाहिये। हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं जिनका बीच में सिर होगा वही फूटेगा। इसके साथ साथ मैं संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह संशोधन समयानुकूल नहीं है। उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि वे बुजुर्ग हो गये हैं, उनके जमाने में यह चल सकता था किन्तु आज १९५६ है, इस प्रकार की बातें नहीं हो सकतीं। मैं यह भी मानता हूं कि वे अपने आपको समय के अनुकूल अभी तक नहीं बना पाये हैं, यह तो उनकी पगड़ी से ही साफ झलकता है। यह न कहते हुए भी मैं उनसे निवेदन करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि यह जो आपका अमेंडमेंट है वह अटपटा लगता है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। इसलिये उनसे प्रार्थना करूंगा कि गलत बात जो आपने रख दी है उसे वापिस लेंगे ताकि जो मित्र इससे लाभ उठाना चाहते हैं वे नहीं उठा पायेंगे। उनको पता चल जाय कि हम कांग्रेसियों की तरह आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं, हम एक दूसरे से मिल कर रहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो अमेंडमेंट मूव किया गया है उसके बारे में जितनी भी स्पीचेज़ हुईं वे सब उसके विरोध में हुई हैं। उन्होंने मेरे काम को हल्का कर दिया है। जितना विरोध इस संशोधन का हुआ है उसको देखते हुए माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे।

रावत श्री शम्भुसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मेरे निर्दोष अमेंडमेंट को गलत समझा गया। माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह अमेंडमेंट इसलिए प्रस्तुत नहीं किया कि मेन्टीनेन्स होल्डर्स को मेन्टीनेन्स नहीं मिले। मेरा तात्पर्य यह था कि मेन्टीनेन्स मिलने के समय यह देखना होगा कि कितना मेन्टिनेन्स होगा और जो मेंटनेन्स केल्कुलेट किया गया है वह सही है या नहीं, उस वक्त जागीरदार के साथ रहने पर ठीक हो सकता है। वैसे भी प्रधान मंत्री के फैसले की इन्तजार करनी चाहिये। यह सारी बातें देखकर ही मैंने अपना संशोधन रखा था। मैंने इसमें यह निवेदन किया था कि इस प्रकार से यह फूट डालने की सी बात होगी।

हमारे दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय मित्र ने मेरे संशोधन का गलत अर्थ लगाया और उसके ऊपर बोलते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया था कि इससे मेरा खुद का सम्बंध है, मैं खुद इसमें इनवोल्ब्ड हूं। मैं स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरा व्यक्तिगत मामला इस प्रकार कोई नहीं है। मैंने न तो इस प्रकार की बात पहले भी कभी माननीय मित्र से की होगी, चिट्ठी पाते तो वे मुझे भी कहते क्योंकि मैं उनके पडौस में ही रहता हूं चिट्ठी बतलानी चाहिये थी, कम से कम इस प्रकार का जिक्र नहीं करना चाहिये था। यह तो उन्हीं की बात मालूम होती है। खैर। इससे उनकी खुद की मनःस्थिति और मनोदशा का कम से कम इजहार अवश्य हो जाता है और हो गया। साइकोलोजिकल इफेक्ट क्या होगा, यह न मालूम उन्होंने क्या सोच-समझ कर कहा? न कोई मेरे ऐसे विचार हैं कि जागीरदार मेन्टीनेन्स होल्डर्ड का मेन्टिनेन्स हड़प जांय। मेन्टीनेन्स उसी हालत में मिलेगा जब कि हम क्लेम भर देंगे। क्लेम भरने के बाद सब कुछ होगा। जब तक क्लेम नहीं भरेंगे तब तक कैसे आमदनी आकेंगे और मेन्टीनेन्स किस आधार पर दिया जायगा? मैं सोचता यह था कि माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे किन्तु उन्होंने तो इधर उधर की बातें कह कर समाप्त कर दिया। मेरा उनसे निवेदन है कि वे फिर इस बात को सोचें कि जब तक क्लेम नहीं देंगे, जागीर की आमदनी कैसे आंकी जायगी? उनको मेन्टीनेन्स किस आधार पर मिल सकेगा? खैर। मैंने जो अच्छी नीयत से अपना संशोधन रखा मेरे माननीय मित्रों ने उसका गलत अर्थ लगाया, इसके लिये मुझे दुःख है। खैर, इसके लिये मेरा विशेष आग्रह नहीं। इसके जो परिणाम होंगे वे उनको भी मालूम हो जायेंगे। मैंने साफ दिल से इसे पेश किया। लेकिन माननीय मित्रों के कहने के अनुसार ऐसे विश्वास होता है कि इसका दुरूपयोग नहीं किया जायगा। मेरे माननीय मित्रों का आग्रह है, मेरे संशोधन का गलत अर्थ लगाकर मुझे गलत पक्ष में उपस्थित करते हैं, मुझको गलत रूप में देखते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अच्छी नीयत से जो संशोधन रखा, अगर आप इसको आवश्यक नहीं समझते तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपना संशोधन वापिस लेने को अनुमति प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि जो संशोधन रावत श्री शम्भुसिंहजी ने रखा है उसे वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

आज्ञा प्रदान की गई।

रावात श्री शम्भूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ५ व ६.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ और ६ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ५ व ६ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १, टाइटल व प्रिएम्बल।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज वन, टाइटल और प्रिएम्बल स्वीकार किया जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, टाइटल व प्रीएम्बल विधेयक के अंग बने।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लेन्ड रिफोर्म्स एन्डर रिजम्प्शन आफ जागीर्स (फिफ्थ अमेंडमेंट) बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लेन्डरिफोर्म्स एन्ड रिज़म्शन ऑफ जागीर्स (फिफ्थ अमेंडमेंट) बिल को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

शेष विधेयकों पर आज विचार-विमर्श स्थगित रखने संबन्धी वाद-विवाद

श्री भैंरूं सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, बाकी के जो बिल्स हैं वे कॉन्ट्रोवर्शियल हैं इसलिये पहले आपस में बैठकर इस बारे में बात कर ली जाय तो पास करने में सुविधा होगी, इसलिये बाकी का जो बिजनेस है वह कल के लिये रखा जाय।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष जी, मेरा ख्याल है इससे माननीय मंत्रीजी भी सहमत होंगे, अतः बाकी बिजनेस कल के लिये रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ओफ डिसक्वालिफिकेशन) बिल, १६५६ पर जो एडवोकेट जनरल को सुनना था वह सुन लिया जाय।

श्री भैंरूं सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, एडवोकेट जनरल को सुनने के लिये सभी माननीय सदस्य आतुर हैं किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे के सारे माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं इसलिये कल ही उनको सुना जाय।

श्री मानसिंह महार—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडमेंट बिल तो प्रस्तुत ही नहीं हो रहा है, ऊपर से दबाव आया है शायद।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना था कि इनके अलावा कुछ सप्लीमेंटरी डिमांड्स की लिस्ट भी निकलेंगी और कुछ ऑर्डिनेन्स भी निकले हैं उनको भी लेना है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल : (गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह आज्ञा नहीं है कि किस प्रश्न पर मुझसे सलाह ली जा रही है। मुझे तो केवल

एक ही प्रश्न के बारे में मालूम हुआ कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन) बिल, १६५६ के क्लॉज़ ३ के लिये मैं अपने विचार प्रस्तुत करूं ।

श्री उपाध्यक्ष--तो फिर आप वाद-विवाद को पहले समझ लें ।

श्री गुलाबचंद कासलीवाल--मैं, इस वक्त जो हो सकता है वह इस बारे में अवश्य निवेदन कर सकता हूं । पर जैसा आपने कल के लिये फरमाया है तो मै वाद-विवाद को इस बीच में देख लूंगा, फिर कल बोलूं; जैसी आपकी आज्ञा हो ।

श्री उपाध्यक्ष--तो एक बात है । फिर कल पर ही रख लें । आप तैयार हो जावें तो ठीक ही है ।

जागीरदार डेट रिडक्शन बिल को तो ले लें । यह तो नोन कॉन्ट्रोवर्शियल है ।

श्री भैंरू सिंह--ऐसा नहीं है साहब । नोन कन्ट्रोवर्शियल तो आगे वाली लिस्ट में कोई है ही नहीं । इनमें तो अगर होगा तो कल तक हम आपस में बैठकर भी कुछ तय कर लेंगे, इसलिये भी आप इसे आज पोस्टपोन कर दें तो अच्छा हो ।

श्री मानसिंह महार--आप तो पोस्टपोन करिये साहब । कल सब काम खतम हो जायेगा अगर आप आज छुट्टी कर देते हैं तो कल फिर मैं अपना संशोधन मूव नहीं करूंगा, मेरी बात जब मंत्रीजी मन्जूर कर लें तो ।

श्री उपाध्यक्ष--तो फिर छुट्टी कर देना ठीक होगा । कल फ्रेश हो जावेंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--कल अगर सब काम खतम हो जावे तो ।

श्री उपाध्यक्ष--हो जाना चाहिये कल खतम ।

श्री मानसिंह महार--कल हो जावेगा, साहब ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--वायदा करते हैं ? ऐसा न हो साहब कि कल भी न हो ।

श्री मानसिंह महार--नहीं नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष --कल आने वाले बिलों में एक बिल तो ऐसा है कि जिसको पास करना आवश्यक है; मतलब यह कि आप इन बातों को सोच कर कह रहे हैं । तो फिर कल जितना भी बैठना

[श्री उपाध्यक्ष]

पड़े, बैठकर बिजनेस को पूरा कर लें। अच्छी बात है तो फिर छुट्टी। सदन की कार्यवाही आज स्थगित की जाती है। कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(तदनन्तर मध्यान्होत्तर तीन बज कर तैंतीस मिनट पर आज की कार्यवाही कल दिनांक ११ दिसम्बर, १९५६ के मध्यान्हपूर्व ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १० दिसम्बर, १९५६।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५१ का उत्तर देखिये)

Statement showing seniority No., Date of apptt, qualification and approximate Area Surveyed in Bighas of the Amins Promoted as Inspectors during Nov, 1956. From the Parties of S. O. Jodhpur and pali.

No.	Name of Amin.	Seniority No.	Date of appointment.	Qualification.	Approximate area surveyed in Bighas.
	Jodhpur Circle				
1.	Shri Mehboob khan	201.	31-8-45	Middle.	30,000 Big.
2.	,, Pabu Lal	209	27-9-46	Hindi knowiug.	1,50,000 ,,
3.	,, Sabal Singh	229	1-1-46	Middle.	2,00,000 ,,
4.	,, Jagat Singh	302	1-11.46	Hindi knowing.	1,43,000 ,,
5.	,, Sardar Singh	364	26-3-47	,, ,,	93,000 ,,
6.	,, Shiv Pujan	419	28-8-47	,, ,,	98,000 ,,
7.	,, Sohan Misre	420	28-8-47	,, ,,	1,23,000 ,,
8.	,, Narendra Singh	666	1-12-48	Hindi Middle.	90,000 ,,
9.	,, Bhanwer Lal	674	1-12-48	,, ,,	90,000 ,,
10.	,, Ram Prasad	918	1-12-49	Matriculate.	60,000 ,,
	Pali Circle.				
11.	,, Kanhiya Lal	142	11-7-44	Vernacular Middle. Passed.	1.02,500 ,,
12.	,, Kanhiya Lal Gurjrati	163	1-12-44	,,	16 villages surveyed.
13.	,, H. Sampson	170	9-1-45	,,	1,64,000 ,,

14.	,,	Ratan Dass	189	1-6-44	Hindi vi class Hindi Middle.	77,591 ,,
15.	,,	Ram Niwas	193	5-8-45	Hindi vi class Hindi Middle	1,60,000 ,,
16.	,,	Kanhiya Lal Vaishnoo	194	5-8-45	VII class Passsd	60,000 ,,
17.	,,	Ram Krishan	203	1-9-45	Passed Hindi Vishared.	78.500 ,,
18.	,,	Hanuman Dass	268	17-4-46	,,	1,07,000 ,,

शुद्धि—पत्र

कार्य—विवरण दिनांक १० दिसम्बर, १९५६

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
५८९	शीर्ष के नीचे	—	[श्री सम्पतराम]
५०४	शीर्ष के नीचे	[राजा श्री हिम्मतसिंह]	[रान श्री हिम्मतसिंह]
५०६	शीर्ष	लॉज [एक्सट्रेशन]	लॉज़ एक्सटेन्शन
५३७	२७	श्री बृजसुन्दर शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
५४७	शीर्ष के नीचे	श्री बृजसुन्दर शर्मा	[श्री बृजसुन्दर शर्मा]
५६५	शीर्ष के नीचे	—	[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]